



मार्च 2024

Issue : 01

वर्ष : 06 | अंक : 05

मूल्य: ₹70



dhyeayias.com

## मुख्य विशेषताएं

- श्रीलंका में तमिल अधिकार
- आतंकवाद और संगठित अपराध
- वन्यजीव संरक्षण कानून
- गगनयान मिशन
- पेपर लीक मुक्त परीक्षा
- इनसैट 3डीएस
- जेम्मा: जिम्मेदार एआई
- अनुच्छेद 142 का प्रयोग
- बच्चे को गोद लेने का अधिकार
- संगम: डिजिटल ट्रिवन पहल
- सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
- इंडस-एक्स
- गिनी कृमि रोग
- बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के कण
- ग्रीन क्रेडिट नियम

ORF OBSERVER  
RESEARCH FOUNDATION

Ministry of External Affairs  
Government of India

## RAISINA

DIALOGUE 2024

## CHATURANGA

CONFLICT, CONTEST, COOPERATE, CREATE

## ब्रेन बूस्टर

- राइट टू डिस्कनेक्ट
- रायसीना डायलॉग 2024
- विश्व जल दिवस 2024
- शाहपुरकांडी बांध

## प्रीलिम्स फैक्ट्स

- पुरुलिया छाऊ
- ज्ञानपीठ पुरस्कार
- सुदर्शन सेतु
- पर्पल फेस्टिवल
- महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन

चर्चित स्थल



Gemma



समसामयिकी आधारित  
बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा के लिए वन लाइन

# GENERAL STUDIES

## IAS PREMIUM BATCH

English Medium

1 APRIL | 8 AM & 5:30 PM

## IAS PREMIUM BATCH

हिन्दी माध्यम

1 APRIL | 5:30 PM

## IAS MAIN BATCH

हिन्दी माध्यम

28 MARCH | 11:30 AM

## PCS FOUNDATION BATCH

English Medium

28 MARCH | 8 AM

## PCS FOUNDATION BATCH

हिन्दी माध्यम

8 APRIL | 8 AM

II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C,  
Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj

**0532-2260189, 8853467068**

## ‘पहला पन्ना



विनय सिंह  
संस्थापक  
ध्येय |IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कठेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कठेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारांभित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्टर्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।



संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओड़ा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
संपादकीय सहयोग	:	डॉ. अर्पित
	:	प्रमोद
	:	पूर्णाशी
	:	रत्नेश
समीक्षक एवं	:	नितिन अस्थाना
सलाहकार	:	शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग	:	अरुण मिश्र
एवं डेवलेपमेंट	:	पुनीष जैन
सोशल मीडिया	:	केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग	:	प्रियांक, अंकित
तकनीकी सहायक	:	वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	चंदन, गुड्डू
	:	अरुण, राहुल

### -: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF,  
प्रसार भारती, योजना,  
कुरुक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन  
टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस,  
इंडिया टुडे, WION, BBC,  
Deccan Herald, HT, ET, Tol ,  
दैनिक जागरण व अन्य

### समसामयिकी लेख

1. श्रीलंका में तमिलों को अधिक अधिकार मिलने से सुधरेंगे भारत-श्रीलंका संबंध	5-6
2. आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ता संबंध: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा	7-8
3. बन्यजीव संरक्षण कानूनों में संशोधन की जरूरत	9-10
4. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थायी समाधान जरूरी: कृषक कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम	11-12
5. नकल विरोधी और पेपर लीक मुक्त परीक्षाओं के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता	13-14
6. इसरो के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3डी और इसके भविष्य के मिशनों का महत्व	15-16
7. विधि आयोग द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 की व्यापक समीक्षा के मायने	17-18
> राष्ट्रीय .....	19-23
> अंतर्राष्ट्रीय .....	24-28
> पर्यावरण .....	29-33
> विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .....	34-38
> आर्थिकी .....	39-43
> विविध .....	44-48
> ब्रेन-बूस्टर .....	49-55

### प्री स्पेशल

> पावर पैकड न्यूज .....	56-59
> समसामयिक घटनाएं एक नजर में .....	60
> चर्चा में रहे प्रमुख स्थल .....	61
> समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न .....	62-64
> अंतर्राष्ट्रीय संबंध .....	65-78

# श्रीलंका में तमिलों को अधिक अधिकार मिलने से सुधरेंगे

## भारत – श्रीलंका संबंध

हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका में तमिलों को आर्थिक और सामाजिक अधिकार देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक तमिलों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके अतिरिक्त श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2017 में श्रीलंका में 10 हजार घरों के निर्माण की दिशा में हुई प्रगति के लिए भारत के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया है। भारत ने 2009 में ही इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका में 50,000 घरों को बनाने का समझौता किया था। भारत ने श्रीलंका में कुल 64 हजार घरों को बनाने में मदद किया है जो एक अच्छा संकेत है क्योंकि दक्षिण एशिया के इन हो महत्वपूर्ण देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती, भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर की शांति सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी है।

भारत और श्रीलंका के मध्य राजनीतिक तथा कृष्णांतिक संबंधों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक तमिलों का मुद्दा रहा है और तमिलों के मुद्दे ने ही इनके संबंधों को सबसे अधिक प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका में तमिलों को दक्षिण भारत से बलात् श्रमिकों के रूप में चाय बागानों में काम कराने के लिए ले जाया गया। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में तमिलों को बसाया गया, वहाँ जाफना क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय में लंबे समय तक रहने के बाद उस क्षेत्र में काम करने के दौरान तमिलों ने समय-समय पर अपने लिए अधिकारों की मांग करनी शुरू की लेकिन तमिलों को अधिकार न देने के लिए श्रीलंका की सरकार प्रतिबद्ध थी। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक समुदाय है और सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के साथ ही बौद्ध धर्म को भी आधिकारिक मान्यता दी गई थी। दूसरी तरफ तमिल जो कि अल्पसंख्यक समुदाय थे जिनके तमिल भाषा को मान्यता न देने के अलावा उनके धर्म, संस्कृति तथा आचार विचार को भी मान्यता नहीं मिला। तमिलों के साथ हर स्तर पर भेदभाव, शोषण और दमन देखा गया है। वर्ष 1956 में सरकार ने ‘सिंहली ओनली विधेयक’ पारित किया जिसका मुख्य उद्देश्य तमिलों को उनके अधिकारों से वर्चित करना था ताकि सिंहली बहुसंख्यक समुदाय का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभुत्व बना रह सके। इसके उपरांत वर्ष 1972 में श्रीलंका का नया संविधान निर्मित किया गया और तमिलों की अपेक्षाएं इसमें भी पूरी नहीं की गई। इस नए संविधान में सिंहली को राष्ट्रभाषा और बौद्ध धर्म को आधिकारिक मान्यता दी गई। तमिलों ने अपने लिए जिन मांगों को श्रीलंका सरकार के समक्ष रखा था उनको नहीं माना गया।

जाफना के तमिलों की मुख्य मांगें अग्रलिखित हैं:

» प्रथम श्रेणी की नागरिकता का दर्जा।

- » श्रीलंका में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हिस्सेदारी के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग।
- » सामाजिक आर्थिक नियोजन में हिस्सेदारी।
- » तमिल भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की मांग।
- » तमिल संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली के साथ भेदभाव तथा हस्तक्षेप न करने की मांग।
- » बुनियादी सुविधाओं और अवसरंचनाओं के निर्माण की मांग करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, कृषि आदि शामिल थे।

श्रीलंकाई सरकार के विभेदकारी तथा शोषणकारी नीतियों के चलते श्रीलंका के तमिलों ने सिंहलियों और वहाँ की सेना के विरोध में 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का गठन किया ताकि हिंसक गतिविधियों के जरिए अपनी मांगों को मनवा सकें। लिट्टे यानि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, एक अलगाववादी संगठन है जिसका गढ़ उत्तरी श्रीलंका माना जाता था। इस संगठन की मांग श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना रहा है। लिट्टे ने सिंहलियों और श्रीलंकाई सेना के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जिससे श्रीलंका में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। श्रीलंका में चला ये गृह युद्ध, एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सशस्त्र संघर्ष था। श्रीलंकाई सेना ने 1976 के बाद लिट्टे विद्रोहियों का भीषण दमन करना शुरू किया। तमिल स्वायत्ता की मांग के साथ तमिलों ने सिंहलियों की हत्याएं करना शुरू किया। 1983 में कोलंबो में तमिल विरोधी हिंसा शुरू हो गई। तमिलों के मारे जाने से तमिलनाडु की भावनाएं आहत हुईं। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वायु मार्ग (चार्टर्ड सिविल प्लेन) और चार्टर्ड इंडियन सिविल शिप्स से तमिलों को खाद्य सामग्री, दवाइयां तथा अन्य आवश्यक रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी। 29 जुलाई, 1983 को भारतीय विदेश मंत्री नरसिंहा राव को श्रीलंका भेजा गया ताकि स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। भारत के इन सब सक्रिय पहलों को श्रीलंका और सिंहलियों ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा। सिंहलियों ने इसे अपनी संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण समझा। कालांतर में भारत ने तमिल पृथकतावादियों और श्रीलंका की सरकार के मध्य मध्यस्थिता कराने का प्रयास किया। इधर 1987 तक लगभग डेढ़ लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारतीय राज्य तमिलनाडु में आ चुके थे। इससे तमिलनाडु में आंतरिक अशांति को बढ़ावा मिला, चूंकि तमिलनाडु में 1950 के दशक में भाषा के आधार पर पृथक राष्ट्र द्राविड़स्तान बनाने का आंदोलन चलाया था और तमिल शरणार्थियों के भारत विरोधी तत्वों से गठजोड़ की भी आशंका व्यक्त की जाने लगी। ऐसी सूचनाएं भी मिलने लगी कि पाकिस्तान और आईएसआई भी तमिल मुद्दे में संलग्न होने का प्रयास कर-

रहा है। इसलिए भारत के समक्ष अपनी प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित करने की चुनौती नजर आने लगी, यहाँ कारण है कि भारत ने श्रीलंका में तमिलों के मुद्रे पर सैन्य हस्तक्षेप किया। चूंकि भारत ने तमिल उग्रवादी गुटों और श्रीलंका सरकार के मध्य वार्ता कराने का कई अवसरों पर प्रयास किया लेकिन कई परिणाम न मिलने की स्थिति में भारत ने ऑपरेशन पवन के जरिए अपनी शांति वाहिनी सेनाएं श्रीलंका भेजी। भारत के इस निर्णय का दोनों देशों के संबंधों पर दूसरामी प्रभाव पड़ा। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) को यह सूचना थी कि तमिल उग्रवादियों को विदेशी उग्रवादी गुट जैसे फिलिस्तीन के पीएलओ और सीरिया के पीएलईपी ने लिट्टू, टीईएलओ, ईआरओएस, पीएलओटीई को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता आदि प्रदान किए हैं। इस पूरे प्रकरण में मानवाधिकार का उल्लंघन और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही थी।

### राजीव-जयवर्धने एकॉर्ड से तमिल समस्या के समाधान का प्रयास:

तमिल समस्या के समाधान के तहत भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई, 1987 को गृहयुद्ध को रोकने हेतु एक समझौता हुआ जिसे राजीव जयवर्धने एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसके जरिए एक अस्थाई युद्ध विराम पर सहमति बनी और श्रीलंका सरकार तमिलों को अधिकार देने के लिए तैयार हुई। इस समझौते के तहत श्रीलंका सरकार निम्नलिखित बातों पर सहमत हुई:

- श्रीलंका के 9 तमिल बहुल्य क्षेत्रों में तमिल मांगों के अनुरूप निर्वाचन कराने के लिए प्रांतीय परिषदों का गठन करना। 31 दिसंबर, 1987 के पूर्व इन प्रांतीय परिषदों के लिए चुनाव संपन्न कराने का प्रयास करना। उत्तर और पूर्वी भागों में इन परिषदों के चुनावों के लिए भारतीय पर्यवेक्षकों को आमंत्रित करने का भी समझौता हुआ।
- सिंहली के साथ ही तमिल और अंग्रेजी भाषा को भी श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना।
- इस समझौते में कहा गया है कि प्रांतीय परिषदों का चुनाव होने तक अथवा तमिल बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह होने तक उत्तरी पूर्वी प्रांत एक प्रशासनिक इकाई के रूप में होगी जिनकी अपनी एक निर्वाचित प्रांतीय परिषद होगी। इस प्रशासनिक इकाई में एक गवर्नर, एक मुख्यमंत्री और एक बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स शामिल होना।
- 31 दिसंबर, 1988 तक एक जनमत संग्रह होना ताकि पूर्वी प्रांत के लोग यह निर्धारित कर सकें कि वे उत्तरी प्रांत में एक एकल प्रशासनिक इकाई के रूप में बने रहना चाहते हैं अथवा वे एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप अपने पृथक प्रांतीय परिषद, पृथक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स के साथ अपना प्रशासन चाहते हैं।
- नृजातीय हिंसा और अन्य कारणों से वे सभी लोग जो श्रीलंका में विस्थापित हुए हैं, उन्हें जनमत संग्रह में मतदान का अधिकार होगा। जिन क्षेत्रों से वे विस्थापित हुए हैं, वहाँ उनको वापस लाने का समुचित प्रावधान किया जाना।

- श्रीलंका सरकार उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में विधि प्रवर्तन और सुरक्षा के उद्देश्यों से उन सभी संगठनों का इस्तेमाल कर सकेगी जो वे देश के शेष भाग में करती है।
- श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए राजनीतिक और अन्य बंदियों को क्षमादान देना।
- उग्रवादी युवाओं के पुनर्वास और उन्हें श्रीलंका के राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों में भारत श्रीलंका की मदद करना।

### श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन व तमिल अधिकार:

राजीव जयवर्धने एकॉर्ड के क्रियान्वयन के लिए श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें तमिलों की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- श्रीलंका सरकार ने तमिलों को शक्तियों के विलय के लिए और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु प्रांतीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया।
- इस संशोधन में प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति और अधिकारों तथा प्रांतीय परिषदों के कार्यकाल के विषय में प्रावधान किया गया।
- 13वें संविधान संशोधन के जरिए प्रांतीय परिषदों को विधायी शक्तियों देने का प्रावधान किया गया।
- इसमें तमिल क्षेत्रों में वित्तीय मामलों और उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- इस संशोधन में तमिल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया।
- सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में इसमें उत्तरी पूर्वी प्रांत में उच्च न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया।
- 13वें संविधान संशोधन के तहत श्रीलंका को 9 प्रांतों में वर्गीकृत करना जिसका प्रशासन एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले परिषद द्वारा किया जाना था।
- इस संशोधन के तहत उत्तर और पूर्वी प्रांत का विलय करके एक एकल उत्तर पूर्वी प्रांत बनाना शामिल था। इन सभी प्रावधानों के बावजूद 13वें संविधान संशोधन के कई प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया जिससे तमिल स्वायत्ता की मांग सही अर्थों में अभी भी पूरी नहीं हो सकी है।
- पुलिस, भूमि संबंधी और वित्तीय अधिकार अभी भी तमिलों को प्रदान नहीं किया गया है जिसे 13 माइनस के नाम से जानते हैं। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने भी जनवरी, 2020 में स्पष्ट किया था कि 13वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए श्रीलंका सरकार कुछ वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेगी।
- वर्तमान भू-अर्थ प्रधान विश्व में दक्षिण एशिया उभरती अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सहयोग के अवसरों की तलाश पर अधिक बल दे रहा है। इस संदर्भ में भारत के स्ट्रेटजिक बैंकयार्ड में अवस्थित श्रीलंका हिन्द प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्वकारी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।



# आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ता संबंध: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

वर्तमान समय में दुनिया की राष्ट्रीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कानून प्रवर्तन इकाइयां इस बात से आशंकित हैं कि आतंकी समूहों के नेटवर्क और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच बढ़ते संबंध से राष्ट्रीय व अंतरिक सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर में भी इस तरह के लिंक और नेटवर्क के साक्ष्य देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि भारत में आतंकवाद को प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में न पनपने देने के लिए ठोस रणनीति बनाकर संगठित अपराध नेटवर्क से लिंक तोड़ना होगा। आसूचना इकाइयों के मध्य बेहतर समन्वय, रीयल टाइम बेसिस पर आतंकी गतिविधियों, योजनाओं, घड़यांत्रों की पहचान करना, आतंकी अभियानों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया के नेटवर्क को तोड़कर स्थानीय युवाओं को आजीविका के बेहतर विकल्प देना, आतंकी गतिविधियों को संचालित होने में सहायक कारकों जैसे फ्रंट संगठनों, ओवर ग्राउंड वर्कर्स, डू इट योरसेल्फ टेररिस्ट (डीआईवाई आतंकी) के नेटवर्क पर मारक कार्यवाही करना और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीक, हथियार, सुरक्षा उपकरणों से लैस करना आदि कई अन्य प्रभावी कदम उठाए जाने पर भी विचार करना आवश्यक हो गया है।

## आतंकवाद और संगठित अपराध में सम्बंध:

पारराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2000 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव संख्या 55/25 के जरिए अंगीकृत किया गया था जो वर्ष 2003 में कार्यशील हुआ था। इसमें पारराष्ट्रीय संगठित अपराधों और आतंकवाद के मध्य संबंध अथवा अंतर्संरक्ष को स्पष्ट किया गया है। संगठित अपराध निम्नलिखित रूपों में आतंकवाद और आतंकियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है:

- संगठित अपराध जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्रा की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग आदि से प्राप्त धन द्वारा आतंक के वित्त पोषण की शुरुआत हुई है। भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य आसूचना इकाइयों ने पंजाब के नशीले पदार्थों की तस्करी में सक्रिय आतंकवादियों से लिंक होने के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं।
- भारत के धन शोधन निरोधक अधिनियम में भी नशीले पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मिश्रित स्वरूप वाले अपराध को अधिक गंभीर अपराध मानकर कठोर दंड (10 वर्ष के कारावास) का प्रावधान किया गया है जिससे संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य संबंध का पता चलता है।
- आतंकवादी अपने संगठनों के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने में संगठित अपराधों का सहारा लेते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, वन्य जीवों की तस्करी, अपहरण और जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों का वितरण, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार आदि संगठित अपराधों के माध्यम से आतंकवादी धन एकत्र करते हैं।
- आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क की आड़ में फलते-फूलते हैं। संगठित अपराधी और आतंकवादी दोनों प्रायः ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहाँ कम सरकारी नियंत्रण हो, कमज़ोर प्रशासनिक ढाँचा या खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा मौजूद हो। आतंकवादी अपने सदस्यों को संगठित अपराध नेटवर्क का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करवाकर विभिन्न देशों में भेजते हैं, बदले में आतंकवादी अपने नियंत्रित क्षेत्रों में इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि यह आपसी संबंध सामान्यतः विकासशील और कम विकसित देशों में अधिक देखने को मिलता है, विकसित देशों में नहीं।
- संगठित अपराध का उद्देश्य मुख्य रूप से मौद्रिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। यह निरंतरता में चलने वाली आपराधिक गतिविधि है जिसका मुख्य आधार राजनीतिक और वैचारिक होता है। आतंकवाद अनिवार्य रूप से हिंसा और भय फैलाने में बल देता है तेकिन संगठित अपराधियों के उद्देश्य के मार्ग में बाधा न आए तो वे आतंकवादियों के समान हिंसा और भय फैलाने में रुचि नहीं रखते हैं। संगठित अपराधों को करने वाले लोगों और साथ ही आतंकवादियों का सरकारी तंत्र तथा पुलिस तंत्र से भी गठजोड़ देखा जाता है। मलिमथ समिति की रिपोर्ट में इस बात का प्रमाण दिया गया है।
- आतंकी समूहों के लिए संगठित अपराधी स्लीपर सेल के गठन में भी सहायता उपलब्ध कराते हैं। युवा आतंकवादियों की भर्ती, उन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी की उन्नत सुविधाएं, उन्हें आतंकी कृत्यों में सहायता के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर्स को उपलब्ध कराने जैसे अन्य संदर्भों में भी आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य संबंध देखा जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, आपराधिक व्यवहार को आतंकवाद से जोड़ कर देखने के कई साधन मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2014 में प्रस्ताव संख्या 2195 पारित किया था जिसमें कहा गया है कि विश्व के कई क्षेत्रों में पारराष्ट्रीय संगठित अपराध से आतंकवादी लाभान्वित हुए हैं और ऐसा हथियारों, व्यक्तियों, ड्रग्स पुरातात्विक सामग्रियों की तस्करी तथा प्राकृतिक संसाधनों के अवैध व्यापार के रूप में हुआ है। इसके अलावा फिरौती के लिए अपहरण और अन्य अपराधों के जरिए भी आतंकवादियों को लाभ मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जुलाई 2019 की बैठक में स्पष्ट किया गया है कि छोटे-छोटे अपराधी अवसर का लाभ उठाने के लिए आतंकवाद को अपना रहे हैं जोकि चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र अंतर क्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (यूएनआईसीआरआई) ने भी इसे स्पष्ट किया था।
- आतंकवादी संगठन अपने अभियानों हेतु धन जमा करने के लिए अपराध करते हैं। उदाहरण के लिए आईएसआईएल या दाएश

उभरने के निम्नलिखित कारण रहे हैं:

### आतंकी गतिविधियों के लिए भूमि पर कब्जा:

यमन के हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत कई भागों पर कब्जा करके यमन सरकार समेत सऊदी अरब का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसी प्रकार इस्लामिक स्टेट ने ईराक और सीरिया के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया है। तालिबान नेटवर्क और आईएसआईएस खोरासान ने अफगानिस्तान के हिस्सों को कब्जे में लिया है। तालिबान ने तो 1996 से 2003 तक अफगानिस्तान में शासन सत्ता भी संभाली है। इसी प्रकार सोमालिया में अल शबाब और नाईजीरिया में बोको हराम जैसे आतंकी संगठन इस्लामिक साम्राज्य के निर्माण की मंशा से अपने अपने देश के अलग अलग हिस्सों को कब्जा करने के प्रयास में लगे हुए हैं।

### आतंकी वित्त पोषण के नए स्रोतों की तलाश करना:

आज आतंकवादी संगठन अपने आतंकी मिशनों के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तरीका है राज्य प्रायोजित आतंकवाद के जरिए देश की सत्ता से ही पूँजी प्राप्त करना। उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा लक्षकर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को वित्तीय सहयोग मिलना, लेबनान के हिजबुल्ला नामक आतंकी संगठन (जिस पर खाड़ी देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है) को ईरान द्वारा वित्त पोषण, सीरिया के विद्रोहियों को अमेरिका द्वारा वित्तीय सहयोग आदि। इसके अलावा आईएसआईएस द्वारा अपहृत विदेशियों, पेट्रोलियम तेल के कुओं और स्थानीय लोगों की हत्या के बाद परिजनों को शव देने के लिए धन की मांग करते हैं।

### उद्यमशीलता के रूप में आतंकियों द्वारा प्रतिस्पर्धा:

आतंकी संगठनों द्वारा नए आतंकियों की भर्ती और नए आतंकी संगठनों का निर्माण उनकी उद्यमशीलता जैसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। अबु बक्र अल बगदादी द्वारा इस्लामिक स्टेट की स्थापना, आसिम उमर द्वारा वर्ष 2014 में अल कायदा इन दि इंडियन सबकॉन्ट्रिनेंट की स्थापना आदि इसके उदाहरण हैं।

आईईडी, वाहन बम, सुसाइड बॉम्बर और फिदायीन हमला। ऐसे हमले कश्मीर, काबुल और इस्लामाबाद सहित विश्व के कई हिस्सों में देखे गए हैं।

यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस के पेरिस और ब्रिटेन के लंदन जैसे वैश्वक वित्तीय केंद्रों को निशाना बनाना।

चर्च, मस्जिदों और मंदिरों में आतंकी हमलों के जरिए बड़े समुदाय का ध्यान आकृष्ट करना।

श्रीलंका के चर्च में वर्ष 2019 में हुआ आतंकी हमला काफी गंभीर प्रकृति का माना गया था। प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों की तरह ही विभिन्न आतंकी संगठनों ने भी विश्व के अलग-अलग महाद्वीपों में अपने नेटवर्क, शाखाएं और कार्यालय खोले हैं, जैसे अलकायदा ने यमन में अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, अफ्रीका में अलकायदा इन माघरेब, भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्ट्रिनेंट, आईएसआईएस की अफगानिस्तान में सक्रिय शाखा आईएसआईएस खुरासान आदि।

# वन्यजीव संरक्षण कानूनों में संशोधन की जरूरत



केरल में मानव-पशु के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से वन्यजीव संरक्षण कानूनों में संशोधन करने का आग्रह किया है। यह प्रस्ताव इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी हैं और बड़ी संख्या में संपत्ति व फसलों का नुकसान हुआ है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एवं संबंधित नियमों, दिशा-निर्देशों और कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री ए.के. सर्सींद्रन ने सदन में पेश किया था।

केरल का कहना है कि वन्यजीवों की रक्षा करने वाले केंद्रीय कानून, नियम, दिशा-निर्देश और प्रावधान बेहद सख्त हैं तथा जंगली सूअर जैसे जानवरों को नियंत्रित करने व उन्हें मारने में रुकावट पैदा करते हैं। जंगली सूअर जंगलों से बाहर आ जाते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन की जरूरत पर केरल ने बल दिया है। वन्य जीव संरक्षण कानूनों के प्रावधानों को समय और परिस्थितियों में बदलाव के साथ संशोधित नहीं किया गया, इसलिए भी इनमें संशोधन की आवश्यकता है।

## केरल में वन्य पशुओं से हुए नुकसान:

- केरल में 2011 से अब तक जंगली जानवरों के हमले में 1233 लोगों की जानें जा चुकी हैं। केरल वन विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मनुष्य और जानवरों के बीच संघर्ष की नौ हजार घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं जिनमें चार हजार मामलों में तो केवल जंगली हाथी शामिल थे।
- जंगली सुअरों ने 1500 से ज्यादा हमले इंसानों पर किए हैं। बाघ, तेंदुए और बाइसन के हमले में भी लोगों की जानें गई हैं। 2017 से 2023 के बीच 21 हजार घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनमें जंगली जानवरों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और डेढ़ हजार से ज्यादा मवेशियों को मार डाला।

## वर्मिन जीव घोषित करने की प्रक्रिया:

- केरल चाहता है कि केंद्र सरकार जंगली सूअर को वर्मिन (Vermin) के रूप में वर्गीकृत करे। उल्लेखनीय है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 जंगली जानवरों के शिकार को नियंत्रित करती है। धारा 11 के खंड (1)(ए) के अनुसार, किसी राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन यदि संतुष्ट है कि अनुसूची I में निर्दिष्ट एक जंगली जानवर (स्तनधारी) मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ठीक होने से परे विकलांग या रोगप्रस्त हो गया है, ऐसे जानवर के शिकार या हत्या की अनुमति न देने की बात की गई है। यह धारा राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को ऐसे जंगली जानवर को मारने का आदेश देने की शक्ति देती है, यदि

उसे पकड़ने के बाद शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

- अब, केरल धारा 11 (1)(ए) में संशोधन करना चाहता है ताकि चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन की उपर्युक्त शक्तियों को मुख्य वन संरक्षकों (सीसीएफ) को हस्तांतरित किया जा सके। राज्य का मानना है कि इस तरह के संशोधन से मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों से निपटने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी जिससे अधिक स्थानीय स्तर पर त्वरित और समय पर निर्णय लिए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि केरल में पांच सीसीएफ और प्रत्येक राज्य के अलग-अलग क्षेत्र के प्रभारी हैं।

## वर्मिन जीव क्या होते हैं?

- वर्मिन जीव मूल रूप से समस्याग्रस्त या हानिकारक जानवर हैं क्योंकि वे मनुष्यों, फसलों, पशुओं या संपत्ति के लिये खतरा होते हैं। इसमें ऐसी प्रजातियाँ आती हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची V में रखा गया है और वर्मिन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए कौवे, चमगादड़ (फ्रूट बैट), चूहे जिनका स्वतंत्र रूप से शिकार किया जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्मिन शब्द को परिभाषित नहीं करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 62 केंद्र सरकार को किसी भी जंगली जानवर को वर्मिन घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और अनुसूची II में शामिल जंगली जानवरों की प्रजातियों को वर्मिन घोषित नहीं किया जा सकता है। एक जानवर को किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र और निर्दिष्ट अवधि के लिये वर्मिन के रूप में घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रीसस बंदर, उत्तराखण्ड में जंगली सूअर और बिहार में नीलगाय को वर्मिन घोषित किया है, वहाँ मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने के लिये अतीत में कई राज्यों ने हाथी, भारतीय साही, बोनट मकाक, लंगूर और भौंकने वाले हिरण सहित विभिन्न जानवरों को वर्मिन घोषित करने के लिये याचिका दायर की है।

## मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि का कारण:

- हाल के वर्षों में भारत के अलग राज्यों में मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि हुई है जिससे कई तरह की क्षतियाँ हुई हैं। आज जिस तरह से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों तथा ग्रासलैंड का क्षरण हो रहा है उससे जीवों के इकोलॉजिकल नीश यानी उनके मूल घरों का नाश हो रहा है, इसलिए मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि का मुख्य कारण आवास क्षति और अतिक्रमण है। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण, नगरीकरण, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, विकास परियोजना औद्योगिकरण और कृषि विस्तार ने वन क्षेत्र को काफी कम कर दिया है जिससे हिंसक वन्य पशु भी

अपने मूल प्राकृतिक आवासों से बाहर रिहायशी इलाकों में जाने लगे हैं। इससे अंतः जंगली जानवर कृषि बस्तियों के निकट आने को विवश हुए जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

### वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है?

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम साल 1972 में पास हुआ था, इसीलिए इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भी कहा जाता है। इस कानून के जरिए जंगली जानवरों को ही नहीं, वरन् पौधों की अलग-अलग प्रजातियों की रक्षा किया जाता है। इसके साथ ही इनकी रिहाइश, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार को भी इसी के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इस एक्ट में उन सभी पौधों और जानवरों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें सरकार अलग-अलग स्तर पर सुरक्षा देकर उनकी निगरानी करती है। इस एक्ट में अलग-अलग अनुसूचियां हैं जो अलग-अलग तरह से वन्यजीवों और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- उल्लेखनीय है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के बाद वन्यजीव संरक्षण को राज्य की सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसीलिए केरल सरकार को इससे जुड़े कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है क्योंकि इसका अधिकार अब केंद्र के पास ही है। समय-समय पर इस एक्ट में कई संशोधन किए जा चुके हैं। 2002 में किए गए संशोधन के

बाद जंगली जानवरों और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने पर सजा तथा जुर्माना की राशि बढ़ा दी गई थी।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वन्यजीव पर हमला करता है तो उसे कम से कम तीन साल और ज्यादा से ज्यादा सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके तहत कम से कम 10 हजार रुपए जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद अपराध की प्रकृति को देखते हुए यह जुर्माना 25 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यही नहीं यदि कोई व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में भी किसी वन्यजीव को परेशान करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे छह महीने की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

### वन्य जीव संरक्षण एक्ट के तहत जब्त सामग्री पर प्रावधान:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वन्यजीवों के खिलाफ किसी अपराध में कोई वाहन, हथियार या दूसरे उपकरण शामिल हैं, तो उन्हें सरकार जब्त कर लेगी। ये सब सामान कभी वापस नहीं किए जाते हैं, यही नहीं यदि कोई व्यक्ति वन्यजीवों के किसी भी हिस्से का उपयोग करता है तो भी उसे सजा हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मोर के पंख का इस्तेमाल करता है तो उसे तीन साल तक की सजा का प्रावधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में किया गया है।



**Dhyeya Law Declares**

# KARMA YUDH

The All India Scholarship Test

**“Karma Yudh”**  
an opportunity to get up to  
**100%**  
*Discount*  
on all our Judiciary Courses

**16<sup>TH</sup>**    **03<sup>RD</sup>**    **2024**

 Delhi, Prayagraj, Lucknow & Greater Noida

# न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थायी समाधान जरूरी: कृषक कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम



भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी बहुत बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि गतिविधियों पर निर्भर है। भारतीय कृषकों को समय समय पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है और केंद्र सरकार ने उनके समाधान के लिए जरूरी प्रयास भी किए हैं। पिछले कुछ समय से एक बार फिर किसानों की मांग का मुद्दा देश में उभरा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी किसानों द्वारा कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन तथा सरलीकरण) कानून-2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द कराने के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था। तब कृषकों को इस बात कि चिंता थी कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का नियम कहीं खत्म तो नहीं कर देगी और कृषि के कॉरपोरेटाइजेशन (निगमीकरण) को बढ़ावा मिल सकता है जिससे बाद में किसानों को बड़ी एग्री-कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़े।

## क्या है किसान संगठनों की मांगें?

विभिन्न किसान संगठन केंद्र सरकार से कुछ मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इन मांगों में निम्न शामिल हैं:

- केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिया जाये।
- किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाये।
- किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाये।
- सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे।
- विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाये।
- किसानों और खेतिहार मजदूरों को पेंशन दी जाये।
- लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाये।

## न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या है किसानों की मांग?

- न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। बाजार में उस फसल की कीमत भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी, भले ही सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदती हो, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने को बाध्य करता हो। किसान ऐसा ही कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

## भारत सरकार द्वारा कृषकों के हित में की गई पहलें:

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिये उत्पादन बढ़ाने, लाभकारी प्रतिफल और आय समर्थन देने की कई योजनाओं/कार्यक्रमों को चला रही है जिनमें से प्रमुख निम्नवत हैं:

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम):** इसका लक्ष्य क्षेत्र के विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा उत्पादकता बहाल करने, खेती के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुये चावल, गेहूं व दलहनों का उत्पादन बढ़ाना है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई):** किसानों के प्रयासों को मजबूती देने, फसल कटाई से पहले और बाद की बुनियादी सुविधाओं पर अधिक ध्यान देते हुये जोखिम में कमी लाने के साथ खेती बाड़ी को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने के व्यापक उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। योजना में प्रति बूंद अधिक फसल, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता, परम्परागत कृषि, वर्षासिंचित क्षेत्र विकास तथा फसल विविधीकरण कार्यक्रम जैसे उप-घटक भी शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आँयल पॉम (एनएमईओ-ओपी):** आँयल पाम उत्पादन क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने और वर्ष 2025-26 तक कच्चे आँयल पाम का उत्पादन 11.20 लाख टन कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- आँयल पाम का शुभारंभ किया था। इसके अलावा खाद्य तेलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए यह मिशन आयात भार को कम करके भारत को 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में सफलतापूर्वक ले जा रहा है।
- **इस मिशन के तहत राज्य सरकारों ने आँयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ मिलकर 25 जुलाई, 2023 से एक मेगा आयल पाम पौधरोपण अभियान शुरू किया है ताकि देश में आँयल पाम के उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। तीन प्रमुख आँयल पाम प्रसंस्करण कंपनियां, अर्थात् पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट और 3एफ अपने-अपने राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर आँयल पाम का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहीं हैं। प्रमुख आँयल पाम उत्पादक राज्य-आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इस पहल में भाग ले रहे हैं।**
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान):** इस योजना का मकसद देशभर में सभी भूमिधारी किसान परिवारों को तय मानदंडों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वह कृषि और संबंधित गतिविधियों के साथ ही घरेलू जरूरत के खंड उठाने में सक्षम बन सके। इस योजना के तहत प्रत्येक चार-माह

में जारी की जाने वाली 2,000 रूपये की तीन किस्तों में कुल 6,000 रूपये सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किये जाते हैं। इसमें अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाया जा चुका है।

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिये सभी गैर-रोधक प्राकृतिक जोखिमों के समक्ष बुराई के पहले से लेकर फसल कटाई तक की अवधि के लिये एक सरल और किफायती व्यापक जोखिम कवर देने वाला फसल बीमा उपलब्ध कराने हेतु 2016 में इस योजना की शुरूआत की गई ताकि किसानों को पर्याप्त दावा राशि प्राप्त हो। वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत 1174.7 लाख किसानों के आवेदन दर्ज किये गये, जबकि आवंटित राशि 15,500 करोड़ रूपये रही।



- **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम - केएमवाई):** प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे बहुत कमज़ोर किसान परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। पीएम-केएमवाई अंशदान से जुड़ी योजना है जिसमें निष्कासन मानदंडों के तहत कुछ को छोड़कर, कोई भी छोटे और सीमांत किसान पेंशन कोष में मासिक अंशदान करके सदस्य बन सकते हैं। इतनी ही राशि का भुगतान केन्द्र सरकार भी करेगी। अब तक कुल 23.38 लाख किसानों ने इस योजना को अपनाया है।
- **कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला संस्थागत कर्ज वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 2023-24 में 20 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच गया। पशुपालन और मछली पालक किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिये अब किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर 4 प्रतिशत वार्षिक**

ब्याज दर का रियायती संस्थागत ऋण लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम- किसान के सभी लाभार्थियों को शामिल करने पर ध्यान देते हुये फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये रियायती संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **खेतीबाड़ी के काम में कड़ी मेहनत को हल्का करने और कृषि के आधुनिकीकरण के लिये कृषि कार्यों का यंत्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में कृषि यंत्रीकरण के लिये 6405.55 करोड़ रूपये आवंटित किये गये। इसी दौरान किसानों को सब्सिडी पर 15,23,650 मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराये गये।**
- **कृषि अवसंरचना कोष:** देश में कृषि बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार के लिये प्रोत्साहनों और वित्तीय समर्थन के माध्यम से फसल कटाई बाद प्रबंधन के बुनियादी ढांचे तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिये मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा खड़ी करने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना की शुरूआत की गई।
- **10,000 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:** भारत सरकार ने 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने और उनके संवर्धन के लिये केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की थी। एफपीओ का गठन और संवर्धन क्रियान्वयन एजेंसियों (आईए) के जरिये किया जायेगा जो नियमित आधार पर संबंधित एफपीओ के लिये बेहतर विपणन अवसरों तथा बाजार संपर्कों को सुनिश्चित करते हुये व्यवसाय योजना तैयार करने और उसे अमल में लाने सहित पांच साल की अवधि तक एफपीओ को पेशेवर तौर पर समर्थन देने के लिये शंकुल आधारित व्यवसायिक संगठनों को अपने साथ जोड़ा है। दिसम्बर 2023 तक नई एफपीओ योजना के तहत 7,774 संख्या में एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें 2,933 एफपीओ को 129.5 करोड़ रूपये का इक्विटी अनुदान जारी किया जा चुका है, वहाँ 994 एफपीओ को 226.7 करोड़ रूपये ऋण गरंटी करव भी जारी किया गया।
- **नमो ड्रोन दीदी:** सरकार ने 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिये 1261 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) हेतु ड्रोन उपलब्ध कराने की केन्द्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। योजना का लक्ष्य चयनित 14,500 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है जिन्हें वह कृषि कार्यों (उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव) के लिये किसानों को किराये पर सेवायें उपलब्ध करा सकेंगे।
- **वित्त वर्ष 2013-14 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का बजट परिव्यय 27,662.67 करोड़ रूपये था, जबकि 2023-24 के बजट अनुमान में यह पांच गुणा से अधिक बढ़कर 1,25,035.79 करोड़ रूपये हो गया। परिणामस्वरूप पिछले सात साल के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में प्रति वर्ष 4.4 प्रतिशत दर से वृद्धि हो रही है।**



# नकल विरोधी और पेपर लीक मुक्त परीक्षाओं के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता

भारत में अलग अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का आयोजन युवाओं के भविष्य और उनके रोजगार के अवसरों का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। जब इन परीक्षाओं में धांधली, नकल, पेपर लीक होने जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो इससे परीक्षा प्रबंधन प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बीते सात वर्षों में 70 से अधिक पेपरलीक की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद हमारे दो-तिहाई राज्य इस पर लगाम लगाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, झारखण्ड में जिस तरीके से हाल के वर्षों में परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक कांड सामने आए हैं, वह छात्र समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन है। ये अवसर की समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है जिससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक दृष्टिसंस्कृति पनपती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस समस्या से सख्ती से निपटें।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसका समाधान करके छात्रों के विश्वास की बहाली के लिए सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही आवश्यक था जिसको आयोग ने पर्याप्त सबूतों के बाद रद्द करने का फैसला किया, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो जाने की खबरों के बाद भर्ती बोर्ड ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त करके 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या ऐसा करने की योजना बनाने के आरोप में अब तक कुल 244 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की टीम और यूपी पुलिस इन मामलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

## पेपर लीक घटनाएं चिंता का विषय क्यों?

परीक्षाओं में पेपर लीक एक विकाराल समस्या होने के बाद भी हमारे दो-तिहाई राज्य नकल रोधी कानून बनाने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ तीन राज्यों उत्तराखण्ड, गुजरात और राजस्थान ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। इन तीनों राज्यों में एक साल के भीतर ये कानून बने हैं, जबकि सात अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ (2008), झारखण्ड (2001), यूपी (1998), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (1997), ओडिशा (1988) तथा महाराष्ट्र (1982) में पुराने नकल रोधी कानून हैं जो अपेक्षाकृत लचीले हैं। उदाहरण के लिए तीनों नए कानून जहां अपराधियों के लिए 10 साल कैद से आजीवन

कारावास और एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान करते हैं, वहीं पुराने कानून में एक से 7 साल तक सजा तथा चंद हजार रुपयों के जुर्माने का ही प्रावधान है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार अलग अलग विभागों में फैला है उस पर लगाम लगाए बिना नकल कराने वाले संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही कर पाना मुश्किल होगा।

## देश के अन्य हिस्सों में नकल विरोधी व्यवस्था विकसित करने के प्रयास:

- केंद्र सरकार के नकल विरोधी कानून को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने पब्लिक एजामिनेशन (प्रिवेशन ऑफ अनफेयर मींस) विधेयक, 2024 के जरिए देश की परीक्षा प्रणाली को नकल मुक्त बनाने की कार्यवाही की है, वहीं केंद्र के इस कानून में उत्तराखण्ड की भी झलक दिखाई दे रही है। हालांकि इस मामले में उत्तराखण्ड का कानून ज्यादा सख्त दिखाई देता है। दरअसल उत्तराखण्ड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए कानून को धरातल पर उतारा गया है। उत्तराखण्ड में पिछले 2 साल के दौरान ऐसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए जिसने राज्य में इसको लेकर नया कानून बनाने की जरूरत को महसूस कराया। इसके बाद 2023 में सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए राज्य में नए कानून को लागू करवाने में सफलता हासिल की।
- **उत्तराखण्ड में पेपर लीक का मामला:** सबसे पहले उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आई थी। साल 2021 दिसंबर में स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें करीब 190,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 916 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। विशेष बात यह है कि इन 916 अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बाद परीक्षा पेपर लीक होने की बात सामने आने लगी। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के समक्ष भी इसकी शिकायत की गई और कुछ तथ्य सामने आने के बाद 22 जुलाई 2022 को मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिसके बाद ही मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया। खास बात यह है कि जब एसटीएफ ने जांच शुरू की तो कई तथ्य सामने आने लगे और मामले में कई गिरफ्तारियां होने लगी। पता चला कि 15-15 लाख में एक पेपर बेचा गया। इस पूरे मामले पर 160 से ज्यादा अभ्यर्थियों के संदिग्ध होने की बात सामने आई।
- एसटीएफ की जांच के दौरान ही पता चला कि न केवल स्नातक

स्तरीय परीक्षा बल्कि सचिवालय, रक्षक फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, ज्यूडिशरी जैसी परीक्षाओं में भी धांधली की गई थी। मामले में एसटीएफ ने जांच आगे बढ़ाई और विभिन्न विभागों के कुछ कर्मचारियों की भी इसमें गिरफ्तारी होने लगी। इस दौरान 25 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। इसके अलावा हाकम सिंह के साथ ही छह आरोपियों की करीब 20 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई।

### उत्तराखण्ड में लागू है नकल विरोधी कानून:

- इन सभी स्थितियों के बीच प्रदेश में बेरोजगारों का विरोध भी शुरू हो गया और परीक्षाओं में पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलाफ़ की भी बात कही जाने लगीं। इन स्थितियों के बीच उत्तराखण्ड सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी। राज्य में प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को लागू किया गया जिसमें कठोर कानून का प्रावधान था। राज्य में 11 फरवरी 2023 को इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया, जबकि मार्च 2023 में उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 पास हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस कानून को देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बताया गया।
- इसके अलावा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश (1997 में एक्ट पारित किया गया), उत्तर प्रदेश (1998 में एक्ट पारित किया गया) और राजस्थान (2022 में एक्ट पारित किया गया) में भी नकल को रोकने के लिए इसी तरह के कानून हैं। गुजरात और उत्तराखण्ड में नकल विरोधी कानूनों में सजा के कड़े प्रावधान हैं।

### केंद्र सरकार और उत्तराखण्ड के नकल विरोधी कानून में तुलना:

उत्तराखण्ड में नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों को 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, वहीं केंद्र सरकार ने भी 10 साल की सजा तथा एक करोड़ का जुर्माना तय किया है। केंद्र सरकार के कानून के तहत पेपर लीक करने वाले माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने का है प्रावधान भी है, वहीं उत्तराखण्ड में पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थियों को भी परीक्षाओं से कुछ साल के लिए बाहर करने का नियम बनाया गया है। उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) कानून 2023 के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:

- उत्तराखण्ड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल करने या गलत साधनों का इस्तेमाल करते पाए जाने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
- यदि कोई व्यक्ति, सेवा देने वाली संस्था, प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान आदि गलत साधनों में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा।
- भर्ती परीक्षा का कोई अभ्यर्थी स्वयं नकल करते या कराते हुए

अनुचित साधनों में शामिल पाए जाने पर तीन साल की सजा और न्यूनतम पांच लाख जुर्माने का प्रावधान है।

- यदि वहीं अभ्यर्थी दूसरी बार भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में फिर दोषी पाया जाता है तो उस पर न्यूनतम 10 वर्ष की सजा और न्यूनतम 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- नकल करते पाए जाने पर आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चार्जशीट दाखिल होने की डेट से दो से पांच वर्ष के लिए उसे निलंबित किया जाएगा और दोषी साबित होने पर उस अभ्यर्थी को 10 वर्ष के लिए सभी परीक्षा देने से सस्पेंड कर दिया जाएगा, जबकि वहीं अभ्यर्थी दोबारा नकल करते पाया गया तो आरोप पत्र दाखिल करने से पांच से 10 साल के लिए निलंबित किया जाएगा और दोष साबित होने पर उसे आजीवन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया जाएगा।
- इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ घड़यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा व 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
- यह सजा गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल की गई है जिसमें दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी है।

### झारखण्ड में नकल विरोधी कानून की दिशा में कदम:

- झारखण्ड सहित देश के कई राज्यों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके बाद भी शिक्षा माफिया कानून का उल्लंघन करके इस व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। नकल की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में कठोर कानून बनाने की पहल की है जिसके तहत नकल करते पकड़े जाने या परीक्षा में अनियमितता पर 10 साल की सजा और एक करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा नकल विरोधी विधेयक लाए जाने से पहले झारखण्ड में इसको लेकर कानून बनाए गए हैं जिसके तहत आजीवन कारावास और 10 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है। केंद्र और झारखण्ड सरकार के नकल विरोधी कठोर प्रावधान पर नजर दौड़ाएं तो झारखण्ड ने अधिक सख्ती दिखाई है।

### निष्कर्ष:

प्रतियोगी छात्र सालों साल अपने घर से दूर रहकर इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वे अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकें। इसमें अधिकतर प्रतियोगी छात्रों का जुड़ाव बहुत ही साधारण परिवार से होता है जिसमें गरीब, किसान और मजदूर शामिल हैं। इन छात्रों के समर्पण और भावनाओं के साथ इस प्रकार का खिलाफ़ होना, प्रत्यक्ष रूप से कानून व्यवस्था के उल्लंघन का परिचायक है। यह शुचितापूर्ण शासन और भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था का मजाक है जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक कठोरतम कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि इन निर्दोष तथा कानून संगत कार्य करने वाले छात्रों का विश्वास भारत के सर्विधान में बना रहे।



## इसरो के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3डीएस और इसके भविष्य के मिशनों का महत्त्व

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र एक तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है जिसमें निवेश और व्यवसायों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता बनने की दृष्टि से भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना 1969 में हुई थी जिसने 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। उसके बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कई सफल मिशन लॉन्च किए हैं जिनमें मंगल ऑर्बिटर मिशन और चंद्रमा पर चंद्रयान मिशन शामिल हैं।

### सन्दर्भ:

हाल ही में इनसैट-3डीएस मौसम उपग्रह ले जाने वाले जीएसएलवी-एफ14 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। स्पेसपोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरने के लागभग 18 मिनट बाद, जीएसएलवी-एफ14 ने इनसैट-3डीएस को इच्छित जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया।

### मौसम विज्ञान उपग्रह और उसका महत्त्व:

- मौसम उपग्रह या मौसम विज्ञान उपग्रह एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका उपयोग मूर्ख रूप से पृथ्वी के मौसम और जलवायु की निगरानी के लिए किया जाता है। उपग्रह ध्रुवीय परिक्रमा (संपूर्ण पृथ्वी को अतुल्यकालिक रूप से कवर करना) या भूस्थैतिक (भूमध्य रेखा पर एक ही स्थान पर मंडराना) हो सकते हैं।
- यह तूफान प्रणलियों और अन्य बादल पैटर्न के विकास व दोलन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि मौसम संबंधी उपग्रह अन्य घटनाओं जैसे शहर की रोशनी, आग, प्रदूषण के प्रभाव, रेत तथा धूल के तूफान, बर्फ कवर, बर्फ मानचित्रण, सीमाओं, समुद्री धाराएँ और ऊर्जा प्रवाह का भी पता लगा सकते हैं।

### भारत में मौसम की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण उपग्रह:

- भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT)
- ओशनसैट (1, 2, 3)
- सरल (Saral)
- मेघा ट्रॉपिक्स
- कल्पना-1

### जीएसएलवी-एफ14 क्या है?

- जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) एक तीन चरण वाला 51.7 मीटर लंबा लॉन्च वाहन है जिसका उत्थापन द्रव्यमान 420 टन है।
- पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है जिसमें 139-टन प्रणोदक और चार पृथ्वी-भंडारण योग्य प्रणोदक चरण स्ट्रेपॉन हैं जो प्रत्येक में 40 टन तरल प्रणोदक ले जाते हैं।

- दूसरा चरण भी 40-टन प्रणोदक से भरा हुआ एक पृथ्वी-भंडारणीय प्रणोदक चरण है।
- तीसरा चरण एक क्रायोजेनिक चरण है जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की 15 टन प्रणोदक लोडिंग होती है।
- जीएसएलवी का उपयोग संचार, नेविगेशन, पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण और किसी अन्य स्वामित्व मिशन को करने में सक्षम विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान लॉन्च करने हेतु किया जा सकता है।
- जीएसएलवी या जियोसिंक्रोनस लॉन्च वाहन को अतीत में इसकी बार-बार विफलताओं के कारण भारतीय अंतरिक्ष का 'नॉटीबॉय' कहा गया था। हाल ही के सफल प्रक्षेपण के बाद जीएसएलवी - एफ14/ इनसैट-3डीएस मिशन निदेशक टॉमी जोसेफ ने कहा कि जीएसएलवी एक 'डिसप्लिंड बॉय' बन गया है।

### इनसैट 3डी और इसका महत्त्व:

- इनसैट-3डी उपग्रह भूस्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुर्वती मिशन है। जीएसएलवी-एफ14/ इनसैट-3डीएस मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा वित्त पोषित है। इसे मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन तथा भूमि और महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है।
- उपग्रह वर्तमान में चालू इनसैट-3डी और इनसैट-3डीआर उपग्रहों के साथ-साथ मौसम संबंधी सेवाओं को भी बढ़ाएगा। सेटेलाइट के निर्माण में भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इनसैट-3डीएस वर्तमान में संचालित इनसैट-3डी और इनसैट-3डीआर इन-ऑर्बिट उपग्रहों के साथ देश की मौसम संबंधी (मौसम, जलवायु तथा महासागर संबंधी) सेवाओं को बढ़ाएगा। नए लॉन्च किए गए इनसैट-3डीएस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागरों और पर्यावरण की निगरानी को बढ़ाना, डेटा संग्रह तथा प्रसार और उपग्रह-सहायता प्राप्त खोज एवं बचाव सेवाओं में क्षमताओं को बढ़ाना है। यह पहल भारत के मौसम, जलवायु और महासागर से संबंधित टिप्पणियों तथा सेवाओं को बढ़ावा देगी, साथ ही भविष्य में बेहतर आपदा शमन की तैयारियों पर कार्य करेगी।
- इनसैट-3डीएस उपग्रह से मौसम संबंधी डेटा का उपयोग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के संस्थानों में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय मध्यम-सीमा मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) तथा अन्य भारतीय एजेंसियां शामिल हैं। इससे भारत के मौसम व जलवायु की भविष्यवाणी तथा पूर्वानुमान, समय पर प्रारंभिक

चेतावनियाँ, मछुआरों और किसानों को समय पर जरूरी सूचनाएं देकर जनहित में कार्य किया जाता है।

### मिशन के प्राथमिक उद्देश्य:

- पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्री अवलोकन करके उसके पर्यावरण का संचालन करना।
- बायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल प्रदान करना।
- डेटा संग्रह प्लेटफार्म (डीसीपी) से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना।
- उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव सेवाएँ प्रदान करना।
- इनसैट-3डी उपग्रह वर्तमान में संचालित इनसैट-3डी और इनसैट-3डीआर इन-ऑर्बिट उपग्रहों के साथ मौसम संबंधी सेवाओं को बढ़ाएगा।

### इसरो के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह अंतरिक्ष विभाग (DoS) की प्राथमिक अनुसंधान और विकास शाखा के रूप में कार्य करता है जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसरो के अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्ष-आधारित संचालन, अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है।

### भारत के विकास में इसरो का महत्व:

- भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में संपूर्ण क्षमताओं के साथ अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में पांचवें स्थान पर है जिसमें पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और नेविगेशन तथा जमीनी बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों को संचालित करने की क्षमता भी शामिल है।
- अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति के लिए इसरो की परियोजना से बड़ी संख्या में स्पिनऑफ प्रौद्योगिकियाँ प्राप्त होंगी जो हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाएंगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति ने समाज में, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संचार, प्रसारण, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और सुरक्षा तथा भूमि और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पैदा किया है।

### इसरो के भविष्य के मिशन:

- चंद्रयान 3 मिशन की सफलता तथा भारत के पहले सौर अवलोकन मिशन आदित्य एल1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक और साहसिक कार्य के लिए तत्पर है। इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की एक श्रृंखला शुरू करके बाहरी अंतरिक्ष के बारे में भारत की समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उत्साहित है।
- नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) नासा और इसरो के बीच एक सहयोगी परियोजना का प्रतिनिधित्व करता है। इस मिशन का लक्ष्य एक दोहरी-आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च

करना है जिसका उपयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। यह मिशन जनवरी 2024 में लॉन्च होने वाला है। यह उपग्रह 12 दिनों में दुनिया का नक्शा तैयार करेगा जिसके माध्यम से स्थानिक और अस्थायी रूप से व्यवस्थित डेटा प्रदान करेगा। यह डेटा पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी व भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों को समझने में सहायता करेगा।

➤ गगनयान का पहला मिशन इसरो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाना निर्धारित है जिसका इरादा भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का आधार बनना है। गगनयान 1 (जो तीन चालक दल के सदस्यों को समायोजित करने के लिए एक परीक्षण उड़ान सेट के रूप में कार्य करता है) भारत को अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार करेगा।

➤ मंगलयान-2 को मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 (MOM 2) के नाम से भी जाना जाता है। यह इसरो का दूसरा मंगल ग्रह मिशन होगा। इस मिशन का उद्देश्य सतह, बायुमंडल और जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करना है। मंगल सतह की संरचना का अध्ययन करने के लिए एमओएम 2 ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे सहित वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा। यह मंगल के चुबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक मैग्नेटोमीटर और मंगल की सतह का मानचित्रण करने हेतु रडार से भी सुसज्जित है।

➤ एक्स-रे पोलारिमीटर सेटेलाइट को 2024 में कक्षा में लॉन्च करना निर्धारित है। इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण की जांच करना है। इस उपग्रह को कम से कम पांच वर्षों तक चालू रहने के लिए डिजाइन किया गया है जिसका उपयोग पल्सर, ब्लैक होल से जुड़े एक्स-रे बायनेरिज, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक और गैर-थर्मल सुपरनोवा अवशेषों का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा।

➤ वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत, इसरो ने शुक्र ग्रह की कक्षा में जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बनाई है। शुक्र ग्रह के लिए किसी मिशन की योजना बनाने का यह भारत का पहला प्रयास होगा जिसका प्रक्षेपण दिसंबर 2024 या 2025 के लिए निर्धारित है। पांच साल तक शुक्र की परिक्रमा करने वाले इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है।

### निष्कर्ष:

भारत की बढ़ती लॉन्चिंग क्षमताएं, अन्य देशों को भारतीय धरती से अपने उपग्रह लॉन्च करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसरो के ध्रुवीकरण उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) और आगामी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के साथ भारत, अन्य देशों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने हेतु अच्छी स्थिति में है। उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग और पृथ्वी अवलोकन सेवाओं की बढ़ती मांग कंपनियों हेतु इन अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह विकसित करने तथा लॉन्च करने का अवसर प्रस्तुत करती है। सटीक और वास्तविक समय डेटा की बढ़ती मांग के साथ, आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

# विधि आयोग द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 की व्यापक समीक्षा के मायने

## संदर्भ:

हाल ही में 22वें विधि आयोग ने सरकार को 'महामारी रोग अधिनियम, 1897 शीर्षक की एक व्यापक समीक्षा' रिपोर्ट संख्या 286 प्रस्तुत किया है जिसमें मौजूदा कमियों को दूर करने या एक नया व्यापक कानून बनाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन का सुझाव दिया है। आयोग ने भविष्य की महामारियों और नए संक्रामक रोगों या मौजूदा रोगजनकों के प्रकारों में भेद करने के लिए मौजूदा कानून की क्षमता में प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया।

## परिचय:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। हालांकि, भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। महामारी रोग अधिनियम खतरनाक महामारी रोगों के संचरण की रोकथाम के लिए मुख्य विधायी फ्रेमवर्क है।
- भारत ने हाल के दिनों में कई संक्रामक रोगों के बड़े प्रकोपों का सामना किया है, इसलिए महामारी रोग अधिनियम 1897 और वर्तमान संदर्भ में इसके महत्व का गंभीर मूल्यांकन करना आवश्यक है।

## भारत में महामारी:

भारत में महामारी से प्रभावित होने का एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें 19वीं से 21वीं सदी के समय में बड़े स्तर पर इसके प्रकोप को देखा गया है। आइये इससे सम्बंधित समयकाल की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं:

- **19वीं शताब्दी:** 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कई हैजा महामारियां देखी गईं जिसका प्रकोप लगभग हर दशक में होता था। 1896 की बॉम्बे प्लेग महामारी ने सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों के कारण एक महत्वपूर्ण घटना को चिह्नित किया।
- **20वीं सदी:** 20वीं सदी की शुरुआत में 1918 की स्पैनिश फ्लू महामारी और वर्ष 1994 में सूरत प्लेग महामारी ने व्यापक तबाही मचाई जिसके बाद 20वीं सदी के मध्य में पोलियो तथा चेचक की महामारी हुई जिससे व्यापक स्तर पर जन धन हानि हुई।
- **21वीं सदी:** इस शताब्दी की शुरुआत में वर्ष 2003 में SARS, वर्ष 2006 में डेंगू और वर्ष 2009 में एच1एन1 फ्लू महामारी जैसे प्रकोपों के साथ नई चुनौतियाँ लेकर आई। अन्य उल्लेखनीय प्रकोपों में 2005 में मेनिंगोकोकल मेनिन्जाइटिस और 2006 में चिकनगुनिया शामिल थे। वर्ष 2014 में ओडिशा पीलिया महामारी जैसे क्षेत्र-विशिष्ट प्रकोपों ने संक्रामक रोगों के चल रहे खतरे को रेखांकित किया।
- **वर्ष 2015 के बाद:** वर्ष 2018 में निपाह वायरस जैसी नई बीमारियों के उभरने से अनोखी चुनौतियों का सामना किया गया जिसके लिये त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं की

आवश्यकता थी। इन प्रकोपों के दौरान निगरानी, रोकथाम और जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। नियंत्रण उपायों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा तक शामिल थे।

- स्वास्थ्य सेवा में प्रगति के बावजूद अभी भी चुनौतियाँ बनी रही हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व, शहरीकरण और रोग संचरण में योगदान देने वाले सामाजिक आर्थिक कारक शामिल हैं। हालांकि, सफल रोकथाम प्रयासों जैसे कि निपाह प्रकोप के मामले में संक्रामक रोगों के प्रभाव को कम करने में समन्वित प्रतिक्रियाओं और सामुदायिक भागीदारी के महत्व का प्रदर्शन किया।

## महामारी रोग अधिनियम क्या है?

- महामारी रोग अधिनियम, 1897 पहली बार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बॉम्बे में व्यूबोनिक प्लेग से निपटने के लिए पेश किया गया था।
- यह प्रशासकों को महामारी की रोकथाम के उपायों को लागू करने का अधिकार देता है और प्रकोप के दौरान बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

## महामारी रोग अधिनियम में संशोधन:

- अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का प्रभावी ढंग से जबाब देने की सरकार की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया गया था। महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को 14 सितंबर, 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक महामारी रोगों का मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा को शामिल करने हेतु अधिनियम में संशोधन करके ऐसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करता है।

## संशोधन की मुख्य विशेषताएं:

- यह विधेयक हेतु विधेयक सर्विस कर्मियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें महामारी से संबंधित कार्यों को पूरा करते समय महामारी की बीमारी से संक्रमित होने का खतरा होता है। इसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं:
  - » सार्वजनिक और नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर व नर्स आदि।
  - » बीमारी के प्रकोप को रोकने हेतु उपाय करने के लिए अधिनियम के तहत सशक्त व्यक्ति को मान्यता।
  - » राज्य सरकार द्वारा इस तरह के रूप में नामित अन्य व्यक्ति।
- **स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा:** विधेयक स्वास्थ्य कर्मियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ हिंसा का कार्य एक दंडनीय अपराध बनाया गया है।
- **केंद्र सरकार की शक्ति:** विधेयक किसी भी बस, ट्रेन, माल वाहन, जहाज या विमान के किसी बंदरगाह या हवाई अड्डे से

- निकलने या पहुंचने के निरीक्षण को विनियमित करने हेतु केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करता है।
- **प्रवर्तन:** यह अधिकारियों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टर्सिंग, मास्क पहनने और अन्य निवारक उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों को लागू करने का अधिकार देता है।
  - इस संशोधन से अधिकारियों को कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों तथा कानूनी शक्ति से लैस करने हेतु डिजाइन किया गया था।

### विधि आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- भारत के विधि आयोग ने अपनी 286वीं रिपोर्ट में महामारी रोग अधिनियम, 1897 को संशोधित करने की सिफारिश किया। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान रखकर डिजाइन किए गए मौजूदा कानून में आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के प्रावधानों का अभाव है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी रोगों के प्रबंधन और रोकथाम को पुराने कानून तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसने स्पष्ट परिभाषाओं, शक्तियों के सीमांकन और भविष्य के स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा।

### आयोग की सिफारिशें:

#### स्पष्ट परिभाषाएँ:

- आयोग ने 'महामारी और प्रकोप' जैसे शब्दों के लिए स्पष्ट परिभाषाएं प्रस्तावित किया।
- केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच शक्तियों का सीमांकन सूक्ष्म स्तर तक होना चाहिए।
- रोगों के प्रत्येक चरणों को सटीक परिभाषा की आवश्यकता होती है।

#### क्वारंटाइन और आइसोलेशन:

- 'क्वारंटाइन' और 'आइसोलेशन' के बीच के अंतर को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- महामारी रोग विधेयक, 2023 के प्रावधानों को अपनाने पर विचार करना।

#### सोशल डिस्टेंसिंग और शारीरिक दूरी:

- कोविड-19 नियमों को स्वीकार करते हुए आयोग ने 1897 अधिनियम के भीतर 'सोशल डिस्टेंसिंग' को परिभाषित करने की सिफारिश की।
- इसके बजाय 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया।

#### तैयारी और समन्वय:

- महामारी की स्थिति समन्वित कार्यवाही की मांग करती है।
- असंगठित प्रयासों से भ्रम पैदा होता है जिसके लिए एक पूर्व नियोजित तंत्र आवश्यक है।
- केंद्र सरकार को संबंधित विभागों और अधिकारियों के परामर्श से एक महामारी योजना बनानी चाहिए।

#### दिशानिर्देश और प्रावधान:

- भारतीय बंदरगाह स्वास्थ्य नियम, 1955 के साथ संस्थित व्यापक क्वारंटाइन और आइसोलेशन दिशानिर्देश देना।

- रोग निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ लॉकडाउन प्रतिबंधों को संबोधित करना। गैर-अनुपालन के लिए दंड को मजबूत करना।

### महामारी का प्रबंधन करने हेतु कानून की आवश्यकता क्यों?

- **तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण:** महामारी तेजी से फैल सकती है जिससे बड़ी आबादी प्रभावित होती है। ये अधिनियम तुरंत प्रतिक्रिया देने, निवारक उपायों को लागू करने और प्रक्रोपों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचे प्रदान करते हैं।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय:** ये अधिनियम अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों जैसे क्वारंटाइन और आइसोलेशन को लागू करने के लिये सक्षम बनाते हैं। वे अस्पतालों, परीक्षण केंद्रों और उपचार सुविधाओं सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की अनुमति देते हैं।

- **समन्वय और प्राधिकरण:** स्पष्ट कानूनी प्रावधान केंद्रीय, राज्य और स्थानीय अधिकारियों सहित विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। इस दौरान भ्रम को कम करने और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक होते हैं।

- **प्रवर्तन के लिये कानूनी समर्थन:** यह अधिनियम आंदोलन, लॉकडाउन और अन्य आवश्यक उपायों पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है। वे अधिकारियों को बिना देरी के निर्णयक कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं।

- **दंडात्मक उपाय:** अधिनियम में गैर-अनुपालन के खिलाफ दंड के प्रावधान और दिशानिर्देशों के पालन को मजबूत करना शामिल है। यह सख्त प्रवर्तन जोखिम भरे व्यवहार को हतोत्साहित करके सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

- **बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलनशीलता:** महामारी आने से नई बीमारियाँ सामने आती हैं। समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिनियमों में यह संशोधन या अद्यतन किया गया है।

### निष्कर्ष:

भारत में महामारी का सामना करने का एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें हैजा, इन्फ्लूएंजा, डेंगू और चेचक जैसी बीमारियां शामिल हैं। इन प्रक्रोपों का महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है जो समाज के शारीरिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करता है। विधि आयोग द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 में प्रस्तावित परिवर्तन आगे एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना, अनुसंधान और निगरानी में निवेश करना, स्थानीय समुदायों को शामिल करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना आदि भविष्य के प्रक्रोपों के दौरान तैयारियों को बढ़ावा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा जिससे भारतीय लोगों के जीवन पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

# राष्ट्रीय मुद्दे

## 1 धन विधेयक और संवैधानिक चुनौती

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख कानून पारित करने के लिए सरकार द्वारा धन विधेयक का टैग लगाने की चुनौती को स्पष्ट नहीं किया। यह मुद्दा न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है जिसका गठन होना बाकी है।

### धन विधेयक की संवैधानिक स्थिति:

- धन विधेयक संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक के रूप में नामित किसी विधेयक को केवल लोकसभा से सहमति की आवश्यकता होती है।
- किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड में अनुच्छेद 110 के अनुसार, कराधान, वित्तीय दायित्वों या इन विषयों से जुड़े मामलों जैसे कुछ विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में योग्य है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

### धन विधेयक का महत्व:

- धन विधेयक के माध्यम से 'वित्त अधिनियम' के हालिया अधिनियमों (जिसमें महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन भी शामिल हैं) ने वर्तमान में संवैधानिक समस्याएं बढ़ा दी हैं।
- ऐसे अधिनियम संबंधी चुनौतियों के कारण कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता पर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं।

### उच्चतम न्यायालय के विगत निर्णय:

- वर्ष 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने धन विधेयक के रूप में पारित होने से संबंधित चुनौतियों के बावजूद, आधार अधिनियम को संवैधानिक माना था।
- असहमतिपूर्ण राय ने धन विधेयक मार्ग के दुरुपयोग और विधायी प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को उजागर किया था।
- इसके लिए वित्त अधिनियम, 2017 से संबंधित एक अन्य चुनौती को धन विधेयक के रूप में इसकी वैधता पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

### वर्तमान स्थिति:

- धन विधेयक मार्ग से पारित संशोधनों की चुनौतियाँ बड़ी पीठ के निर्णय के लंबित रहने तक अनसुलझी बनी रहती हैं।
- हालिया फैसले, जैसे कि चुनावी बांड योजना को सुविधाजनक बनाने वाले संशोधनों को रद्द करना, धन विधेयक से संबंधित मुद्दे को रेखांकित करता है।

### आगे की राह:

धन विधेयक की परिभाषा पर सात न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय धन विधेयक टैग से पारित कानून का भविष्य की चुनौतियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है जिसमें आधार अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे कानून शामिल हैं।

## 2 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग

### चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेरय पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने पहले घोषित भाजपा उम्मीदवार के बजाय आप-कांग्रेस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया। पूर्व नतीजों को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को प्रदत्त व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल किया।

### अनुच्छेद 142 के बारे में:

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है जहां कभी-कभी कानून या कोई उपाय न्याय प्रदान नहीं कर सकते हैं।
- ऐसे मामलों में, न्यायालय किसी विवाद को मामले की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सामान्य सीमा से आगे जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में ऐसा कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे आदेश संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या भारत के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार भारत के पूरे क्षेत्र में लागू करने योग्य हैं।

### न्यायालय द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करने की प्रक्रिया:

- जबकि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ व्यापक प्रकृति की हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने समय के साथ अपने निर्णयों के माध्यम से इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है।
- प्रेम चंद गर्ग मामले में, बहुमत की राय ने अनुच्छेद 142(1) के तहत न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग की रूपरेखा को यह कहकर सीमांकित किया कि 2 पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने का आदेश 'न केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी के अनुरूप होना चाहिए। बल्कि यह प्रासांगिक वैधानिक कानूनों के मूल प्रावधानों के साथ असंगत भी नहीं होना चाहिए।'

### न्यायालय द्वारा दिये गये अनु 142 के तहत प्रमुख निर्णय:

- यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा एवं इस मामले में कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया।

- बाबरी मस्जिद केस: इस अनुच्छेद का उपयोग राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में किया गया था जिसने विवादित भूमि को केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

### आलोचना:

- विधायिका और कार्यपालिका के विपरीत, न्यायपालिका को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।
- शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर शक्ति की आलोचना की गई है।

### पूर्ण न्याय की परिभाषा:

- आगे यह तर्क दिया गया है कि पूर्ण न्याय शब्द की मानक परिभाषा के अभाव के कारण न्यायालय के पास व्यापक वैधिकाधिकार है।

### अनुच्छेद 142 पर सीमाएँ:

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति की कुछ सीमाएँ हैं। इस अनुच्छेद के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय यह माना गया कि:

- अदालत को मौजूदा कानून के तहत वादी के मूल अधिकारों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
- इस शक्ति का उपयोग किसी मामले पर लागू मूल कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- व्यक्ति वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

### आगे की राह:

इन व्यापक शक्तियों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा की तथा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में बनाए रखने का उदाहरण प्रस्तुत किया।

## 3 बच्चा गोद लेने का अधिकार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गोद लेने के नियमों में बदलाव को मान्यता दिया।

### पृष्ठभूमि:

- अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों को गोद लेने का अधिकार भावी दत्तक माता-पिता का मौलिक अधिकार नहीं है। यह फैसला दो बच्चों वाले माता-पिता को 'सामान्य बच्चा' गोद लेने से रोकने वाले नियमों से संबंधित एक मामले की प्रतिक्रिया में आया।
- अदालत ने दो जैविक बच्चे होने के बाद तीसरे बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखने वाले कई संभावित माता-पिता द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इन याचिकाओं में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के एक फैसले को चुनाती दी गई थी जिसने 2022 के दत्तक ग्रहण विनियमों के रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने की पुष्टि की थी।

### भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के बारे में:

- भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) एक गैर-ईंजेंसी व्यक्ति होता है जो बच्चे को गोद लेने में रुचि रखता है। भावी दत्तक माता-पिता को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए। उनके जीवन को खतरे में डालने वाली कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं होनी चाहिए तथा उन्हें किसी भी प्रकृति के आपराधिक कृत्य में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए।

### भारत में गोद लेने से संबंधित कानून:

- भारत में दत्तक ग्रहण दो कानूनों 'हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (एचएएमए)' और किशोर न्याय अधिनियम, 2015' द्वारा शासित होते हैं।
- दोनों कानूनों में दत्तक माता-पिता के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड हैं।
- जुवानाइल जस्टिस अधिनियम के तहत आवेदन करने वालों को CARA के पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है जिसके बाद एक विशेष गोद लेने वाली एंजेंसी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करती है।
- जब यह पता चलता है कि उम्मीदवार गोद लेने के लिए योग्य है, तो गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए बच्चे को आवेदक के पास भेज दिया जाता है।
- एचएएमए के तहत, एक 'दत्तक होम' समारोह या एक गोद लेने का विलेख या एक अदालत का आदेश अपरिवर्तनीय गोद लेने के अधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है।

### भारत में गोद लेने से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- लंबी और जटिल गोद लेने की प्रक्रिया: भारत में गोद लेने की प्रक्रिया लंबी, नौकरशाही और जटिल होती है जिससे बच्चों को उपयुक्त परिवारों में रखने में देरी हो सकती है।
- अवैध और अनियमित प्रथाएँ: भारत में अवैध और अनियमित गोद लेने की प्रथाओं को देखा जा सकता है जिसमें सुधार की जरूरत है।
- गोद लेने के बाद बच्चों को लौटाने वाले माता-पिता की संख्या में भी असामान्य वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।

### कारा (CARA) के बारे में:

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। CARA को देश में और अंतर-देश में गोद लेने की निगरानी तथा विनियमन करने का अधिकार दिया गया है।

### आगे की राह:

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, इसे अधिक पारदर्शी बनाने और बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने के कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसमें कागजी कार्यावाही को सरल बनाना, देरी को कम करना और मौजूदा कानून में किसी भी खामी या अस्पष्टता को दूर करना, समय की मांग है।

## 4 संगम: डिजिटल ट्रिवन पहल

### चर्चा में क्यों?

दूसरंचार विभाग (DoT) ने 'संगम: डिजिटल ट्रिवन' पहल की शुरूआत किया है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना को नया आकार देने की दिशा में एक कदम है। यह पहल विभिन्न क्षेत्रों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती है जो भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

### संगम डिजिटल ट्रिवन पहल के बारे में:

- 'संगम: डिजिटल ट्रिवन' पहल भौतिक संपत्तियों की आधारी प्रतिकृतियां बनाते हुए डिजिटल ट्रिवन तकनीक का लाभ उठाती है।
- यह हितधारकों को बुनियादी ढांचे की निगरानी, अनुकरण और विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है जिससे अनुकूल तथा नवीन परिणामों का मार्ग प्रशस्त होता है।

### व्यापक प्रभाव के लिये दो चरण:

- यह पहल रचनात्मक अन्वेषण और व्यावहारिक प्रदर्शन को मिलाकर दो चरणों में शुरू होती है। खोजपूर्ण चरण आविष्कारी सोच को प्रोत्साहित करता है, जबकि अगला चरण वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों पर केंद्रित होता है।
- इस दोहरे दृष्टिकोण का उद्देश्य संचार, गणना और सेंसिंग प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति के साथ तालमेल बिठाते हुए भविष्य की बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में सहयोग के लिए एक खाका तैयार करना है।

### सहयोगात्मक समाधानों के लिए तकनीकी एकीकरण:

- संगम: डिजिटल ट्रिवन 5जी, आईओटी, एआई, एआर/वीआर, एआई-नेटिव 6जी, डिजिटल ट्रिवन और अगली पीढ़ी की कम्प्यूटेशनल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके पारंपरिक सीमाओं से परे कार्य करता है।
- यह समग्र एकीकरण को तोड़ता है और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जिससे एक सहयोगात्मक प्रतिमान बदलाव सामने आता है।

### अवधारणा-बोध अंतर को कम करना:

- यह पहल बुनियादी ढांचे के विकास में एक सतत चुनावी, अवधारणा और कार्यान्वयन के बीच के अंतर को संबोधित करती है। 'संगम' का उद्देश्य नवीन विचारों को व्यावहारिक समाधानों में बदलना है और एक नए युग की शुरूआत करना है जहां तकनीकी प्रगति मूल रूप से बुनियादी ढांचे में वृद्धि में तब्दील हो जाती है।

### समग्र नवाचार को प्रोत्साहित करना:

- संगम नवाचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, हितधारकों को एकजुट होने और एकीकृत डेटा तथा सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने का आग्रह करता है। तकनीकी प्रगति के मूल्य को अधिकतम करने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर, इस पहल का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है।

### व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रदर्शित करना:

- संगम: डिजिटल ट्रिवन नवोन्मेषी बुनियादी ढांचा नियोजन समाधानों के व्यावहारिक कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है। सहयोग के लिए एक मॉडल ढांचा प्रदान करके, यह भविष्य की परियोजनाओं में स्केलेबल और सफल रणनीतियों के लिए मंच तैयार करता है।
- दूसरंचार विभाग ने उद्योग जगत के अग्रदूतों, स्टार्टअप्स, एमएसएम्स, शिक्षाविदों, इनोवेटर्स और विचारकों को पूर्व-पंजीकरण करने तथा संगम के आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया है। यह समावेशी दृष्टिकोण बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन में परिवर्तनकारी यात्रा को बढ़ावा देने की पहल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

### आगे की राह:

संगम: डिजिटल ट्रिवन तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रगति का एक प्रतीक बनकर उभरा है। यह पहल बुनियादी ढांचे के भविष्य को नया आकार देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है जहां विचार मूल रूप से समाधान में बदल जाते हैं जो देश को तकनीकी रूप से उन्नत और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाते हैं।

## 5 राजनीति का अपराधीकरण

### चर्चा में क्यों?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने रिपोर्ट में कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में 36 प्रतिशत राज्यसभा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए 59 में से 58 उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया जिनमें से 17% व्यक्तियों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं।

### राजनीति के अपराधीकरण के कारण:

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 की धारा 8 दो साल या उससे अधिक की सजा वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अवोग्य घोषित करती है, लेकिन विचाराधीन लोग चुनाव लड़ने के पात्र बने रहते हैं।
- **बाहुबल और धनबल का उपयोग:** गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार अपनी खराब सार्वजनिक छवि के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं जिसका मुख्य कारण अपने स्वयं के चुनावों को वित्तपोषित करने और विभिन्न चुनावी गतिविधियों हेतु अपनी संबंधित पार्टियों को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता है।
- **बोट बैंक:** राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को लुभाने के लिए कैबिनेट पद दिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी ताकत और धन से महत्वपूर्ण बोट मिलते हैं।

### राजनीति के अपराधीकरण के निहितार्थ:

- यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध है जो कि लोकतंत्र का आधार है।

- बड़ी समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं जिससे सुशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता कम होती है।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये गलत प्रवृत्तियाँ भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती हैं।
- काले धन के प्रचलन से राजनेताओं के लिए वोट खरीदना और अपना पद सुरक्षित करना आसान हो जाता है जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां भ्रष्ट आचरण सामान्य हो जाता है तथा राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है।
- यह समाज में हिंसा को बढ़ावा देता है और युवाओं के अनुसरण के लिए एक अवैधानिक मिसाल कायम करता है तथा शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कम करता है।

### आगे की राह:

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के कारण आरपीए 1951 में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिनके खिलाफ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध लंबित है। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और न्यायपालिका को गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने से राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्ट तथा आपराधिक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है।

6

## महिला असमानता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को इस आधार पर नौकरी से बर्खास्त करना कि उसने शादी कर लिया है, लैंगिक भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देना है।

### पृष्ठभूमि:

- एक पूर्व सैन्य नर्स जिसे सेना के उस आदेश के तहत सेवा से हटा दिया गया था जिसमें इस तरह की कार्यवाही के लिए विवाह को आधार बनाया गया था।
- समाप्ति आदेश 1977 के सेना निर्देश के तहत पारित किया गया था जिसका शीर्षक था ‘सैन्य नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन देने के लिए सेवा के नियम और शर्तें’, जिसे बाद में 1995 में वापस ले लिया गया था।
- मार्च 2016 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी), लखनऊ द्वारा आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसमें उसे पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था। उस वर्ष अगस्त में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील को चुनौती दी थी लेकिन अपील खारिज कर दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पूर्व सैन्य नर्स को 60 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

**कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दे:**

- समान कार्य के लिए महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। इससे अवसाद हो सकता है जिससे महिलाओं का निजी जीवन प्रभावित हो सकता है।
- महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जिससे उनके करियर को आगे बढ़ावा मुश्किल होता है। यह उत्पीड़न महिलाओं को काम करने से भी रोक सकता है।
- महिलाओं को कई तरह से लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है जिसमें पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया जाना या मालिकों द्वारा गलत व्यवहार किया जाना शामिल है।
- कार्यस्थल पर प्रजनन संबंधी खतरों के संपर्क में आने से महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है या नौकरी छूट सकती है।
- रूढ़िवादी लैंगिक पूर्वाग्रह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

### हालिया पहल:

- **स्थायी आयोग (पीसी):** आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और सैन्य नर्सिंग सेवा सहित 11 सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग प्रदान करना।
- **महिला कैडेटों की भर्ती:** राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला कैडेटों को शामिल करना।
- **कमांड नियुक्तियाँ:** महिला अधिकारियों को कमांड नियुक्तियाँ देना।
- महिलाओं को अग्निवीर के तहत सेना में अवसर देना।

### आगे की राह:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हालिया फैसले से सवैधानिक अधिकारों की प्राथमिकता सुनिश्चित होती है जिससे महिला समानता, लैंगिक भेदभाव का अंत और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है।

7

## सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन को अधिसूचित किया है जिसमें कहा गया था कि सरोगेसी से गुजरने वाले जोड़ों के पास इच्छुक जोड़े में से दोनों युग्मक होने चाहिए।

### इस संशोधन के बारे में:

- नवीनतम संशोधन के अनुसार, दंपत्ति सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन इच्छुक दंपत्ति के पास कम से कम एक युग्मक होना चाहिए।
- जिला मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित कर सकता है कि इच्छुक जोड़े में से कोई भी पति या पत्नी ऐसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है जिसके लिए डोनर गैमेट के उपयोग की आवश्यकता होती है, तो शर्त के अधीन डोनर गैमेट का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति दी जाती है।

- इसके अलावा, सरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिलाओं (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए स्व-अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा।

### संशोधन की पृष्ठभूमि:

- केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मकों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में इच्छुक जोड़े के अंडे और शुक्राणु दोनों के उपयोग पर जोर दिया गया, जबकि सरोगेसी नियमों में दाता अंडे के उपयोग की अनुमति है, लेकिन शुक्राणु की नहीं।
- मार्च 2023 की अधिसूचना को मेयर-रोकिटांस्की-कुस्टर-हॉसर (एमआरकोएच) सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जो एक दुर्लभ जन्मजात विकार है। यह प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है जो बांझपन का कारण बन सकता है।

### एकल महिलाओं के लिए सरोगेसी:

- अधिनियम केवल दो श्रेणियों की एकल महिलाओं को सरोगेसी की अनुमति देता है। इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया जो विधवा हैं या तलाकशुदा। इन मामलों में भी नियम यह निर्धारित करता है कि महिला के स्वयं के अंडों का उपयोग किया जाना चाहिए, इसे हालिया अधिसूचना में भी रेखांकित किया गया था।
- कई लोग सरोगेसी की पात्रता के साथ वैवाहिक स्थिति के संबंध


को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा, माँ के स्वयं के अंडों के उपयोग को अनिवार्य करने वाले प्रावधान की भी सिफारिश की गई है।

- एकल व्यक्तियों, लिव-इन जोड़ों और एलजीबीटीक्यू जोड़ों के लिए सरोगेसी तक पहुंच पर प्रतिबंध की भी आलोचना की गई है।

### आगे की राह:

सरोगेसी महज एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन को इस दुनिया में लाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए इससे जुड़े कई नैतिक पहलुओं से निपटना जरूरी है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए है जिनका गर्भाशय नहीं है या असामान्य है या किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भाशय को हटा दिया गया है। इसका लाभ उन महिलाओं द्वारा भी उठाया जा सकता है जो ऐसी स्थितियों से जूझ रही हैं जिनके लिए गर्भावस्था को बनाए रखना असंभव है। महिलाओं को अनावश्यक रूप से सरोगेसी का विकल्प नहीं चुनना चाहिए क्योंकि इसमें कई जटिलताएँ होती हैं। जैसे कि बच्चे को सरोगेट की प्रतिरक्षा प्रणाली विरासत में मिलती है और शुरुआती महीनों के दौरान उसे माँ का दूध नहीं मिल पाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरोगेसी गर्भ परिवेश के माध्यम से बच्चे का दीर्घकालिक स्वास्थ्य सरोगेट माँ के पोषण और हार्मोन पर भी प्रभाव डालती है।


  
**नया बैच प्रारंभ**  
OFFLINE & ONLINE



# UP-PCS

PRE-CUM-MAINS
HINDI / ENGLISH MEDIUM

**28 MARCH 2024**

**8 AM & 5:30 PM**

**3 DAYS CLASS FREE**

**113/154 SWAROOP NAGAR, KANPUR**

**7887003962 / 7897003962**



# अंतर्राष्ट्रीय मुद्रे



## 1 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 119वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्थापित करने का सुझाव भारत और फ्रांस ने दिया था।

### आईएसए के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक अंतरसरकारी संगठन है जिसे 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (UNFCCC) के 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP21) में लॉन्च किया गया था।
- **विज्ञ:** आईए हम सब मिलकर सूर्य को उज्ज्वल बनाएं।
- **मिशन:** हर घर, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, घर में रोशनी होगी।

### आईएसए की 'टुवाइर्स 1000' रणनीति का उद्देश्य:

- 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना।
- स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना।
- 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।
- हर साल 1000 मिलियन टन CO<sub>2</sub> के वैश्वक सौर उत्सर्जन को कम करना।
- **सदस्यता:** संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब आईएसए में शामिल होने के पात्र हैं।
- वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आते, मतदान के अधिकार के अपवाद के साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं।
- **मुख्यालय:** भारत का राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया।

### आईएसए की परियोजनाएं:

#### एक सूर्य, एक विश्व, एक प्रिड (OSOWOG)

- OSOWOG का विचार पहली बार भारत द्वारा 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की पहली असेंबली के दौरान दिया गया था।
- यह आईएसए का एक हिस्सा है और एक अंतरराष्ट्रीय बिजली प्रिड है जो दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करता है।
- **उद्देश्य:** परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वैश्वक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और सौर ऊर्जा हस्तांतरण के लिए एक सामान्य प्रिड के निर्माण पर वैश्वक सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
- **विज्ञ:** सूर्य कभी अस्त नहीं होता।

### सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (स्टार सी) पहल:

- यह विकासशील सदस्य देशों में क्षमता निर्माण और संस्थागत मजबूती की पहल है।
- इसका उद्देश्य सदस्य देश की आबादी के बीच ऊर्जा परिवर्तन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, रोजगार पैदा करने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए वांछित मानव क्षमता तथा कौशल विकसित करना है।
- स्टार केंद्र सौर ऊर्जा पर प्रौद्योगिकी, ज्ञान और विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देश के लिए एक पसंदीदा स्थान हैं।

### आगे की राह:

आईएसए में नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर, भारत सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। आईएसए के जरिए भारत तीसरी दुनिया के देशों में खुद को एक लीडर के तौर पर पेश कर सकता है।

## 2 अमेरिका ने रूस पर लगाए नये प्रतिबंध


### चर्चा में क्यों?

युक्रेन पर हमले के दो साल बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। यद्यपि यह प्रतिबंध विपक्षी नेता एलेक्सी नवालनी की हिरासत में मौत के संदर्भ में लगाया गया है।

### RUSSIA-UKRAINE WAR

#### Which countries have sanctioned Russia?

At least 46 countries or territories have imposed sanctions on Russia, or pledged to adopt a combination of US and EU sanctions. Since February 22, more than 11,327 sanctions have been imposed on Russia, making it the most sanctioned country in the world.



## रूस पर नवीनतम प्रतिबंध क्यों?

- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के खिलाफ 500 नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि वे रूस की युद्ध मशीन को निशाना बनाएंगे और इसके तहत लगभग सौ फर्मों या व्यक्तियों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- यूके ने जेल में बंद कई कैदियों की संपत्ति जब्त कर ली है और उनके यूके यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने रूसी धातु, हीरे और ऊर्जा निर्यात पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए हैं।
- ईयू ने 200 संगठनों और लोगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

## प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, 2022 में युद्ध के पहले वर्ष में रूस की अर्थव्यवस्था 2.1% सिकुड़ गई।
- अमेरिकी ट्रेजरी का दावा है कि प्रतिबंधों से रूस को नुकसान हो रहा है जिससे पिछले दो वर्षों में होने वाली आर्थिक वृद्धि में 5% की कटौती हो सकती है।
- ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रूस की सरकार यूकेन में युद्ध के वित्तोपयोग के लिए स्वास्थ्य व्यय में भी कटौती कर रही है।

## प्रतिबंधों के दौरान भारत और रूस संबंध:

- अप्रैल 2023 में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-रूस संबंधों को वैश्विक संबंधों में 'सबसे स्थिर' संबंधों में से एक बताया। उन्होंने यह तर्क देते हुए कि इस रिश्ते ने हाल ही में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई बदलाव आया है, बल्कि इसलिए कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- इस बदलते वैश्विक दौर में भारत ने यह संकेत दिया है कि भारत का अन्य देशों के साथ संबंध 'जीरो सम गेम' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

## आगे की राह:

वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में भारत- रूस, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने अलग-अलग द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है। यह दृष्टिकोण भारत की बहुआयामी कूटनीतिक ताकत का परिचायक है।

3

## उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से बच्चों की मौत से भारत पर प्रभाव

### चर्चा में क्यों?

उज्बेकिस्तान की एक अदालत ने दूषित कफ सिरप से हुई 68 बच्चों की मौत के मामले में 23 लोगों को जेल की सजा सुनाई है।

### भारतीय कफ सिरप से हुई मौत का कारण:

- 2022 से 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान में कफ सिरप के कारण 68 बच्चों की मौत हुई है।
- उज्बेकिस्तान की अदालत ने छह महीने की लंबी सुनवाई के बाद,

भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित दूषित कफ सिरप से जुड़े 23 लोगों को जेल की सजा सुनाई।


- प्रतिवादियों को कर चोरी, घटिया या नकली दवाओं की बिक्री, पद का दुरुपयोग, लापरवाही, जालसाजी और रिश्वतखोरी का दोषी पाया गया।
- अक्टूबर 2022 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत द्वारा निर्मित चार 'दूषित' दवाओं के लिए अलर्ट जारी किया था।

### भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग पर प्रभाव:

- फार्मास्युटिकल उद्योग भारत में एक शानदार क्षेत्र है जिसे 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान में, इसका मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि 2024 में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
- भारत वैश्विक दक्षिण और विश्व की फार्मेसी तभी बना रह सकता है जब नियामक दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी की तरह सुधार करे।
- इन घटनाओं से भारत के फार्मा निर्यात पर गहरा असर पड़ सकता है।

### सख्त नियमन की आवश्यकता:

- गाम्भिया, उज्बेकिस्तान और पश्चिम अफ्रीका की घटना के बाद भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कुछ दवा कारखानों का निरीक्षण शुरू किया।
- केंद्रीकृत नियामक डेटा पर जोर देने के साथ औषधि नियामक निकायों के विनियमन की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने और अधिक फार्मास्युटिकल इकाइयों को डब्ल्यूएचओ के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है।



### आगे की राह:

20% की कुल हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता

है कि दवा अनुप्रयोगों के निरीक्षण रिकॉर्ड और समीक्षाएं सार्वजनिक की जाएं, अन्यथा भारतीय दवाओं पर सदेह के खतरनाक परिणाम होने की संभावना है।

## 4 वैश्व व्यापार संगठन में भारत की चिंता

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्व व्यापार संगठन का तेरहवां मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में सम्पन्न हुआ। इस दौरान भारत ने कृषि से संबंधित अपनी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित किया।

### बैठक में भारत के एजेंडे में रहे प्रमुख क्षेत्र:

#### खाद्य सुरक्षा मुद्दे:

- भारत अपनी बड़ी तथा कमज़ोर आबादी के लिए पीएसएच की आवश्यकता पर बल देता है और एमसी13 से स्थायी समाधान चाहता है। भारत की खाद्य सुरक्षा रणनीति के लिए खाद्य खरीद, भंडारण और वितरण महत्वपूर्ण हैं।
- भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मले में संशोधन जैसे उपाय करने की मांग किया है। विकसित देशों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम खाद्यान्वय की मतलबों को प्रभावित करते हैं।

#### बहुपक्षीय समझौते:

- भारत डब्ल्यूटीओ में विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा पर एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के चीन के नेतृत्व वाले देशों के समूह के प्रयासों का कड़ा विरोध किया है।
- भारत का कहना है कि यह एजेंडा वैश्विक व्यापार निकाय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

#### कृषि सुधार:

- भारत का रुख किसानों की आजीविका की रक्षा करना और न्यायसंगत बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है।
- विकसित देश घरेलू समर्थन को कम करने और बाजार के खुलेपन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वे अपने अमीर किसानों को बड़ी सब्सिडी प्रदान करते हैं।

#### डब्ल्यूटीओ में सुधार:

- लचीली वार्ता प्रक्रियाओं के लिए विकसित देशों के प्रस्तावों के खिलाफ, आम सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया को छोड़ना और गैर-व्यापार मुद्दों को आम सहमति के बिना डब्ल्यूटीओ में एकीकृत करना आदि भारत समावेशी सुधारों की वकालत करता है।
- कोमोरोस व तिमोर लेस्टे उद्घाटन दिवस पर डब्ल्यूटीओ में शामिल हुए। भारत संगठन के विस्तार का स्वागत करता रहा है।

#### मत्स्य पालन सब्सिडी:

- विकासशील देशों को तट से 200 समुद्री मील तक मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी देने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि अमीर देशों को अगले 25 वर्षों तक किसी भी प्रकार की सब्सिडी देना बंद कर देना चाहिए।

### आगे की राह:

1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर चल रही रोक डब्ल्यूटीओ के सामने एक विवादास्पद मुद्दा है। आगामी एमसी13 में भारत के लिए एक प्रमुख फोकस बिंदु है। भारत ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली का पालन करने के महत्व का आश्वासन दिया।

## 5

### भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र

### चर्चा में क्यों?

भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS-X) शिखर सम्मेलन फरवरी 2023 में नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। यह व्यवस्था जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के बाद आईसीईटी के तहत शुरू की गई है जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है।

### इंडस-एक्स क्या है?

- रक्षा नवाचार में नए अवसरों का पता लगाने और उनका लाभ उठाने के लिए भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (आईसीईटी) नामक नई भागीदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- नई दिल्ली में इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन ने रक्षा नवाचार और सहयोग को आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व किया, क्रॉस-नेशनल विज्ञान-प्रौद्योगिकी नेटवर्क को प्रोत्साहित किया तथा भविष्य के रणनीतिक विकास के लिए मंच तैयार किया।
- शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) और अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा यूएस-इंडिया बिजनेस कार्डिनल एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) के सहयोग से किया गया।

### इंडस-एक्स का उद्देश्य:

- इसने दोनों सरकारों, शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों, निवेशकों, रक्षा स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों तथा अन्य उद्योग संघों के सभी रक्षा नवाचार हितधारकों को एकीकृत सेटअप प्रदान करके दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी पहल विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया है।

### महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (iCET):

- आईसीईटी महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह पहल रक्षा, साइबर सुरक्षा, एयरोस्पेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की सुविधा प्रदान करती है।

### शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें:

- शिखर सम्मेलन में इंडो-पैसिफिक को स्वतंत्र, समावेशी और टिकाऊ क्षेत्र बनाए रखने में भारत व अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं को

सुरक्षित करने तथा उन्नत सैन्य क्षमताओं का सह-उत्पादन करने के लिए नए उपाय किए जाएंगे।

- शिखर सम्मेलन ने ज्वाइंट इम्पैक्ट चुनौतियाँ पेश कीं जिनका उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस सह-विकास तथा सह-उत्पादन को सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ाना है।

### अन्य प्रमुख भारत-अमेरिका रक्षा पहल:

दोनों देश मजबूत और सौहार्दपूर्ण रक्षा संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें अमेरिका के 'प्रमुख रक्षा भागीदार' के रूप में भारत की स्थिति भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते हुए हैं-

- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एलईएमओए)- 2016
- संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)- 2018
- बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बीईसीए) - 2020

### आगे की राह:

भारत-अमेरिका एक महत्वपूर्ण और परिणामी द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं जो दुनिया भर में वर्तमान भू-राजनीतिक संकट में एक स्थिर एवं टिकाऊ विश्व व्यवस्था प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करना समय की मांग है।

6

## यूएई एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने यूएई को लगभग दो साल बाद ग्रे लिस्ट की श्रेणी से हटा दिया है क्योंकि इसने संदिग्ध वित्तीय प्रवाह में सकारात्मक सुधार किया है। यूएई को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में मार्च 2022 में शामिल किया गया था। एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है जो अवैध और संदिग्ध फंड प्रवाह से निपटने के लिए कार्यवाही करता है।

### एफएटीएफ का गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकार क्या है?

- 'उच्च जोखिम' या ग्रे-सूचीबद्ध देशों के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) पंजीकरण के समय एक सख्त केवाईसी प्रक्रिया के अधीन होते हैं जिनका केवाईसी अन्य फंडों के लिए हर 3 साल की तुलना में फंड संरक्षकों द्वारा सालाना किया जाता है।
- 2020 में, मॉरीशस को एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाले जाने के बाद आरबीआई ने निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी कोष (पीई/वीसी) के माध्यम से एनबीएफसी में ग्रीनफाईल्ड निवेश या अधिग्रहण के लिए कई आवेदनों को खारिज कर दिया था।
- सेबी का परिपत्र निवेशकों को 'उस अधिकार क्षेत्र से भी प्रतिबंधित करता है जिसने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या कमियों को दूर करने के लिए फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ विकसित कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।'
- इसके अलावा किसी अन्य देश की इकाई जिसमें ग्रे लिस्टेड देश का निवेशक 10% या अधिक इक्विटी रखता है, उसे भी भारत

में वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) की सदस्यता लेने से रोक दिया गया है।

### भारत के लिए निहितार्थ:

- इससे पहले, गैर-अनुपालक एफएटीएफ क्षेत्राधिकारों से या उसके माध्यम से नए निवेशकों पर लागू आरबीआई के प्रतिबंधों के कारण यूएई-आधारित निवेशक 20% से अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे।
- यह कदम इस तरह के प्रवाह को मजबूत करेगा और भारतीय एनबीएफसी में महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल करने के इच्छुक देश के निवेशकों हेतु राह आसान करेगा।
- ग्रे लिस्ट के आने से घरेलू एआईएफ के लिए यूएई-आधारित निवेशकों और अन्य देशों की संस्थाओं से प्रतिबद्धता स्वीकार करने की अस्पष्टता भी दूर हो जाती है जहां यूएई के निवेशकों के पास 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है। इससे भारतीय एआईएफ को वैश्विक फंडों के एक बड़े पूल तक पहुंच मिलती है।



## FATF GREY LIST

(Jurisdictions under Increased Monitoring) as of 23rd February 2024

Bulgaria	Mali	Syria
Burkina Faso	Mozambique	Tanzania
Cameroon	Namibia	Türkiye
Croatia	Nigeria	Vietnam
Democratic Republic of Congo	Philippines	Yemen
Haiti	Senegal	
Jamaica	South Africa	
Kenya	South Sudan	



### भारत और यूएई सम्बन्ध:

- भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएई वर्ष 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- यूएई 2023 में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक और कुल मिलाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सातवां सबसे बड़ा स्रोत रहा।
- दोनों देशों ने रूपे (भारत) को JAYWAN (यूएई) के साथ जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो डिजिटल रूपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्ट्रैक तथा यूपीआई (भारत) और AANI (यूएई) के बीच निर्बाध सीमा पार लंदन की सुविधा पर आधारित है।

## आगे की राह:

भारतीय प्रधानमंत्री ने बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्मित मंदिर का उद्घाटन करने और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में अबू धाबी का दौरा किया जो दोनों देशों के बीच लगातार विकसित हो रही दोस्ती का प्रतीक है। भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ, एफएटीएफ द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे सूची से हटाने से संयुक्त अरब अमीरात-भारत के संबंध और मजबूत होने की संभावना है।

7

## गिनी वर्म रोग को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयास

### चर्चा में क्यों?

पर्जीवी गिनी कृमि के कारण होने वाली गिनी कृमि बीमारी को खत्म करने के वैश्विक प्रयास में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है जिसमें दक्षिण सूडान और माली जैसे देशों ने सराहनीय प्रगति किया है। हालाँकि, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस दुर्बल करने वाली बीमारी के खिलाफ लड़ाई उच्च तकनीक वाले हस्तक्षेपों पर बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल की सफलता का संकेत करती है।

### ऐतिहासिक संदर्भ:

➤ सफल टीकों और इलाजों की चिकित्सा प्रगति के संदर्भ में, गिनी वर्म रोग मौलिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों पर निर्भरता का सूचक है। गिनी वर्म के कारण होने वाली यह बीमारी प्रतिरक्षा, टीके की रोकथाम और अधिकांश इलाजों का विरोध करती है, फिर भी उन्मूलन की संभावना पहले से कहीं अधिक है जो मानवीय प्रयासों के लचीलेपन और सरलता को प्रदर्शित करती है।

### संक्रमण चक्र और प्रभाव:


➤ गिनी कृमि रोग या ड्रैकुनकुलियासिस एक पर्जीवी कृमि है जो दर्दनाक छाले पैदा करता है, आमतौर पर शरीर के निचले अंगों पर। वयस्क कृमियों का प्रभाव कई हफ्तों तक रह सकता है जिससे अल्सर, तीव्र दर्द, सूजन और कभी-कभी द्वितीय जीवाणु संक्रमण हो सकता है। यह रोग व्यक्तियों को कमज़ोर कर देता है, दैनिक गतिविधियों और काम में बाधा उत्पन्न करता है जिसमें 90% से अधिक संक्रमण पैरों में होता है।

### भारत की सफलता की कहानी:

➤ भारत ने 1990 के दशक के अंत में एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से गिनी वर्म रोग को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। यह उपलब्ध अंतरक्षेत्रीय समन्वय, सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप हुई। रणनीति ने जल सुरक्षा हस्तक्षेप और रिपोर्ट किए गए मामलों पर तत्काल प्रतिक्रिया पर जोर देते हुए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया।

### प्रगति और शेष चुनौतियाँ:

➤ विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2023 में गिनी वर्म रोग के केवल 6 मामले सामने आए हैं। दक्षिण सूडान और माली ने सराहनीय प्रगति दिखाई है, लेकिन चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में चुनौती बनी हुई है। चाड में पशु जलाशयों, विशेष रूप से कुत्तों में गिनी कीड़े की खोज उन्मूलन के अंतिम चरण में जटिलता जोड़ती है।



### मानवीय और राजनीतिक कारक:

➤ पर्याप्त प्रगति के बावजूद, उन्मूलन प्रयासों को नागरिक अशांति और गरीबी सहित मानवीय व राजनीतिक कारकों से खतरों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में उलझी चुनौतियाँ बुनियादी ढांचे को बाधित करती हैं जो बीमारी के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। स्वास्थ्य और शांति के बीच परस्पर संबंध स्पष्ट हैं जहां स्थिरता सीधे तौर पर उन्मूलन प्रयासों की सफलता को प्रभावित करती है।

### वैश्विक प्रभाव:

➤ गिनी वर्म रोग का उन्मूलन पर्जीवी पर सफलता का प्रतीक है जो एक सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करने का समुदायों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक समुदाय के ठोस प्रयास कमज़ोर आबादी को रोके जा सकने वाले कष्टों से बचाने के लिए एकजुट हुए हैं जो बड़े पैमाने पर मानव जाति की जीत का प्रतीक है।

### आगे की राह:

जैसे-जैसे वैश्विक प्रयास गिनी वर्म रोग को खत्म करने की दिशा में हो रहे हैं, यह सफलता की ओर मानव दृढ़ता की विजय का प्रतीक है। यह रोकथाम योग्य पीड़ितों से निपटने में सामूहिक कार्यवाही के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है।



# पर्यावरणीय मुद्दे


## 1 एशिया-प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) ने एशिया-प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वर्तमान गति से सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जाता है तो यह निर्धारित वर्ष 2030 से अधिक समय लेगा।

### एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी की प्रगति:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से कोई भी वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति की राह पर नहीं है।
- इस क्षेत्र को अपनी वर्तमान गति से वर्ष 2030 तक आवश्यक प्रगति का केवल एक-तिहाई प्राप्त कर पाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
- सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में यह विलंब लगभग 32 वर्ष होने का अनुमान है।



### जलवायु कार्यवाही पर चिताएँ:

- सतत विकास लक्ष्य 13 की दिशा में प्रगति के मामले में विशेष रूप से जलवायु कार्यवाही संबंधित विषयों पर बहुत पीछे हैं।
- सतत विकास लक्ष्य 13 के तहत सभी लक्ष्य रुक्षी हुई या विपरीत प्रगति दिखाते हैं, साथ ही सतत विकास लक्ष्य 14 वर्ष 2015 बेसलाइन की तुलना में गिरावट दिखाते हैं।
- यह रिपोर्ट जलवायु संबंधी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जलवायु कार्यवाही को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

### आंकड़ों की उपलब्धता में चुनौतियाँ:

- इस क्षेत्र में 169 सतत विकास लक्ष्यों में से लगभग 67% वर्तमान में डेटा अंतर्राल के कारण मापने योग्य नहीं हैं।
- एसडीजी के लिए आंकड़ों की उपलब्धता 2017 के बाद से दोगुनी हो गई है, विशेष रूप से जलवायु-संबंधी संकेतकों में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।
- यह अंतर अपर्याप्त आंकड़ों की प्रगति की निगरानी में बाधा डालता है। सतत विकास लक्ष्य 13 के तहत लगभग 62.5% संकेतकों में आंकड़ों की कमी दिखती है।

### प्रमुख लक्ष्यों पर प्रभाव:

- भूख (एसडीजी 2), स्वास्थ्य (एसडीजी 3), स्वच्छ पानी (एसडीजी 6), किफायती ऊर्जा (एसडीजी 7) और टिकाऊ शहर (एसडीजी 11) जैसे प्रमुख लक्ष्यों पर प्रगति अपर्याप्त रही है।
- ये लक्ष्य मुख्यतः जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं जो क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा, आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएँ एसडीजी लक्ष्यों की उपलब्धि को खतरे में डालती हैं जो अगले दशक में गंभीर वैश्विक जोखिमों के रूप में पहचानी जाती हैं।

### आगे की राह:

रिपोर्ट में जलवायु चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टिकाऊ बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने का आहवान किया गया। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में क्षेत्र की प्रगति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु कार्यवाही जरूरी है, साथ ही खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास से संबंधित लक्ष्यों को प्राथमिकता देने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

## 2 वनों की व्यापक एवं सर्वव्यापी परिभाषा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों से वर्ष 1996 के टी एन गोदावर्मन मामले से लिए गए वनों की व्यापक परिभाषा का उपयोग करने का आग्रह किया है, जब तक कि सभी प्रकार के वनों का पूरा रिकॉर्ड संकलित नहीं हो जाता।

### पृष्ठभूमि:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 19 फरवरी को यह आदेश पारित किया था।
- यह आदेश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) में 2023 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है।

### संशोधन का उद्देश्य:

- इन संशोधनों का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण एफसीए द्वारा कथित रूप से कमज़ोर वनावरण को संरेखित करना

- था।
- सरकार के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के फैसले ने एफसीए की प्रयोग्यता का विस्तार किया था जिससे विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई थी।

### सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई वन की परिभाषा:

- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि FCA वन के रूप में दर्ज या जंगल के शब्दकोश अर्थ से मिलते-जुलते भूमि क्षेत्रों पर लागू होगा।
- वर्ष 1980 में एफसीए को लागू करने के पीछे संसद की इच्छा के अनुरूप, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस परिभाषा को दोहराया गया था।

### एफसीए की प्रयोग्यता (Applicability) की सीमा:

- वर्ष 2023 के संशोधनों के बावजूद, एफसीए का दायरा 'आरक्षित वन' से आगे बढ़कर किसी भी वन भूमि को स्वयं में शामिल करता है।
- वर्ष 2022 के एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि वन भूमि, जैसा कि शब्दकोश अर्थ में समझा जाता है, एफसीए द्वारा कवर किया जाता है।
- संबंधित मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में प्रस्तावित संरक्षण-समर्थक प्रावधान को वर्ष 2023 के संशोधनों में शामिल नहीं किया गया था।

### संशोधनों के विरुद्ध तर्क:

- वर्ष 2023 के संशोधनों को चुनौती भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिका में दी गई थी।
- इन चुनौतियों में एफसीए के दायरे से रिकॉर्ड वन क्षेत्रों के बाहर के जंगलों का संभावित बहिष्कार भी शामिल था।

### वर्तमान स्थिति और भविष्य के प्रयास:

- सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च तक व्यापक वन रिकॉर्ड जमा करना होगा।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह डेटा 15 अप्रैल तक प्रकाशित करना है।
- इस मामले के अंतिम निपटारे के लिए सुनवाई आगामी जुलाई में होगी।

### आगे की राह:

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समेकित वन रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिए जाने तक वनों की अपनी 1996 की परिभाषा का पालन करने के लिए कहा है जो कि स्वागत योग्य निर्देश है। भविष्य में इसके लिए विशेषज्ञ समितियों के सुझावों को मानकर कार्य करने की आवश्यकता है।

## 3 बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के कण

### चर्चा में क्यों?


हाल ही में जनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित नए अध्ययन में कोर्लंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं

ने छोटे टुकड़ों को खोजने के लिए एक नव विकसित लेजर तकनीक का उपयोग किया। इससे बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक की संख्या 10 गुना बढ़ गई।

### अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- शोधकर्ताओं ने तीन सामान्य बोतलबंद पानी ब्रांडों के पांच नमूनों का विश्लेषण किया और नैनोप्लास्टिक का स्तर 110,000 से 400,000 प्रति लीटर तक पाया जिसका औसत लगभग 240,000 था।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकांश प्लास्टिक बोतल से यह पाये जाने की संभावना है लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि प्लास्टिक का सेवन गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है या नहीं।
- जांचे गए बोतलबंद पानी के नमूनों में आमतौर पर पाया जाने वाला एक अन्य प्लास्टिक प्रकार नायलॉन था।
- शोधकर्ताओं ने नैनोप्लास्टिक्स के अध्ययन क्षेत्र को बढ़ाने की बात स्वीकार की, भले ही वे बोतलबंद पानी में पाए जाने वाले प्लास्टिक कणों की संख्या का 90% हिस्सा हो।
- अध्ययन के नमूने में ऐसे कणों की उपस्थिति का भी पता चला जो किसी भी मानक से मेल नहीं खाते थे जिससे पता चलता है कि बोतलबंद पानी की कण संरचना प्लास्टिक 'प्रदूषकों' से आगे बढ़ सकती है।
- अध्ययन में विभिन्न प्लास्टिक कण पॉलियामाइड 66, पॉलीप्रोपैलीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीमिथाइल ऐथ्रैक्लिट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइनिन और पॉलीइथाइलीन टेरेप्थेलेट पाए गए।

### Types of plastic found in bottled water



### प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के वैश्विक प्रयास:

- यूएनई संकल्प 5/14 के तहत आईएनसी 2025 तक वैश्विक प्लास्टिक संधि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2019 और 2020 में वैज्ञानिक साक्ष्यों की एक प्रमुख समीक्षा से निष्कर्ष निकाला गया कि यह निर्धारित करने के लिए अभी भी बहुत कम शोध हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव जोखिम को कम करने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने का आव्हान किया है।

**आगे की राह:**

नई तकनीक से शोधकर्ताओं को मौजूद प्लास्टिक कणों की मात्रा को बेहतर ढंग से निर्धारित करने की अनुमति मिलने से विश्व स्तर पर इन प्लास्टिक कणों के प्रसार को कम करने की दिशा में काम करना संभव हो सकता है जिससे अपरिहार्य जोखिम को कम किया जा सके।


## 4 भारत में कपड़ा अपशिष्ट

**चर्चा में क्यों?**

हाल ही में कपड़े से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई जिससे इसके पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक निहितार्थ और संभावित समाधानों के बारे में बहस शुरू हो गई है।

**भारत में कपड़े से उत्पन्न होने वाले कचरे की चुनौतियाँ:**

- कपड़ा अपशिष्ट उत्पादन पर केंद्रीकृत और राज्य-वार डेटा की अभी भी व्यापक स्तर पर उपलब्धता नहीं है।
- भारत के घरेलू कपड़ा कचरे में मुख्य रूप से कपास, पॉलिएस्टर और उनके मिश्रण शामिल हैं। मिश्रित और मुद्रित अपशिष्ट फीडस्टॉक को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदलना तकनीकी सीमाओं तथा नवाचार की कमी के कारण एक चुनौती बनी हुई है।



- 'मानव निर्मित फाइबर पर कपड़ा सलाहकार समूह (एमएमएफ)' जैसी पहल उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अस्पष्ट बनी हुई है। एकीकृत रणनीति की कमी सिथेटिक कपड़ों और उनके कचरे के वास्तविक प्रभाव को काफी हद तक अनदेखा कर देती है।
- उपभोक्ता-पूर्व अपशिष्ट (फैक्टरी स्क्रैप) और उपभोक्ता-पश्चात अपशिष्ट (प्रयुक्त कपड़े) के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।
- सिथेटिक फाइबर भी कचरे का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। पृथकरण, छंटाई और प्रौद्योगिकी सीमाओं में चुनौतियाँ अक्सर डाउनसाइक्लिंग या अंधाधुंध डिपिंग का कारण बनती हैं।
- एकत्र किए गए कपड़े से कचरे का लगभग 20-30 प्रतिशत प्रदूषण के कारण ऊर्जा संयंत्रों में जला दिया जाता है।
- 2024 के अंतरिम बजट में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को वित्तीय आवंटन में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि मिली, लेकिन अपशिष्ट संकट

को संबोधित करने के लिए कोई विशेष नीतियों का अभी भी अभाव है।

- इंडियन टेक्सटाइल जर्नल ने बताया कि सालाना 1 मिलियन टन से अधिक कपड़ा, मुख्य रूप से पॉलिएस्टर, घरों से फेंक दिया जाता है।

**कपड़ा अपशिष्ट को कम करने के लाभ:**

- ठोस अपशिष्ट उपचार और निपटान लागत को कम करना तथा पुनर्नवीनीकरण फाइबर के लिए वैकल्पिक आय स्रोत उत्पन्न करना।
- अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार और उपचार लागत को कम करना।
- कच्चे माल के उपयोग को कम करने से कम अपशिष्ट उत्पन्न करके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना।

**आगे की राह:**

वर्तमान समय में कपड़े का नए-नए तरह से उपयोग करना लोगों की पसंद बन गया है। यद्यपि इसके उत्पादन में प्रदूषण शामिल होता है, फिर भी ऐसी रैखिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलाव करना महत्वपूर्ण है।

## 5 भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट

**चर्चा में क्यों?**

राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय बन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट 2022 में आयोजित तेंदुए की आबादी के अनुमान के पांचवें चक्र के आंकड़ों के आधार पर तेंदुए के वितरण, जनसंख्या के रुझान और संरक्षण चुनौतियों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

**रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**


- भारत में तेंदुओं की आबादी अनुमानित 13,874 (सीमा: 12,616 - 15,132) है। यह 2018 के 12,852 तेंदुओं के अनुमान की तुलना में स्थिर आबादी का संकेत देता है।
- मध्य प्रदेश में 3,907 संख्या के साथ तेंदुए की आबादी सबसे अधिक है जिसके बाद महाराष्ट्र (1,985) और कर्नाटक (1,879) हैं।
- नागर्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (आंध्र प्रदेश), पन्ना टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) जैसे संरक्षित क्षेत्र तथा बाध अभ्यारण्य तेंदुओं की उच्च घनत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मध्य भारत में स्थिर या थोड़ी बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई देती है। शिवालिक-गंगा के मैदानी इलाकों में 2018 और 2022 के बीच 3.4% की वार्षिक गिरावट देखी गई है।

**जनसंख्या रुझान:**

- वर्तमान तेंदुए की गणना 2018 से राष्ट्रीय स्तर पर समग्र स्थिर आबादी का संकेत देती है। क्षेत्र-वार स्थिति पर मध्य भारत और पूर्वी घाट 1.5% की मामूली वार्षिक वृद्धि दर दिखाते हैं। हालाँकि,

शिवालिक-गंगा परिदृश्य में तेंदुओं की संख्या में 3.4% की वार्षिक गिरावट आई है।

- यदि 2018 और 2022 दोनों में विश्लेषण किए गए विशिष्ट क्षेत्रों पर विचार करें, तो 1.08% की सीमांत वृद्धि दर देखी गई है, लेकिन शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय और गैर-वन क्षेत्रों सहित तेंदुए के लगभग 30% आवासों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।



### संरक्षण चुनौतियाँ:

- बढ़ते मानव-तेंदुए संघर्ष गंभीर संरक्षण और सामाजिक चुनौतियाँ पैदा करते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में तेंदुए बेहतर स्थिति में हैं लेकिन असुरक्षित आवासों में जीवित रहना आबादी की दीर्घकालिक व्यवहार्यत के लिए हानिकारक होता है।
- पर्यावास विखंडन, अवैध शिकार, शिकार की कमी, पशुधन की लूट पर प्रतिशोधात्मक हत्याएं, यातायात दुर्घटनाएं और अवैध वन्यजीव व्यापार सभी प्रमुख खतरे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आगे चलकर संसाधन दबाव को बढ़ा सकते हैं।

### आगे की राह:

तेंदुए की आबादी के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करने की आवश्यकता है। संघर्ष की बढ़ती घटनाएँ तेंदुओं और मानव समुदायों

दोनों के लिए चुनौतियाँ पैदा करती हैं। चूंकि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर तेंदुओं का अस्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आवास संरक्षण को बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सरकारी एजेंसियाँ, संरक्षण संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाले सहयोगात्मक प्रयास समय की आवश्यकता है।

## 6

### प्लास्टिक प्रदूषण पर संसदीय रिपोर्ट

#### चर्चा में क्यों?

अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (PAC) ने संसद के बजट सत्र 2024 में 'प्लास्टिक के कारण प्रदूषण' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए नीति कार्यान्वयन में कई खामियों को रेखांकित किया गया है।

#### रिपोर्ट की प्रमुख खोज़:


- समिति ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें देश में प्लास्टिक के खतरे को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों में कई खामियाँ बताई गई हैं।
- इसने समस्याओं से निपटने में अप्रभावी रूपये के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी आलोचना किया है।
- इस रिपोर्ट में उन प्रभावी उपायों के अभाव को रेखांकित किया गया जो लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों से बचा सकते थे।
- इसमें बताया गया है कि 2020-21 में 41.2 लाख टन प्लास्टिक उत्पादन हुआ है जो पिछले वर्ष से लगभग 3 अधिक था। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कुल प्लास्टिक कचरे का लगभग 50% अप्रयुक्त रह गया जिससे जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण हुआ।
- सीएजी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार समिति द्वारा महत्वपूर्ण डेटा अंतर भी देखा गया है। कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) ने 2016-18 की अवधि के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन पर डेटा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को उपलब्ध नहीं कराया है।

#### प्लास्टिक पुनर्चक्रण की चुनौती:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जुलाई 2022 से हार्ड-टू-कलेक्टरीसायकल, एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग (<120 माइक्रोन) के निर्माण, बिक्री, आयात या उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और पुनर्चक्रण को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) नियमों को भी अधिसूचित किया।
- लेकिन फिर भी एकल उपयोग प्लास्टिक हवा, पानी और मिट्टी में खतरनाक विषाक्त पदार्थों को छोड़ रहा है जो अंततः मानव तथा अन्य जीवों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह जल भंडारों, नदी बायोम, मिट्टी और समुद्री तथा जलीय कृषि के लिए खतरा पैदा करता है।

#### निवारण हेतु सुझावः

- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए लागत प्रभावी और भरोसेमंद विकल्प खोजने के साथ एक 'व्यापक नीति की आवश्यकता' है। सरकार को इंपीआर के कार्यान्वयन की सख्ती से निगरानी करनी होगी और पैकेजिंग के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए उद्योगों के बीच जागरूकता को प्रोत्साहित करना होगा।



### आगे की राह:

प्लास्टिक हमारी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए इससे निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्प जैसे जैविक कचरे से बने सामान और प्लास्टिक निर्माण की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। इसके साथ ही जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## 7

### ग्रीन क्रेडिट नियम जारी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रीन क्रेडिट नियमों की वनों के पारिस्थितिक पहलुओं के लिए हानिकारक होने के कारण विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई।

### ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के बारे में:

- इसको 12 अक्टूबर, 2023 को अधिसूचित किया गया जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और उद्योगों को सकारात्मक पर्यावरणीय उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करना जिसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी से हवा तथा पानी की गुणवत्ता और जैव विविधता में सुधार करना शामिल है।
- इसका अन्य उद्देश्य जीसी के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार-आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने और हितधारकों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरण

ग्रीन कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रेडिट (जीसी) कार्यक्रम शुरू करना है।

- जीसी कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा शुरू की गई प्रस्तावित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) का पूरक है।

### ग्रीन क्रेडिट के लिए पात्रता मानदंड:

- **वृक्षारोपण:** वनों की कटाई से निपटने और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए पेड़ लगाना।
- **जल प्रबंधन:** वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को लागू करना।
- **सतत कृषि:** पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** अपशिष्ट कटौती, पुनर्चक्रण और खाद बनाने को बढ़ावा देना।
- इस पहले से वायु प्रदूषण में कमी अर्थात् वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन:** मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्जीवित करना।
- **इको-मार्क लेबलिंग:** कड़े पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों के लिए इको-मार्क प्रमाणन प्राप्त करना।
- **टिकाऊ भवन और बुनियादी ढाँचा:** पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने वाली हरित इमारतों और बुनियादी ढाँचे का निर्माण।

### चुनौतियां:


- **ओवरलैपिंग योजनाएं:** ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मौजूदा पर्यावरणीय नियमों और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजनाओं के साथ ओवरलैप हो सकता है जिससे संभावित भ्रम तथा अतिरेक हो सकता है।
- **स्वैच्छिक भागीदारी:** यह कार्यक्रम वर्तमान में व्यवसायों के लिए स्वैच्छिक है जिससे भागीदारी के स्तर और इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

### वनारोपण से संबंधित मुद्दा:

- वनारोपण के लिए मृदा कार्बनिक कार्बन की विविध प्रतिक्रियाएं (2020) नामक एक अध्ययन में कहा गया था कि बड़े पैमाने पर वनीकरण एक प्रभावी प्राकृतिक जलवायु उपाय माना जाता है।
- घास के मैदान, जिन्हें अक्सर 'बंजर भूमि' कहा जाता है, लेकिन दुर्लभ और अद्वितीय जैव विविधता की रक्षा तथा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं।

### सुझाव:

- वनीकरण की स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ माप पद्धतियों का विकास करना।
- व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के तरीके तलाशना।
- बाजार विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना।
- मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।
- आवश्यक संसाधनों और क्षमता निर्माण में निवेश करना।



# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1


## जेम्मा: ओपन-सोर्स एआई मॉडल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओपन एआई के टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल सोरा को लेकर गूगल ने अपने नवीनतम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल जेम्मा की शुरुआत किया है।

### जेम्मा (Gemma) के बारे में:

- गूगल ने हाल ही में अपनी नवीनतम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल जेम्मा लांच किया है।
- जेम्मा हल्के बजन वाले अत्याधुनिक ओपन मॉडलों का एक समूह है जिसे गूगल डीपमाइंड के जेमिनी मॉडल के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है।
- इसका नाम लैटिन शब्द 'जेम्मा' के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ कीमती पत्थर होता है।
- यह पूर्व-प्रशिक्षित और निर्देश-ठ्यून किए गए वेरिएंट के साथ दो मॉडल आकारों 'जेम्मा 2बी और जेम्मा 7बी' में उपलब्ध है।



### जेम्मा की विशेषताएं:

- जेम्मा को सुरक्षित एआई एप्लिकेशन बनाने के लिए एक नए उत्तरदायी जेनरेटिव एआई टूलकिट के साथ पेश किया गया है।
- इस टूलचेन ने मूल केरेस 3.0 (Keras 3.0) के माध्यम से JAX, PyTorch और TensorFlow जैसे प्रमुख फ्रेमवर्क में अनुमान तथा पर्यावेक्षित फाइन-ट्यूनिंग (SFT) प्रदान की है।
- गूगल का लक्ष्य जेम्मा की सहायता से एआई मॉडल का लोकतंत्रीकरण करना है।
- वर्टेक्स एआई और गूगल कुबेरनेट्स इंजन (GKE) पर आसान उपलब्धता के साथ यह मॉडल लैपटॉप, ऑनलाइन कार्यस्थल या गूगल क्लाउड पर कार्य कर सकता है।
- NVIDIA GPU और गूगल Cloud TPU सहित यह कई एआई हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूलित है।

### जेम्मा का प्रदर्शन:

- जेम्मा, जेमिनी मॉडल के साथ प्रमुख तकनीकी और बुनियादी ढांचे

के घटकों को साझा करता है जिससे सर्वोत्तम श्रेणी का प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

- सुरक्षा और जिम्मेदार आउटपुट बनाए रखते हुए प्रमुख बेंचमार्क पर बड़े मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन करता है।
- सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए गूगल के एआई सिद्धांतों के अनुपालन में डिजाइन किया गया।
- प्रशिक्षण सेटों से संवेदनशील डेटा को फिल्टर करने के लिए स्वचालित तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- इस मॉडल को मानवीय प्रतिक्रिया के साथ संतुलित किया गया है ताकि जोखिम को कम करने के लिए गहन मूल्यांकन किया जा सके।

### गूगल के एआई सिद्धांत:

- गूगल के एआई सिद्धांत सामाजिक रूप से लाभकारी अनुप्रयोगों, अनुचित पूर्वाग्रह से बचाव, सुरक्षा, जबाबदेही, गोपनीयता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता के पालन को प्राथमिकता देते हैं।

### आगे की राह:

यह उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है जहां एआई को डिजाइन या तैनात नहीं किया जाएगा जिसमें समग्र नुकसान पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकियां, मूल्य रूप से व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हथियार या उपकरण, वैशिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाली निगरानी तकनीक शामिल हैं। इसे अधिक मानव उपयोगी बनाने की आवश्यकता है।

2

## अलास्कापॉक्स (Alaskapox)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अलास्कापॉक्स से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है जो खोजे गए वायरस से पहली ज्ञात मौत है। अलास्का के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, सुदूर केनाई प्रायद्वीप में रहने वाले व्यक्ति को पिछले वर्ष नवंबर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसकी जनवरी में मृत्यु हो गई।

### अलास्कापॉक्स की उत्पत्ति:

- अलास्कापॉक्स (एक ऑर्थोपॉक्स वायरस / विषाणु है) जिसे पहली बार 2015 में अलास्का के फेरयर्बैक्स क्षेत्र में पहचाना गया था।
- हाल ही में इस संदर्भ में मृत्यु से पहले, मानव संक्रमण के केवल छह मामले दर्ज किए गए थे, सभी में इस विषाणु के कारण त्वचा पर फोड़-फूंसियां और उनकी कांचंख तथा कंधे की मांसपेशियों में सूजन पाई गई थीं।
- अब तक 10,000 से अधिक वायरस प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है जिनमें से 270 से अधिक विषाणु मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए जानी जाती हैं।
- कुछ वायरस जैसे चेचक सदियों से पहचाने जाते रहे हैं, लेकिन

- अलास्कापॉक्स, हाल ही में देखे गए हैं।
- अधिकांश मानव रोगजनक जानवरों से उत्पन्न होते हैं, यद्यपि स्तनधारियों, पक्षियों और आर्थोपोड के वायरस भी जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
- अलास्कापॉक्स संभवतः छोटे स्तनधारियों जैसे छछूंदरों (Shrews) और रेड बैक्ड वोल्स (Red Backed Voles) से उत्पन्न होता है जो उनकी जूनोटिक संचरण की क्षमता को उजागर करता है।



### अन्य ऑर्थोपॉक्स वायरस और जोखिम:

- अलास्कापॉक्स के साथ-साथ, अखमेटा वायरस और एबेटिनो वायरस जैसे वायरस की भी पहचान की गई है जो अतिरिक्त जूनोटिक ऑर्थोपॉक्स वायरस की उपस्थिति का संकेत देता है।
- हाल ही में शोधकर्ताओं को एमपीओक्स वायरस और काउपॉक्स वायरस जैसे ऑर्थोपॉक्स वायरस के प्रकोप की सूचना मिली है जो संभवतः टीकाकरण बंद होने से बढ़ी हुई है।

### ऑर्थोपॉक्स वायरस/विषाणु:

- ऑर्थोपॉक्स वायरस, पॉक्सनिरिडे परिवार का हिस्सा है जिसमें स्तनधारियों और मनुष्यों जैसे कशोरुकी जंतुओं को प्रभावित करने वाली 12 प्रजातियां शामिल हैं।
- ऑर्थोपॉक्स वायरस से जुड़ी बीमारियों में चेचक, काउपॉक्स और मंकीपॉक्स शामिल हैं।
- चेचक के लिए जिम्मेदार वेरियोला वायरस को वैक्सीन के रूप में वैक्सीनिया वायरस का उपयोग करके वर्ष 1977 में विश्व स्तर पर समाप्त कर दिया गया था।
- 2015 में खोजा गया अलास्कापॉक्स वायरस सबसे नई प्रजाति है।
- ऑर्थोपॉक्स वायरस में ईट के आकार की संरचनाएं होती हैं जिनमें जीनोम 170 से 250 के बीच तक होते हैं।
- इनका संचरण असन बूदों, संपर्क और जूनोसिस के माध्यम से होता है।
- कुछ ऑर्थोपॉक्स वायरस में व्यापक होस्ट रेंज होती है, जबकि अन्य अत्यधिक विशिष्ट होती है।

- वैक्सीनिया वायरस का उपयोग टीकों और अनुसंधान में व्यापक रूप से किया जाता है।
- चेचक के उन्मूलन के बाद इस समय कैमलपॉक्स आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।

### आगे की राह:

विभिन्न ऑर्थोपॉक्स वायरस स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसूपों और कीड़ों को संक्रमित करते हैं जिनकी निगरानी तथा निवारक उपायों के महत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

## 3

### क्रोमोसोमल असामान्यता या गुणसूत्रीय विसंगति

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्ताओं ने लगभग 5,500 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक कंकाल अवशेषों में पहचानी गई गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं का दस्तावेजीकरण किया है।

#### क्रोमोसोमल विसंगति की परिभाषा:

- क्रोमोसोमल विसंगति में गुणसूत्र संरचना या संख्या में परिवर्तन होते हैं जिनमें विलोपन, दोहराव, व्युत्क्रम इत्यादि शामिल हैं।
- क्रोमोसोमल विसंगति का सबसे सामान्य प्रकार ऐनुप्लोइडीज हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या असामान्य होती है।

#### क्रोमोसोमल विसंगति के प्रकार:

- संख्यात्मक विसंगति (एन्यूप्लोइडीज) में मोनोसोमीज (एक गुणसूत्र का विलोपन) और ट्राइसोमीज (अतिरिक्त गुणसूत्र) शामिल होते हैं।
- संरचनात्मक विसंगति में विलोपन, दोहराव, व्युत्क्रम और स्थानान्तरण शामिल होते हैं।

#### सामान्य गुणसूत्र संबंधी विकार:

- ट्राइसॉमी 21 (डाउन सिंड्रोम), ट्राइसॉमी 18 (एडवर्ड्स सिंड्रोम) और ट्राइसॉमी 13 कुछ प्रचलित क्रोमोसोमल (गुणसूत्र संबंधी) विकार हैं।
- इसके अतिरिक्त क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, XYY सिंड्रोम और XXX सिंड्रोम जैसे यौन सम्बन्धी सामान्य क्रोमोसोमल विकार भी होते हैं।

#### गुणसूत्रीय विसंगति के कारण:

- कोर्सिका विभाजन के दौरान होने वाली त्रुटियाँ, विशेष रूप से अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, गुणसूत्र विसंगति में अहम योगदान करती हैं।
- इसके अलावा जोखिम कारकों में उन्नत मातृ आयु और हानिकारक पदार्थों का संपर्क भी गुणसूत्रीय विसंगति के मुख्य कारण हैं।

#### गुणसूत्रीय विसंगति का निदान:

- अल्ट्रासाउंड और रक्त परीक्षण के माध्यम से प्रसव पूर्व जांच से गुणसूत्रीय विसंगति की पहचान करने में सहायता मिलती है।
- इसके साथ ही प्रसवोत्तर निदान में कैरियोटाइपिंग और सीटू हाइब्रिडाइजेशन (फिश) की तकनीकें शामिल हैं।

## आगे की राह:

गर्भवस्था से पहले और गर्भवस्था के दौरान स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने से क्रोमोसोमल विसंगति के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। गुणसूत्रीय विकारों के इतिहास वाले परिवारों के लिए अनुरूपिक परामर्श की सिफारिश की जाती है। इसका शीघ्र निदान प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए त्वरित निर्णय लेने तथा उचित चिकित्सा देखभाल से किया जा सकता है।

## 4 ओडीसियस: 50 वर्ष बाद अमेरिका की चंद्रमा पर वापसी

### चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने पांच दशकों में अपना पहला चंद्र मिशन पूरा किया जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंटरेटिव मशीन्स द्वारा विकसित और संचालित ओडीसियस अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग, चंद्र पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

### ओडीसियस की लैंडिंग:

➤ ओडीसियस लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया और 1972 के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बना। संचार में देरी के कारण प्रारंभिक अनिश्चितताओं के बावजूद, सफल लैंडिंग की पुष्टि करने वाले संकेत प्राप्त हुए जो मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

### मिशन विवरण और उद्देश्य:

➤ वैज्ञानिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों की एक परिष्कृत शृंखला से सुसज्जित ओडीसियस, नासा के वाणिज्यिक भागीदारों की ओर से महत्वपूर्ण अनुसंधान करने के लिए तत्पर है। इसके मिशन में अंतरिक्ष मौसम की निगरानी, रेडियो खगोल विज्ञान और भविष्य के चंद्र अन्वेषण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन शामिल है।


### चुनौतियां:

➤ मिशन को अंतिम समय में बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें नेविगेशन सिस्टम के मुद्दे भी शामिल थे जिन्हें ग्राउंड इंजीनियरों द्वारा तेजी से हल किया गया जो मिशन टीम के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करता है। इन चुनौतियों के बावजूद, ओडीसियस ने आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए योजना के अनुसार अपनी लैंडिंग को अंजाम दिया।

### उपलब्धि का महत्व:

➤ ओडीसियस की सफल लैंडिंग एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित यान द्वारा चंद्रमा पर पहली 'सॉफ्ट लैंडिंग' है। इसके अलावा, यह नासा के आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतीक है जो अमेरिका को अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर वापस

लाने के अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है।



### वैश्वक निहितार्थ:

➤ ओडीसियस का टचडाउन न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि चंद्र अन्वेषण प्रयासों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को भी रेखांकित करता है। जब आज तक केवल कुछ ही देशों ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, चंद्रमा की सतह पर अमेरिका की वापसी अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में उसके नेतृत्व की पुष्टि करती है।

### आगे की राह:

ओडीसियस की सफल लैंडिंग वर्षों की योजना, नवाचार और सहयोग परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका पुनः चंद्र अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, ओडीसियस मानव प्रतिभा और अंतरिक्ष अन्वेषण की असीमित संभावनाओं के रूप में साबित हो सकता है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि, चंद्र अन्वेषण की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

## 5 आदित्य-एल1 द्वारा सौर पवन रहस्य का खुलासा

### चर्चा में क्यों?

आदित्य-एल1 उपग्रह पर मौजूद प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य (पीएपीए) ने सौर पवन पर कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के प्रभाव की सफलतापूर्वक पहचान का विश्लेषण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC)

द्वारा विकसित, पीएपीए सूर्य की कोरोनल हीटिंग प्रक्रियाओं और सौर रहस्यों को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### पीएपीए का मिशन और पेलोड़:

- पीएपीए में दो अत्यधुनिक सेंसर 'सौर पवन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जांच (SWEEP) तथा सौर पवन आयन संरचना विश्लेषक (SWICAR)' शामिल हैं।
- SWEEP इलेक्ट्रॉनों को मापता है, जबकि SWICAR आयनों को मापता है। दोनों सेंसर सौर बायु कणों के आगमन की दिशा निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं।
- 12 दिसंबर से परिचालन में आने के बाद ये लगातार प्रोटॉन और अल्फा कणों के गतिविधि को प्रदर्शित करते हुए स्पेक्ट्रा की सावधानीपूर्वक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।

### कक्षा में प्रवेश के दौरान अस्थायी विसंगति:

- 6 जनवरी को आदित्य-एल1 के हेलो ऑर्बिट सम्मिलन के दौरान, स्पेक्ट्रा में एक अस्थायी गिरावट देखी गई। पेलोड ओरिएंटेशन में बदलाव के कारण हुई इस विसंगति ने मिशन की समग्र सफलता में बाधा नहीं डाली।

### सीएमई का पता लगाना:

- पीएपीए की असली ताकत तब सामने आई जब उसने 10-11 फरवरी को CME घटनाओं के प्रभाव का पता लगाया। 15 दिसंबर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कणों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है जो एल1 बिंदु पर अन्य उपग्रहों, जैसे डीएससीओवीआर और एसीई द्वारा देखे गए सौर पवन परिवर्तनों के अनुरूप है। इन निष्कर्षों ने सीएमई कार्यक्रम की सफल पहचान का संकेत दिया।

### अवलोकन और विश्लेषण:

- पीएपीए के निरंतर डिफॉल्ट मोड अवलोकन, अत्यधिक संवेदनशील SWEEP और SWICAR सेंसर ने आदित्य-एल1 को एल1 बिंदु के स्थितियों पर मूल्यवान वास्तविक समय डेटा प्रदान करने में सक्षम बनाया है।
- रिकॉर्ड किए गए डेटा ने 10-11 फरवरी को सीएमई प्रभावों के दौरान इलेक्ट्रॉन और आयन गणना में मामूली बदलाव दिखाए जो कई छोटी घटनाओं के साथ संरेखित थे। ये अवलोकन अंतरिक्ष मौसम की निगरानी और सौर घटनाओं के विश्लेषण में पीएपीए की क्षमताओं को रेखांकित करते हैं।

### पीएपीए की सफलता का महत्व:

- पीएपीए द्वारा सीएमई प्रभावों का सफल पता लगाना संवेदनशील अंतरिक्ष विज्ञान उपकरणों को डिजाइन करने में इसरो की विशेषज्ञता को उजागर करता है।
- पीएपीए की उपलब्धियाँ, सौर तूफानों और उनके निहितार्थों के बारे में समझ को आगे बढ़ाते हुए आदित्य-एल1 के मिशन उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सौर पवन संरचना में विविधताओं को समझकर, पीएपीए अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए एक अमूल्य उपकरण बन गया है।

### आगे की राह:

आदित्य-एल1 का पीएपीए सौर घटनाओं की खोज में एक प्रमुख लीडर के रूप में उभरा है जो सौर पवन पर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान उपकरणीकरण को आगे बढ़ाने के लिए इसरो की प्रतिबद्धता का उदाहरण पीएपीए की सफलता है जो सूर्य की गतिशीलता और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को समझने की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है।

## 6 रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाना

### चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने सभी एंटीबायोटिक दवाओं के लिए डॉक्टर के लिखित अनुमति की आवश्यकता बाले वास्तविक H1 नियम को लागू करने के लिए 'ऑपरेशन अमृत' लागू किया है। H1 नियम की घोषणा के एक दशक बाद भी अधिकतर राज्य सरकारों ने इसे अब तक नहीं अपनाया है।

### केरल में H1 नियम का प्रवर्तन:

- केरल द्वारा H1 नियम लागू करने के बाद ऐसे कड़े उपाय अपनाने वाला पहला राज्य है। राज्य का उच्च डॉक्टर-रोगी अनुपात, यहां तक कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी इसकी प्रभावशाली साक्षरता दर इसे प्रभावी नियम प्रवर्तन के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है।
- ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक को प्रयोग करने हेतु खरीदने से पहले डॉक्टर की अनुमति अनिवार्य करता है।

## CAUSES OF ANTIBIOTIC RESISTANCE



Antibiotic resistance happens when bacteria change and become resistant to the antibiotics used to treat the infections they cause.



Over-prescribing of antibiotics



Patients not finishing their treatment



Over-use of antibiotics in livestock and fish farming



Poor infection control in hospitals and clinics



Lack of hygiene and poor sanitation



Lack of new antibiotics being developed

### चुनौतियाँ और प्रभाव:

- हालाँकि दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों पर तत्काल प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन यह पहल सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुमान है कि इसका प्रभाव एक दशक नहीं तो कई वर्षों में सामने आएगा।

- ऑपरेशन अमृत केवल नियम प्रवर्तन के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को एंटीबायोटिक सीमाओं के बारे में शिक्षित करके जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देकर एएमआर से निपटने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखाना है।

### अनावश्यक एंटीबायोटिक उपयोग को संबोधित करना:

- इसका एक प्रमुख पहलू यह मानता है कि डॉक्टरों द्वारा दिए गए 50-70% एंटीबायोटिक अनावश्यक और तर्कहीन होते हैं। इसे संबोधित करने में सटीक संक्रमण निदान और प्रयोगशाला सुविधाओं को बढ़ाने का आह्वान किया गया है।
- अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए किफायती रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण प्रस्तावित हैं।
- इसके अतिरिक्त, रोगियों को एंटीबायोटिक सीमाओं के बारे में शिक्षित करना और अनावश्यक प्रयोग के लिए डॉक्टरों को हतोत्साहित करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

### अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों का प्रकटीकरण:

- ओटीसी विनियमन के अलावा, यह अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों की घटनाओं का खुलासा करने के महत्व पर भी जोर देता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में पहचानते हुए संक्रमण संचरण को कम करने और इसके परिणामस्वरूप एंटीबायोटिक निर्भरता को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, स्वच्छता सुविधाओं तथा शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

### बहुआयामी दृष्टिकोण:

- H1 नियम लागू करना केवल एक पहलू है, इसके रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- चिकित्सकों की निर्धारित प्रथाओं में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित संक्रमण दरों की अस्पताल रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना और अस्पतालों में एंटीबायोटिक उपयोग को तर्कसंगत बनाना महत्वपूर्ण घटकों के रूप में पहचाना जाता है।
- इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में एंटीबायोटिक दवाओं के विकास-प्रचारक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना तथा नए एंटीबायोटिक दवाओं, निदान और टीकों के विकास का समर्थन करना एक व्यापक रणनीति में योगदान देता है।

### आगे की राह:

केरल द्वारा H1 नियम को लागू करना एक सराहनीय कदम है। इस बात पर जोर दिया गया है कि वास्तविक चुनौती AMR के प्रमुख चालकों को संबोधित करने में है। ऑपरेशन अमृत अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।

7

## इनसैट-3डीएस का सफल प्रक्षेपण

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने प्रक्षेपण यान, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल (GSLV-F14) में इनसैट-3डीएस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

### इनसैट-3डीएस के बारे में:

- इनसैट-3डीएस उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है जो भारतीय उद्योगों ने उपग्रह के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा वित्त पोषित है जो वर्तमान में चालू इनसैट-3डी और इनसैट-3डीआर उपग्रहों के साथ-साथ मौसम विज्ञान सेवाओं को बढ़ाएगा।
- उपग्रह को पृथ्वी की सतह, बायुमंडल, महासागरों और पर्यावरण की निगरानी करने, डेटा संग्रह तथा उपग्रह-सहायता प्राप्त खोज की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया।

### जीएसएलवी-एफ14 के बारे में:

- जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) एक तीन-चरण (51.7 मीटर लंबा) लॉन्च वाहन है जिसका लिफ्टऑफ द्रव्यमान 420 टन है।
- इसका उपयोग संचार, नेविगेशन, पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण और किसी अन्य स्वामित्व मिशन को करने में सक्षम विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है।

### इसरो के बारे में:

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु INCOSPAR को प्रतिस्थापित करने के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी।
- इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करके विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसका अनुप्रयोग करना है।
- इसरो ने दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियाँ स्थापित की हैं:
  - » इनसैट जो संचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाएँ प्रदान करती है।
  - » भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट (IRS) प्रणाली है जो संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन करती है।
- प्रक्षेपण यान रॉकेट-चालित वाहन हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है।
- इसरो के पास तीन सक्रिय 'पीएसएलवी', 'जीएसएलवी' और 'जीएसएलवी एमके-III' (एलवीएम3) परिचालन प्रक्षेपण यान हैं।

### आगे की राह:

यह मिशन तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने, विमान के लिए दृश्यता प्रदान करने और जंगल की आग, धुआं, बर्फ कवर, जलवायु अध्ययन का अध्ययन करने में मदद करेगा। इस प्रकार यह प्राकृतिक आपदा की वास्तविक समय पर जानकारी देने में भी सक्षम होगा।



# आर्थिक मुद्दे



## 1 कृषि व्यापार पर जी-33 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न

### चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) 26 से 29 फरवरी, 2024 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ। यह उच्च स्तरीय सभा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करने और डब्ल्यूटीओ के भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने हेतु दुनिया भर के व्यापार मंत्रियों को एक मंच प्रदान करती है।

### प्रमुख बिन्दु:

- विश्व व्यापार संघ के सभी सदस्यों की साझा जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए जी-33 बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- डब्ल्यूटीओ का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नियम-आधारित, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में होता है। इस सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने किया।
- सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों से रचनात्मक रूप से जुड़ने का आह्वान करते हुए जी-33 ने 13वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कृषि संबंधी कार्यवाही का अनुरोध किया।
- अफ्रीका में अल्पपोषण और भुखमरी में अनुमानित वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जी-33 ने खाद्य सुरक्षा मुद्दों के समाधान की ताक्तालिकता को रेखांकित किया है।
- कृषि व्यापार वार्ता में धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए जी-33 डब्ल्यूटीओ के भीतर विश्वसनीयता के पुनर्निर्माण के लिए ठोस प्रगति करने के महत्व पर जोर दिया गया है।
- विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए जी-33 इस मुद्दे को सरेखित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- विकासशील देश के सदस्यों के विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) के अधिकार की पुष्टि करते हुए जी-33 ने 14वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इसे अपनाने का अनुरोध किया है।
- जी-33 एसएसएम मुद्दे के संबंध में अफ्रीकी समूह पर विचार करने और तकनीकी चर्चा में शामिल होने की बात हुई।
- कृषि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध जी-33 का उद्देश्य कृषि समझौते में असंतुलन को दूर करना और एलडीसी और एनएफआईडीसी सहित विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है।
- विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार के संरक्षण तथा कृषि व्यापार वार्ता में गैर-व्यापार समस्याओं का उल्लेख करते हुए जी-33 डब्ल्यूटीओ ढांचे की निष्पक्षता और समावेशिता के महत्व को रेखांकित करता है।

### जी 33 के बारे में:

- जी 33 (जिसे कृषि में विशेष उत्पादों के मित्र के रूप में भी जाना जाता है) वर्ष 2003 के कैनकन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले गठित विकासशील देशों का एक गठबंधन है। इसका उद्देश्य डब्ल्यूटीओ वार्ता के भीतर कृषि संबंधी मुद्दों सहित विकासशील देशों के लिए रक्षात्मक उपायों और बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना है।
- भारत के नेतृत्व में यह समूह ऐसी नीतियों की सिफारिश करता है जो विकासशील देशों के कृषि क्षेत्रों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाती हैं। जैसे डिपिंग और अमीर देशों में अधिक सब्सिडी वाली कृषि।
- जी 33 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक 'विशेष उत्पाद' छूट लागू करना है जिससे विकासशील देशों को कुछ कृषि वस्तुओं को टैरिफ़ कटौती से बचाने की अनुमति मिल सके। यह छूट कमजोर कृषक समुदायों के हितों की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, जी 33 अचानक आयात वृद्धि का सामना करने के लिए एक 'विशेष सुरक्षा तंत्र' के कार्यान्वयन का समर्थन करता है जो घरेलू कृषि बाजारों की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। यह तंत्र विकासशील देशों को ऐसे व्यवधानों के प्रत्युत्तर में टैरिफ़ लगाने में सक्षम बनाएगा।

### आगे की राह:

इन उपायों के माध्यम से जी 33 विकासशील देशों को अपनी कृषि अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना चाहता है।

## 2 सेबी की विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को धोखाधड़ी सम्बन्धी चेतावनी

### चर्चा में क्यों?

बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने धोखाधड़ी/जालसाजी वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में व्यक्तियों को चेतावनी जारी किया है जो उनके पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के साथ अवैध तरीके से जुड़े होने का दावा करते हैं।

### धोखाधड़ी/जालसाजी वाले प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली:

- भ्रामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग, सेमिनार और मेट्रशिप कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं।
- संभावित व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ लाइव प्रसारण का लाभ उठाया जा रहा है।
- धोखाधड़ी/जालसाजी वाले प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली में

सेबी-पंजीकृत एफपीआई के कर्मचारियों या सहयोगियों का रूप धारण करना, व्यक्तियों से शेयरों की ट्रेडिंग और आईपीओ की सदस्यता लेने के लिए एप्लिकेशन डाउनलोड करने का आग्रह करना, आधिकारिक ट्रेडिंग या डीमैट खाते की आवश्यकता के बिना 'संस्थागत खाता लाभ' का झूठा वादा करना आदि शामिल हैं।

- इसमें फर्जी योजनाओं को अंजाम देने के लिए फर्जी नामों से पंजीकृत मोबाइल नंबरों का उपयोग किया जाता है।

### सेबी का स्पष्टीकरण:

- सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में उल्लिखित सीमित अपवादों को छोड़कर, एफपीआई निवेश मार्ग निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- ट्रेडिंग में 'संस्थागत खाते' का कोई प्रावधान नहीं है और इक्विटी बाजार तक सीधी पहुंच के लिए निवेशकों को क्रमशः सेबी-पंजीकृत ब्रोकर ट्रेडिंग सदस्य और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ ट्रेडिंग तथा डीमैट खाता रखना आवश्यक है।
- सेबी ने यह भी निर्देश दिया कि भारतीय निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजार में निवेश के संबंध में एफपीआई को कोई छूट नहीं दिया जा सकता है।

### निवेशकों के लिए सुरक्षा उपाय:

- सेबी निवेशकों को सावधानी बरतने और सोशल मीडिया संदेशों, व्हाट्सएप समूहों, टेलीग्राम चैनलों या सेबी के साथ पंजीकृत एफपीआई या एफआईआई के माध्यम से शेयर बाजार तक पहुंच की सुविधा का दावा करने वाले ऐप्स से बचने की सलाह देता है। ऐसी सभी योजनाएं धोखाधड़ी वाली हैं जिनमें सेबी का समर्थन नहीं है।

### विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई):

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में निवेशक के अलावा किसी अन्य देश से उत्पन्न वित्तीय संपत्तियों का नियंत्रण शामिल है।
- एफपीआई होल्डिंग्स में स्टॉक, एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज- ट्रेडेड फंड जैसी विभिन्न प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक निष्क्रिय स्वामित्व बनाए रखते हैं या उद्यमों पर नियंत्रण या संपत्ति के प्रत्यक्ष स्वामित्व या कंपनियों में हिस्सेदारी का अभाव रखते हैं।
- अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा किए गए निवेश को एफपीआई का हिस्सा नहीं माना जाता है।

## 3 डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नैसर्कोम की अगुवाई वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) में भारत को 2030 तक 8 ट्रिलियन

डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। इससे देश को 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

### रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर अपनाने और बड़े आर्थिक प्रभाव के साथ डीपीआई लगभग 1.3 बिलियन नागरिकों की मदद कर रहा है जिसमें भारत की 97 प्रतिशत आबादी शामिल है।
- परिपक्व डीपीआई ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत के बराबर \$31.8 बिलियन का मूल्य सृजन किया।
- आधार ने मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लीक को समाप्त करके 15.2 बिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य सृजित किया है, दूसरी ओर यूपीआई ने सभी क्षेत्रों में नकद लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की जगह लिया है जिसका योगदान 16.2 बिलियन डॉलर है।
- डीपीआई अपनाने से महत्वपूर्ण कागजी बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में बचाए गए समय ने 2022 में कार्बन उत्सर्जन में 3.2 मिलियन टन की कमी की। इसके अलावा, डीपीआई नागरिक-केंद्रित समाधान प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्यों के साथ संरचित होता है।
- भारत के इंटरऑपरेबल और ओपन-सोर्स डीपीआई को अब सामाजिक तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए 30 से अधिक देशों द्वारा अपनाया या इस पर विचार किया जा रहा है,

## India's Digital Public Infrastructure In Numbers

COAI

\*As of Dec '23

 1.38 Bn+ Total Aadhaar Card Holders	 17 Bn+ Total eKYC Transactions Processed	 224 Mn+ Digilocker Users
 \$5.2 Tn+ Total Value of Transactions Processed on UPI	 6.2 Bn+ Documents Issued On Digilocker	 252 Bn+ Transactions Processed On UPI
 495 Mn+ Ayushman Bharat Health Accounts	 34 Mn+ Bank Accounts On Account Aggregator	 25 Mn+ Students On National Programme On Technology Enhanced Learning
Source: Inc42 Analysis		

### डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के बारे में:

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) डिजिटल तकनीक का एक नेटवर्क है जो देशों को अपने निवासियों को सेवाएं और आर्थिक अवसर प्रदान करने में मदद करता है। डीपीआई में डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनियम समाधान

जैसे प्लेटफॉर्म तथा ब्लॉक शामिल हैं। डीपीआई सदृकों के समान एक नेटवर्क है जो लोगों को वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। उदाहरण-

- » आधार भुगतान ब्रिज
- » एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)
- » डिजीलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर

### मुख्य सिफारिशें:

- एआई, वेब3, मेटावर्स जैसे नवीन प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से परिपक्व और उभरते डीपीआई का परिवर्तन महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत कर सकता है।
- 2030 डीपीआई क्षमता का एहसास करने के लिए सरकारी एजेंसियों को कॉर्पोरेट और स्टार्टअप के साथ साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने हेतु टास्क फोर्स की स्थापना करके सक्रिय नीति समर्थन, नियामक स्पष्टता तथा मौजूदा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना जारी रखना होगा।

### आगे की राहः:

स्टार्टअप और एसएमई को ऐसे बिजनेस मॉडल बनाने चाहिए जो मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे को पूर्ण पैमाने पर अपनाने और नए जमाने की प्रौद्योगिकियों के साथ प्रयोग करने का लाभ उठा सके। कॉर्पोरेट्स तथा बिग टेक को भविष्य की डिजिटल मांग का अनुमान लगाना चाहिए, आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।

## 4 अंतरिक्ष क्षेत्र में नई एफडीआई नीति को मंजूरी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हेतु उदार बनाया गया है।

### नए संशोधन क्या हैं?

- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का लक्ष्य अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि और अंतरिक्ष क्षेत्र में समृद्ध व्यावसायिक उपस्थिति का विकास करना है जिसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई का लक्ष्य रखा गया है। नया संशोधन इसी दृष्टिकोण के अनुरूप है क्योंकि अब अंतरिक्ष क्षेत्र को ऐसे प्रत्यक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए परिभाषित सीमाओं के साथ तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। संशोधित नीति के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार हैं:
- स्वचालित रूट के तहत 49%- प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियां या उपप्रणालियां, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसाव करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण करना। 49 प्रतिशत के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।


- स्वचालित मार्ग के तहत 74%- उपग्रह-विनिर्माण व प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट तथा यूजर सेगमेंट। 74 प्रतिशत के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।
- स्वचालित रूट के तहत 100%- उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए घटकों तथा प्रणालियों/उप-प्रणालियों का विनिर्माण।

### भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्यः

- यह बढ़ी हुई निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता को पूरी तरह से प्रयोग करने के दृष्टिकोण को लागू करने हेतु एक व्यापक और गतिशील ढांचा है।
- इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रौद्योगिकी विकास के चालक के रूप में विकसित करना और संबद्ध क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना तथा सभी हितधारकों के बीच अंतरिक्ष अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

### भारतीय अंतरिक्ष नीति के लाभः

- अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर भारत (मेक इन इंडिया) के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किया गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ी भागीदारी से रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी जिससे समाज में आधुनिक प्रौद्योगिकी को तेज गति से शामिल किया जा सकेगा।
- अंतरिक्ष क्षेत्र की आत्मनिर्भर क्षमता भी बढ़ेगी। यह भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करेगा। यह अंतरिक्ष अभियानों में अपना पूरा प्रयास समर्पित करने के लिए इसरो को पर्याप्त मात्रा में समय और संसाधन भी प्रदान करेगा।



### आगे की राहः:

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र भारतीय समाज की तकनीकी उन्नति के लिए

महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है जो भारतीय राजनीतिक संबंधों में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। इसलिए सभी हितधारकों को तकनीकी विकास के उचित वितरण के साथ निजी भागीदारी में वृद्धि से बढ़े पैमाने पर विकास का लाभ मिलेगा।

## 5 राज्यों के बीच वित्तीय हस्तांतरण का बढ़ता विवाद

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में कई राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि वित्तीय हस्तांतरण की वर्तमान योजना इन राज्यों के प्रति उचित नहीं है। इन राज्यों ने कर संग्रह में इनके योगदान की तुलना में कर राजस्व की प्राप्ति में कम आनुपातिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया है।

### वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली क्या है?

➤ भारत के संविधान ने वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर की शुद्ध आय को केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की योजना प्रदान किया है। इस सिफारिश के अनुसार ही सभी राज्यों को राजस्व का वितरण किया जाता है।

### कर विभाज्य पूल क्या होता है?

➤ विभाज्य पूल सकल कर राजस्व का वह हिस्सा है जो केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, केंद्रीय जीएसटी, आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) में केंद्र का हिस्सा शामिल है। मूल रूप से इसमें अधिभार को छोड़कर सभी प्रकार के कर और विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाए गए उपकर शामिल होते हैं।

Criteria	11th FC 2000-05	12th FC 2005-10	13th FC 2010-15	14th FC 2015-20	15th FC 2021-26
Income Distance	62.5	50	47.5	50	45
Population (1971 Census)	10	25	25	17.5	-
Population (2011 Census)	-	-	-	10	15
Area	7.5	10	10	15	15
Forest cover	-	-	-	7.5	-
Forest and ecology	-	-	-	-	10
Infrastructure index	7.5	-	-	-	-
Fiscal discipline	7.5	7.5	17.5	-	-
Demographic performance	-	-	-	-	12.5
Tax effort	5	7.5	-	-	2.5
Total	100	100	100	100	100

### राज्यों द्वारा उठाया गया मुद्दा क्या है?

➤ औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों और दक्षिणी राज्यों ने दावा किया है कि वे राज्यों को जितना भुगतान कर रहे हैं, उससे कम प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि प्रत्येक राज्य ने केंद्र को एक रूपये का योगदान दिया है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और करेल जैसे राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में 50 पैसे से कम प्राप्त हुआ है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, असम

तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को उस शुद्ध आय के दो रूपये से अधिक प्राप्त हुआ है।

➤ दूसरा मुद्दा पिछले छह वित्तीय आयोगों के दौरान करों के विभाज्य पूल में दक्षिणी राज्यों की घटती प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके साथ ही विभाज्य पूल टैक्स से उपकर और अधिभार को बाहर करना भी राज्यों के लिए चिंता का विषय है।

### यह असमान विभाजन वित्तीय हस्तांतरण का उचित साधन क्यों?

➤ वित्त आयोग (एफसी) हर पांच साल के बाद कर के ऊर्ध्वधर विभाज्य पूल (केंद्र और राज्यों के बीच) की हिस्सेदारी के बारे में अपनी सिफारिश को संशोधित करता है तथा राज्यों के बीच पूल की आय के क्षेत्रिज विभाजन के लिए मानदंड प्रदान करता है। यह अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई को कम करने तथा राज्यों को उनके विकास में संसाधन प्रदान करने के लिए किया जाता है।

### आगे की राह:

वित्तीय हस्तांतरण सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का मुख्य साधन है, इसलिए यह मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला रखता है। सभी राज्यों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा कई राज्यों द्वारा उठाई गई समस्या पर विचार किया जाना चाहिए जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व से सम्बंधित मुद्दे का समाधान किया जा सके।

## 6 मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण

### चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2022-23 जारी किया है। सर्वेक्षण बताता है कि 2011-12 से 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय दोगुना हो गया है।

### सर्वेक्षण का उद्देश्य:

➤ सर्वेक्षण एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान आयोजित किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई), राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए इसके वितरण का अलग-अलग अनुमान तैयार करना है।

### सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

➤ सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि भारतीयों के कुल खर्च बास्केट में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है। इससे खाद्य व्यय की संरचना खाद्यान्न और चीनी से लेकर पशु और बागवानी उत्पादों तक में बदलाव का भी पता चलता है।

➤ ग्रामीण भारत के लिए 2011-12 से 2022-23 के दौरान औसत एमपीसीई में भोजन की हिस्सेदारी 52.9% से घटकर 46.4% हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी भारत में 42.6% से

- 39.2% हो गई है।
- कृषि परिवारों का औसत एमपीसीई कुल औसत ग्रामीण परिवारों से नीचे गिर गया है। यह समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि ग्रामीण परिवारों की आय में गिरावट की प्रवृत्ति के बारे में बताता है।
  - ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में दूध, फल तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन पर खर्च का हिस्सा खाद्यान्न (अनाज और दालें) की हिस्पेदारी से बढ़ गया है।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाजारीकरण के प्रभाव और आय के बढ़ते स्तर के साथ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों तथा खरीदे गए भोजन पर व्यय का हिस्सा बढ़ रहा है।
  - एचसीईएस डेटा निष्कर्ष 'एंगेल कर्व परिकल्पना' के साथ एक सुसंगत प्रवृत्ति का सुझाव दे रहे हैं। 19वीं सदी के जर्मन सांख्यिकीविद ने अपनी परिकल्पना में कहा है कि आय के स्तर में वृद्धि के साथ, परिवार भोजन पर उसका कम हिस्सा यानी बेहतर खाद्य पदार्थों पर अधिक खर्च करता है। इस मामले में अनाज और दालें घटिया हैं, जबकि दूध, फल, अंडा, मछली, मांस तथा सब्जियाँ श्रेष्ठ हैं।
  - सर्वेक्षण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अब खपत पारंपरिक आहार के बजाय प्रसंस्कृत और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर अधिक केंद्रित हो गई है। औसत ग्रामीण परिवारों के बीच कृषि परिवारों की घटती खपत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

#### आगे की राह:

एचसीईएस नीति निर्माताओं के लिए खाद्य पदार्थों की मांग के अनुमान और प्रक्षेपण के लिए आधार प्रदान करने हेतु एक मूल्यवान डेटा स्रोत है। इस प्रकार योजनाओं और उपायों को अब बाजार की मांग के साथ संतुलन बनाने के लिए डेयरी, पशुधन तथा बागवानी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

## 7 भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी तीसरी तिमाही के जीडीपी और 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमानों से पता चला है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि अक्टूबर-दिसंबर में छह-तिमाही के उच्च स्तर 8.4% पर पहुंच गई है। इसके बाद 2023-24 के लिए विकास दर की संभावना 7.6% हो गई, जबकि पहले का अनुमान 7.3% था।

#### मुख्य बिन्दु:

- चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में, विनिर्माण क्षेत्र में दोहरे अकों में सबसे अधिक 11.6% की वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि निर्माण क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई। अक्टूबर-दिसंबर में कृषि में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई।
- निजी अंतिम उपभोग व्यय, उपभोग मांग का एक संकेतक,

अक्टूबर-दिसंबर में साल-दर-साल 3.5% बढ़ा है, जबकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में 3.2% की कमी आई।

- तीसरी तिमाही के दौरान सकल स्थिर पूँजी निर्माण, निवेश का संकेतक 10.6% बढ़ गया।

#### -: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश द्वारा किसी विशेष समय के लिए उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मानक माप होता है। जीडीपी एक निश्चित समय में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है जहां बाजार मूल्य का अर्थ उत्पादन के मूल्य निर्धारण हेतु बाजार कीमतों का उपयोग है जोकि आमतौर पर जीडीपी को घरेलू मुद्राओं में मापा जाता है। जीडीपी की गणना त्रैमासिक, मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर की जा सकती है।

अधिकांश सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि आपूर्ति पक्ष पर मजबूत गैर-कृषि विकास और मांग पक्ष पर पर्याप्त निवेश वृद्धि के माध्यम से हुई है। मांग पक्ष पर मुख्य नकारात्मक खबर उपभोग व्यय वृद्धि में मंदी है जो अब निजी और सरकारी दोनों के अंतिम उपभोग व्यय के लिए केवल 3% रह गई है।

- अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध करों में तेज वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि दर के बीच अंतर की ओर इशारा किया शुद्ध कर वास्तविक रूप से तीसरी तिमाही (Q3 FY24) में 32% बढ़ने का अनुमान है।
- जीवीए, जो आउटपुट पक्ष से राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, वित्त वर्ष 2023-24 में 7% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 6.7% थी। इसकी तुलना वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6% रहेगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.0% थी।

#### आगे की राह:

तीसरी तिमाही के लिए 8% से अधिक जीडीपी वृद्धि कई अर्थशास्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात थी। ऐसा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट और औद्योगिक क्षेत्र द्वारा कम इनपुट लागत के कारण हुआ है, क्योंकि मामूली मात्रा में वृद्धि के बावजूद, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक मूल्य वर्धित वृद्धि दर्ज की गई है। यह कई सरकारी पहलों जैसे मेक इंडिया और मुद्रा योजना आदि के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है।



# विविध मुद्दे




## 1 वित्तीय व्यय के लिए मंत्रालयों की रिपोर्टिंग सीमा में वृद्धि

### चर्चा में क्यों?

लगभग दो दशकों के बाद, सरकार संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की मंजूरी के साथ 'नई सेवा' और 'सेवा के नए साधन' के लिए वित्तीय सीमाओं को संशोधित करने की योजना है।

### लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा अनुमोदन:

- पीएसी ने मंत्रालयों/विभागों द्वारा नई नीति-संबंधित व्यय के लिए रिपोर्टिंग सीमा को संशोधित करने के लिए वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दिया।
- नई नीति-संबंधी व्यय के लिए रिपोर्टिंग सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये से ऊपर किया गया है, लेकिन इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं किया जा सकता है।
- 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने के लिए संसद की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।



### वित्तीय सीमाओं में संशोधन:

- यह आजारी के बाद से चौथा संशोधन है जिसका उद्देश्य संसद में प्रस्तुत अनुदान की अनुपूरक मांगों की आवृत्ति को कम करना है।
- अंतिम संशोधन 2006 में हुआ था और कम वित्तीय सीमा के कारण मंत्रालयों/विभागों से पूरक प्रस्तावों में वृद्धि हुई जिससे परियोजना निष्पादन में देरी हुई।
- 'नई सेवा (NS)' एक ऐसे नए नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाले व्यय को संदर्भित करती है जो पहले संसद में प्रस्तुत नहीं किया

गया था।

- 'सेवा का नया साधन (NIS)' मौजूदा नीति के महत्वपूर्ण विस्तार से अपेक्षाकृत बड़े व्यय को संदर्भित करता है।

### संशोधन का उद्देश्य:

- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मंत्रालयों को बजटीय आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- उक्त संशोधन की आवश्यकता पूरक प्रस्तावों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है जिससे परियोजना निष्पादन में देरी होती है।
- वार्षिक रूप से 6-7% की सीमा में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की उम्मीद के साथ, अगले दशक में बजट का आकार काफी बढ़ने का अनुमान है।
- इससे बड़े हुए व्यय को समायोजित करने के लिए वित्तीय सीमाओं में संशोधन की आवश्यकता है।
- यह 50 वर्षों में चौथा परिवर्तन है और यह व्यापक विचार-विमर्श के बाद हो सका है।

### आगे की राह:

इन संशोधनों का उद्देश्य सरकारी खर्च प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और पीएसी के लिए जांच प्रक्रिया को सरल बनाना है। इससे निर्णय लेने में तेजी आने और योजना कार्यान्वयन की गति में सुधार होने की उम्मीद है।

## 2 सागर आंकलन दिशानिर्देश

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 'सागर आंकलन' के नये दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन में बदलाव लाना है। यह भारतीय बंदरगाह रसद प्रदर्शन, दक्षता की मैपिंग और बेंचमार्किंग, मानकों के सामंजस्य सहित बंदरगाह क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता, दक्षता तथा समग्र प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

### जीएमआईएस 2023 से समझौते का कार्यान्वयन:

- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में हस्ताक्षरित समझौते को लागू करने के लिए हितधारकों की बैठक का समापन किया।
- इस दौरान समझौते के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कई कार्य योजनाएं तैयार की गईं जिसका लक्ष्य उन्हें जल्द से जल्द कार्यवाही योग्य बनाना है।
- विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने और समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रतिभागी सार्थक चर्चा में शामिल थे।

### जीएमआईएस 2023 का महत्व:

- जीएमआईएस 2023 विश्व स्तर पर सबसे बड़े समुद्री शिखर

सम्मेलनों में से एक के रूप में कार्यरत है जिसने महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धताओं को आकर्षित किया है।

- इस दौरान 8.35 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता के साथ 360 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, साथ ही 1.68 लाख करोड़ की अतिरिक्त निवेश योग्य परियोजनाओं की घोषणा भी की गई।
- इस समझौते में समुद्री क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया जिसमें बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, जहाज निर्माण तथा ज्ञान साझा करना शामिल है।

### समझौते पर प्रगति:

- बंदरगाह प्रतिनिधियों ने जीएमआईएस 2023 में हस्ताक्षरित समझौते की प्रगति पर अपडेट प्रदान किया जिसमें प्राप्त लक्ष्यों/सफलताओं और उस दौरान सामने आई चुनौतियों का विवरण दिया गया।
- इस दौरान हितधारकों ने समझौतों के कार्यान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने संबंधी अपने-अपने दृष्टिकोण भी व्यक्त किया।

### आगे की राह:

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय उद्देश्यों को मूर्त परिणामों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए सहयोग को बढ़ावा देकर, प्रैदौर्गिकियों और दीर्घकालिक प्रथाओं का लाभ उठाकर भारत का लक्ष्य अपने समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करना तथा समावेशी विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देना है।

## 3 समक्का सरलम्मा जथारा उत्सव सम्पन्न

### चर्चा में क्यों?

देश भर से हजारों आदिवासियों ने चार दिवसीय द्विवार्षिक आदिवासी मेला 'समक्का सरलम्मा जथारा' मनाया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े आदिवासी त्योहार 'समक्का सरलम्मा जथारा या मेदाराम जतारा' की शुरुआत पर शुभकामनाएं दीं।

### 'समक्का सरलम्मा जथारा' त्योहार के बारे में:

- मेदाराम जथारा उत्सव एक चार दिवसीय उत्सव है जो भारत के तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में हर दो साल में होता है। यह त्योहार देवी सम्मक्का और सरलम्मा का सम्मान करता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्थानीय आदिवासी समुदाय की रक्षा करती हैं।
- यह तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव तेलंगाना सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग के सहयोग से कोया जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है।
- मेदाराम तेलंगाना के इटुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है।
- यह एक ऐसा त्योहार है जिसका कोई वैदिक या पुरोहित प्रभाव नहीं है।

### ऐतिहासिक जुड़ाव:

- यह त्योहार काकतीय शासकों के अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ सम्मक्का और सरलम्मा के बीच लड़ाई की याद दिलाता है जिसने सूखे की अवधि के दौरान आदिवासी आबादी पर कर लगाया था। युद्ध के बाद सम्मक्का और सरलम्मा को देवता बना दिया गया तथा हर दो साल में उनके सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाने लगा। कोया जनजाति का मानना है कि सम्मक्का और सरलम्मा उनकी रक्षा के लिए भेजी गई आदि पराशक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं।

### कोया जनजाति के बारे में:

- कोया एक भारतीय आदिवासी समुदाय है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और कला के लिए जाने जाते हैं। वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में पाए जाते हैं।
- कोया गोंडी भाषी लोगों की एक शाखा है। वे कोया भाषा बोलते हैं (जिसे कोया बाशा भी कहा जाता है) जो गोंडी से संबंधित द्रविड़ भाषा है। कोया खुद को 'कोया' या 'कोइटर' कहते हैं जिसका अर्थ 'लोग' होता है।

## 4 दंड पट्टा बना महाराष्ट्र का राज्य हथियार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक राज्य हथियार के रूप में 'दंड पट्टा' या गैंटलेट तलवार की घोषणा किया।

### दंड पट्टा या गैंटलेट तलवार के बारे में:

- दंड पट्टा में चार फीट तक की दोधारी तलवार शामिल होती है जिसमें हाथ की सुरक्षा के लिए एक गैंटलेट भी लगा होता है। मध्यकाल के दौरान इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था और कई चित्रों में शिवाजी को इस हथियार के साथ चित्रित किया गया है। जब शिवाजी पर बीजापुर के आदिल शाह के सेनापति अफजल खान ने हमला किया था, तो उनके अंगरक्षक जीवा महला ने हमलावर सैव्यद बंदा की बांह काटने के लिए दंड पट्टा का इस्तेमाल किया था।
- शिवाजी ने व्यक्तिगत रूप से मुगल सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में घातक प्रभाव के लिए 'दंड पट्टा' का प्रयोग किया था।
- सदियों से यह मराठा योद्धाओं की बहादुरी और मार्शल परंपराओं से जुड़ा एक प्रसिद्ध हथियार बन रहा है।
- मर्दानी खेल में दंड पट्टा सहित विभिन्न हथियारों का उपयोग किया जाता है। कई मार्शल आर्ट रूपों के विपरीत, मर्दानी खेल में महिलाओं के लिए भी उतना ही स्थान है जितना पुरुषों के लिए है।

### महाराष्ट्र के लिए महत्व:

- 'दंड पट्टा' तलवार मराठों के सर्वोत्कृष्ट हथियार के रूप में महाराष्ट्र के इतिहास और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उस सामरिक नवीनता और गुरिल्ला युद्ध का प्रतीक है जिसका नेतृत्व शिवाजी ने छोटी सेनाओं के साथ बड़े प्रतिद्वंद्वियों को हराने के

लिए किया था।

- इसे राज्य के हथियार के रूप में घोषित करना उन बहादुर मराठा सैनिकों और सैन्य जनरलों का सम्मान करना है जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना में मदद की। यह आज के महाराष्ट्र को उसके गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, साथ ही एक मजबूत, चतुर और कुशल योद्धा राजा के रूप में शिवाजी की छवि को मजबूत करता है।

### आगे की राह:

यह घोषणा महाराष्ट्र की मजबूत मार्शल आर्ट विरासत को बढ़ावा देती है तथा शिवाजी जैसे नायकों को याद करती है। यह हथियार रणनीति और शासन कला में नवाचार की अगुवाई करने के राज्य के इतिहास का एक प्रतीक है। सरकार का लक्ष्य युवाओं के बीच 'दंड पट्टा' जैसे हथियारों की कहानियों को लोकप्रिय बनाना है ताकि उन्हें राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में प्रेरित किया जा सके।

## 5

### भारत में उच्च जोखिम गर्भवस्था की स्थिति

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुंबई में आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ (एनआईआरआरसीएच) के शोधकर्ताओं द्वारा जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ में उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की व्यापकता 49.4% का उल्लेख किया गया है।

#### अध्ययन के प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन में लगभग 24,000 गर्भवती महिलाओं के डेटा का विश्लेषण करके पाया गया कि लगभग 33% गर्भवती महिलाओं में एक ही उच्च जोखिम कारक था, जबकि 16% में कई उच्च जोखिम कारक थे।
- अध्ययन में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) के क्रॉस-सेक्शनल घरेलू सर्वेक्षण डेटा और जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएचएस) कार्यक्रम से यूनिट-स्तरीय डेटा का उपयोग किया गया।
- पूर्वोत्तर राज्य मेघालय (67.8%), मणिपुर (66.7%) और मिजोरम (62.5%) तथा दक्षिणी राज्य तेलंगाना (60.3%) के साथ भारत में उच्च जोखिम वाले राज्य हैं।
- सिक्किम (33.3%), ओडिशा (37.3%) और छत्तीसगढ़ (38.1%) में उच्च जोखिम वाली गर्भधारण का प्रचलन सबसे कम पाया गया था।

#### जोखिम कारक और भेद्यता:

- अध्ययन में पाया गया कि कमजोर आबादी की गर्भवती महिलाओं जैसे गरीब महिलाओं (जिनके पास कोई शिक्षा नहीं थी) में गर्भवस्था के लिए एक या अधिक जोखिम कारक होने की संभावना थी।
- अध्ययन के लिए जिन जोखिम कारकों पर विचार किया गया, उनमें मातृ जोखिम, जीवनशैली जोखिम, चिकित्सा जोखिम, वर्तमान

स्वास्थ्य जोखिम और जन्म के परिणाम जोखिम आदि प्रमुख हैं।

- मातृ जोखिम कारकों में मां की 15 से 17 वर्ष की आयु की किशोर महिलाएं होना रहा या 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में ऐसी स्थिति देखी गयी। जिन गर्भवती महिलाओं का कद 140 सेमी से कम और जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक है, उनमें भी ये चीजें देखी गयी हैं।
- जीवनशैली के जोखिम कारकों में तंबाकू का उपयोग और शराब का सेवन शामिल है, जबकि पिछले जन्म के जोखिमों में पांच से अधिक बच्चों वाली गर्भवती महिलाएं, कम जन्म अंतराल वाली महिलाएं तथा 59 महीने से अधिक लंबे जन्म अंतराल वाली महिलाएं शामिल हैं।
- समय से पहले प्रसव, गर्भपात या मृत जन्म के इतिहास वाली महिलाओं को पिछले जन्म परिणाम जोखिम कारक की श्रेणी में शामिल किया गया था।

#### प्रमुख उच्च जोखिम कारक:

- जन्म के समय कम अंतराल अर्थात पिछले जन्म से लेकर वर्तमान गर्भधारण के समय के बीच का समय अंतराल 18 महीने से कम होना जो 31% गर्भवती महिलाओं में पाया गया है।
- प्रतिकूल जन्म परिणाम (19.5%) जैसे गर्भपात या मृत जन्म
- सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी (16.4%)
- किशोर गर्भधारण से उत्पन्न जोखिम कारक त्रिपुरा में सबसे अधिक (10.3%) था, जबकि 35 वर्ष से अधिक की मातृ आयु में जोखिम कारक सबसे अधिक लद्दाख (14.3%) में देखा गया था।

#### आगे की राह:

अध्ययन के अनुसार, उच्च जोखिम वाले कारक पहली (48.8%) और दूसरी तिमाही (48.6%) की तुलना में तीसरी तिमाही (51%) के दौरान अधिक देखे गए। शिक्षित महिलाओं की तुलना में बिना किसी शैक्षिक श्रेणी वाली महिलाओं (22.5%) में उच्च जोखिमों का अनुपात अधिक था। सार्वजनिक जागरूकता और महिलाओं को शिक्षित करना, समय की मांग है जिससे इस तरह के जोखिमों को कम किया जा सकता है।

## 6

### भारत का भाषा एटलस

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र' ने भारत का 'भाषा एटलस' बनाने के लिए देश भर में एक भाषाई सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया है। इससे भारत की भाषायी विविधता को समझाकर, उसके संरक्षण करने में मदद करेगा।

#### सुझाव के प्रमुख बिंदु:

- इस सर्वेक्षण में भारत में भाषाओं और बोलियों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करके यह जानने की कोशिश की जाएगी कि भारत में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं तथा उनकी कितनी लिपियाँ और बोलियाँ हैं?
- यह सर्वेक्षण कई चरणों में किया जाना है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रस्ताव है कि सबसे पहले राज्य-वार डेटा संग्रह

होना चाहिए और फिर क्षेत्र-वार। इसमें बोली जाने वाली सभी भाषाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने का भी प्रस्ताव है।

- डीपीआर के अनुसार सर्वेक्षण में सभी हितधारकों और विभिन्न भाषा समुदायों के अलावा संस्कृति, शिक्षा, जनजातीय मामले, गृह, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय होंगे।

#### भारत में भाषाएँ:

- भारत आधिकारिक तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता देता है जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 का हिस्सा हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 97% आबादी इनमें से कोई एक भाषा बोलती है।
- इसके अतिरिक्त, 2011 की जनगणना में 99 गैर-अनुसूचित भाषाएँ शामिल हैं और लगभग 37.8 मिलियन लोग इन गैर-अनुसूचित भाषाओं में से एक को अपनी मातृभाषा के रूप में मानते हैं।
- भारत का पहला और सबसे विस्तृत भाषाई सर्वेक्षण (एलाएसआई) सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया था जो 1928 में प्रकाशित हुआ था।
- स्वतंत्र भारत में, 1961 की आधिकारिक जनगणना भाषाई आंकड़ों के संबंध में सबसे विस्तृत थी। इस जनगणना में भारत में बोली जाने वाली 1,554 भाषाओं के रिकॉर्ड में एक भाषाविद को भी शामिल किया गया।
- 1971 के बाद से जनगणना में 10,000 से कम बोलने वाली भाषाओं को शामिल नहीं करने के निर्णय के कारण 1.2 मिलियन लोगों की मूल भाषा अज्ञात बनी हुई है। इनमें से कई भाषाएँ ऐसी हैं जो आधिकारिक जनगणना रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, लेकिन आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हैं।

#### आगे की राह:

भाषा न केवल संचार का साधन है, बल्कि स्थानीय ज्ञान, कहानियों और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है। कई आदिवासी समुदायों के पास अपने स्थानीय औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियाँ हैं जिन्हें वे अपनी स्थानीय भाषा में युवा पीढ़ियों तक पहुँचाते हैं। भाषाई सर्वेक्षण भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए एक डेटाबेस हो सकता है। जैसा कि भारत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, इसलिए देश में सभी भाषाओं को समान संरक्षण देने की आवश्यकता है।

7

## गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने हेतु 20 करोड़ रुपये का आवंटन

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किया है जो अपनी जमानत राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में जेल में बंद रहते हैं। सभी राज्यों को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक राज्य को केंद्र

सरकार से राज्य मुख्यालयों तक धन के निर्बाध प्रवाह के लिए एक समर्पित खाता खोलना चाहिए ताकि धन जरूरतमंदों को वितरित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को धन के वितरण को सुव्यवस्थित करना है।

#### प्रमुख बिंदु:

- अत्यधिक भीड़भाड़ की चुनौती: भारतीय जेलें गंभीर भीड़भाड़ की समस्या से जूझ रही हैं जो अक्सर अपनी निर्धारित क्षमता से 100% या उससे अधिक बढ़ जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में यह 177% तक पहुंच जाती है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप बदतर जीवन स्थितियां, स्वच्छता संबंधी चुनौतियाँ, हिंसा और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।



- विचाराधीन कैदियों की आबादी का मुह़ा: जेल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा (76%) मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे विचाराधीन कैदियों का होता है जो अक्सर न्यायिक देरी के कारण लंबी अवधि तक मुकदमे का सामना करते हैं।

#### भारत में कैदियों के अधिकारों की रक्षा हेतु सरकारी पहल:

- 1980 की जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति (मुल्ला समिति) ने मुकदमों में तेजी लाने, जेल की भीड़ को कम करने, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण को प्राथमिकता देने के लिए व्यापक उपाय प्रस्तावित किए।
- इन सिफारिशों में कैदियों के लिए कौशल विकास, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के कार्यक्रम शामिल थे। वर्ष 2000 में जेलों पर राष्ट्रीय नीति ने जेल प्रणालियों के भीतर मानवीय स्थितियों पर जोर दिया।
- 2016 के मॉडल जेल मैनुअल में जेल प्रशासन और कैदी प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा दी गई है जिसका लक्ष्य मानवीय स्थिति सुनिश्चित करना, मानवाधिकारों को बनाए रखना तथा कैदियों के सुधार और पुनर्वास को बढ़ावा देना है।
- वित्तीय वर्ष 2021-2026 के लिए 'जेलों का आधुनिकीकरण' परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपये का बजट, जेल उपकरणों के आधुनिकीकरण और देश की जेलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित रहा।

- आदर्श कारागार तथा सुधार सेवा अधिनियम 2023 मुख्य रूप से अपराधियों की हिरासत पर ध्यान देने के साथ जेलों के भीतर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित है।
- ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना 2024’ का उद्देश्य सामाजिक रूप से वंचित और गरीब कैदियों की सहायता करना है जिनके पास अपनी जमानत राशि या जुर्माना भरने के लिए वित्तीय साधनों की कमी है जिससे उनकी रिहाई में आसानी हो।

## Rights of Prisoners



### समाधान एवं उपाय:

- भीड़ कम करने के उपाय: फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करना, प्ली बार्गेंग करना और विचाराधीन कैदियों को कम करने तथा जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दों को संबोधित करने के लिए पैरेल पर जोर देना।
- पुनर्वास फोकस: सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने, क्रोध प्रबंधन करने और दोबारा अपराध करने की संभावना को कम करने हेतु पुनर्एकीकरण समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू करना। राजस्थान के ‘खुली जेल’ मॉडल उन कैदियों को खुली जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है जिन्होंने अपनी एक तिहाई सजा काट लिया है।
- सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित देना। जैसे कानून के छात्रों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के साथ साझेदारी में कार्य करना।
- जेल सुविधाओं को उन्नत करने के प्रयास करना, कैदियों के लिए बुनियादी सुविधाओं, उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- कैदियों को कौशल विकास और शैक्षिक योग्यता के अवसर प्रदान

करने की पहल को लागू करना, साथ ही उनकी रिहाई पर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना।


- जेल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, कैदियों के साथ बातचीत में सुधार के लिए मानवाधिकार जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और प्रभावी संचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करना।

### सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय:

- हुसैनारा खातून (चतुर्थ) बनाम बिहार राज्य 1979: मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उचित, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है।
- आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी एवं अन्य (2000): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक कैदी अपने सभी मौलिक अधिकारों का हकदार है जब तक कि उसकी स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से कम न की गई हो।
- आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य 2006: जेल में बंद बच्चे भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल, कपड़े, शिक्षा और मनोरोजन सुविधाओं के अधिकार के हकदार हैं।
- रत्नाराम बनाम म.प्र. राज्य (2012): अभियुक्त त्वरित सुनवाई का हकदार है। त्वरित सुनवाई का उद्देश्य उत्पीड़न से बचना और देरी को कम करना है।

### आगे की राह:

सुधार पहलों के सफल कार्यान्वयन और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का निरंतर प्रयास आवश्यक है। प्रगति की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना, कार्यान्वित सुधारों की प्रभावशीलता का आकलन करना और साक्ष्य के आधार पर आवश्यक समायोजन पहल करने से कैदियों द्वारा महसूस की जा रही परेशानियों को कम किया जा सकता है।



**DOWNLOAD OUR  
ANDROID MOBILE APP**



## राइट टू डिस्कनेक्ट

चर्चा में  
क्यों?

ऑस्ट्रेलिया  
की सीनेट ने  
कर्मचारियों के  
लिए काम से बाहर  
होने पर पर्यवेक्षकों के  
'अनुचित' संदेशों, ईमेल  
और कॉल का जवाब न  
देने का अधिकार देने हेतु राइट  
टू डिस्कनेक्ट कानून पारित किया  
है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी  
अल्बानीज इस कानून का  
समर्थन करते हैं।

### राइट टू डिस्कनेक्ट को मान्यता देने वाले देश

- फ्रांस ने 2017 में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' कानून पेश किया है।
- बेल्जियम ने सिविल सेवकों के लिए फरवरी 2022 में राइट टू डिस्कनेक्ट पेश किया है।
- यूरोपीय संघ भी इस अधिकार को मान्यता देता है और इस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने का समर्थन करता है।

### चुनौतियाँ और चिंताएँ

- सांस्कृतिक बदलाव:** कार्य-जीवन संतुलन का सम्मान करने वाली संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक और संगठनात्मक मानदंडों में बदलाव की आवश्यकता होती है, जो निरंतर उपलब्धता की प्रचलित अपेक्षा को चुनौती देता है।
- संचार चुनौतियाँ:** कुछ उद्योगों या नौकरी भूमिकाओं में जो तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करते हैं, डिस्कनेक्ट करने के अधिकार और संगठनात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना जटिल हो सकता है।
- निगरानी और अनुपालन:** राइट टू डिस्कनेक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर ऐसे मामलों में जहां दूरस्थ कार्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संचार शामिल है।

### अधिकार के बारे में

- राइट टू डिस्कनेक्ट के अनुसार कर्मचारियों को कार्य से संबंधित संचार से डिस्कनेक्ट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन्हें अपने काम के घंटों के बाहर ईमेल, संदेश या कॉल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
- यह डाउनटाइम के महत्व और व्यक्तियों के लिए स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है।

### भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट की आवश्यकता

- भारत में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और दूरस्थ कार्य व्यवस्था के बढ़ने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है।
- ऐसा देखा गया है कि बिना किसी ब्रेक के लगातार लंबे समय तक कार्य करने से उत्पादकता में कमी आई है।
- इसलिए, कर्मचारियों की भलाई और अधिकारों की रक्षा के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट की आवश्यकता महसूस की गयी। यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास आराम, व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं और अवकाश के लिए पर्याप्त समय हो।

### राइट टू डिस्कनेक्ट के लाभ

- बेहतर कार्य-जीवन संतुलन:** यह कर्मचारियों को काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच सीमाएँ निर्धारित करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें अपनी भलाई को प्राथमिकता देने और परिवार-मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की अनुमति मिलती है।
- बेहतर मानसिक स्वास्थ्य:** गैर-कामकाजी घंटों के दौरान काम से संबंधित संचार से डिस्कनेक्ट होने से तनाव, चिंता और बर्नआउट को कम करने में मदद मिलती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है।
- उत्पादकता में वृद्धि:** कर्मचारियों को पर्याप्त आराम और खाली समय उपलब्ध कराने से वे काम के घंटों के दौरान तरोताजा रहते हैं और अधिक उत्पादक होते हैं।
- बेहतर फोकस और रचनात्मकता:** कार्य से डिस्कनेक्ट होने से व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति मिलती है जो रचनात्मकता, व्यक्तिगत विकास और रुचियों को बढ़ावा देती है, जिससे समग्र प्रदर्शन में वृद्धि होती है।
- कर्मचारी प्रतिधारण और संतुष्टि:** जो संगठन कार्य-जीवन संतुलन को प्राथमिकता देते हैं, वहां प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने की अधिक संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च नौकरी संतुष्टि और कार्मिक वफादारी प्राप्त होती है।

## राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

### थीम

विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी

#### चर्चा में क्यों?

‘रमन प्रभाव’ की खोज की घोषणा का सम्मान करने के लिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अगुवाई में भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था।

#### रमन प्रभाव का महत्व

- रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आधार बनाता है जिसका उपयोग रसायनज्ञों और भौतिकविदों द्वारा मटेरियल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- लेजर के आविष्कार और प्रकाश की अधिक मजबूत किरणों को केंद्रित करने की क्षमता के साथ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग में वृद्धि ही हुई है।
- इसका उपयोग ऐट्रोकेमिकल और दवा उद्योगों में निर्माण प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए किया जाता है।

#### रमन प्रभाव क्या है?

- रमन प्रभाव उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें जब प्रकाश की धारा किसी तरल से गुजरती है, तो तरल द्वारा बिखरे प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है।
- ऐसा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है, यह तब होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विश्वेषित होती है।
- रमन प्रभाव हेतु, प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तन अवलोकन के तहत अणु के कंपन से प्रभावित होता है, जिससे इसकी तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है।

#### मनाये जाने का कारण

- लोगों के दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में एक संदेश को व्यापक रूप से फैलाना।
- मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना।
- विज्ञान के विकास के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा करना और नई तकनीकों को लागू करना।
- देश में वैज्ञानिक सोच रखने वाले नागरिकों को अवसर देना।
- लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।

#### सीवी रमन के बारे में

- रमन का जन्म 1888 में मद्रास प्रेसीडेंसी में त्रिची (वर्तमान तिरुचिरापल्ली) में संस्कृत विद्वानों के परिवार में हुआ था।
- उन्होंने मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। एमए की डिग्री के लिए अध्ययन करते हुए, 18 साल की उम्र में, फिलोसोफिकल पत्रिका में उनका शोध पत्र प्रकाशित किया गया। यह प्रेसीडेंसी कॉलेज द्वारा प्रकाशित पहला शोध पत्र था।
- एक पूर्णकालिक सिविल सेवक, रमन ने ईंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस) में शोधकार्य प्रारंभ किया।
- 29 वर्ष की आयु में, उन्होंने अपनी सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में प्रोफेसर की नौकरी कर ली।

#### रमन प्रभाव की खोज

- इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान, भूमध्य सागर से गुजरते समय, रमन समुद्र के गहरे नीले रंग से सबसे अधिक प्रभावित थे।
- नेचर में छपी पहली रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक ‘एक नए प्रकार का माध्यमिक विकिरण’ था, सीवी रमन और सह-लेखक केएस कृष्णन ने लगभग 60 विभिन्न तरल पदार्थों और उनके घटक अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया।
- रमन प्रभाव की खोज के कारण भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।

## रायसीना डायलॉग 2024

## चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। ग्रीष्म के प्रधानमंत्री, क्यारीकोस मिस्टोटाकिस मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य भाषण देते हुए ग्रीष्म पीएम ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक प्रमुख शक्ति है तथा शांति और सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण सहयोगी है।

## रायसीना डायलॉग का महत्व

- रायसीना डायलॉग 2024 वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संवाद, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है।
- अपनी विविध भागीदारी और व्यापक विषयगत फोकस के साथ, सम्मेलन ने भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर समकालीन प्रवचन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

## प्रतिभागी और श्रोता

- रायसीना डायलॉग 2024 में लगभग 115 देशों के 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो विशेषज्ञता और दृष्टिकोण के विविध स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करते थे।
- सम्मेलन ने न केवल उपस्थित लोगों को व्यक्तिगत रूप से शामिल किया, बल्कि डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच बनाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और विचारों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित हुआ।

## रायसीना डायलॉग क्या है?

- रायसीना डायलॉग भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम, राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया और नागरिक समाज पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों को आकर्षित करता है।
- यह कार्यक्रम बहु-हितधारक चर्चाओं को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, विचारकों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।

## 2024 की थीम

- चतुरंग: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन (Chaturanga: Conflict, Contest, Cooperate, Create)।
- 2024 संस्करण का विषय, 'चतुरंग', समकालीन वैश्विक परिदृश्य में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और रचनात्मकता की जटिल गतिशीलता को रेखांकित करता है।
- छह विषयगत स्तंभों के माध्यम से, प्रतिभागी इन गतिशीलता के विभिन्न आयामों का पता लगाया, जिनमें तकनीकी सीमाओं और पर्यावरणीय स्थिरता से लेकर भू-राजनीतियों और लोकतात्त्विक शासन तक शामिल हैं।

## विषयगत स्तंभ

## टेक फ्रॉन्टियर्स: विनियम और वास्तविकताएँ

- तकनीकी प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों तथा प्रभावी विनियमन की आवश्यकता पर विचार करना।

## ग्रह (पृथ्वी) शांति: निवेश और नवप्रवर्तन

- पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन को कम करने में नवाचार और निवेश की अनिवार्यता को संबोधित करना।

## युद्ध और शांति: शस्त्रागार और विषमताएँ

- पारंपरिक और विषम खतरों और शांति-निर्माण की रणनीतियों सहित समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करना।

## उपनिवेशवाद से मुक्ति बहुपक्षवाद: संस्थाएँ और समावेशन

- बहुपक्षीय संस्थानों के उभरते परिदृश्य और समावेशिता और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता की जांच करना।

## 2030 के बाद का एजेंडा: लोग और प्रगति

- मानव विकास, सामाजिक प्रगति और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 से आगे के वैश्विक एजेंडे पर चर्चा।

## लोकतात्त्र की रक्षा: समाज और संप्रभुता

- लोकतात्त्रिक शासन की चुनौतियों और सामाजिक मूल्यों और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए रणनीतियों की खोज करना।

## ज्ञानपीठ पुरस्कार

### चर्चा में क्यों?

ज्ञानपीठ चयन समिति ने 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में घोषणा की। इस वर्ष का सम्मान संयुक्त रूप से संस्कृत विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि और गीतकार गुलजार को दिया जाएगा।

### आगे की राह

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य की जीवंतता और समृद्धि का प्रमाण है।
- विभिन्न भाषाओं में असाधारण साहित्यिक उपलब्धियों का सम्मान करके, यह भाषाई विविधता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के महत्व को सुदृढ़ करता है।
- चूंकि यह पुरस्कार साहित्यिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है, अतः यह भावी पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

### चयन प्रक्रिया

- पुरस्कार के लिए नामांकन साहित्यिक विशेषज्ञों, शिक्षकों, आलोचकों, विश्वविद्यालयों और भाषा संघों से प्राप्त किये जाते हैं।
- सलाहकार समितियाँ, जिनमें प्रथम विद्वान और आलोचक शामिल हैं, नामांकन का आकलन करती हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन बोर्ड को सिफारिशों प्रस्तुत करती हैं।
- साहित्यिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता वाले सम्मानित व्यक्तियों से बना बोर्ड, सिफारिशों का मूल्यांकन करता है और पुरस्कार प्राप्तकर्ता की घोषणा करता है।
- यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है।

### ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे

- भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को सम्मान देना, साहित्यिक उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना और भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है।

### ऐतिहासिक संदर्भ

- 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इस पुरस्कार का विचार प्रथम उद्देश्य साहित्यिकारों और बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा से सामने आया।
- प्रारंभिक मर्सौदा तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद पुरस्कार प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए चयन समितियों की स्थापना और सुधार किया गया।

### मान्यता मानदंड और विकास

- प्रारंभ में, यह पुरस्कार एक निर्दिष्ट अवधि में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 'सबसे उत्कृष्ट कार्य' के लिए दिया जाता था।
- समय के साथ, पुरस्कार दिए जाने के वर्ष को छोड़कर, पिछले बीस वर्षों के भीतर प्रकाशित कार्यों पर विचार करने के लिए मानदंड विकसित हुए।
- आर्थिक बदलावों को दर्शाते हुए नकद पुरस्कार में संशोधन किया गया और वर्तमान में यह 11 लाख रूपये है।

### दायरा और प्रतिनिधित्व

- यह पुरस्कार संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी में लिखने वाले लेखकों के लिए भी खुला है।
- यह समावेशिता सांस्कृतिक समृद्धि और साहित्यिक बहुलवाद को बढ़ावा देते हुए विविध भाषाई पृष्ठभूमि से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

### महत्व और प्रभाव

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के साहित्यिक परिदृश्य में अत्यधिक महत्व रखता है, जो उत्कृष्टता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक संवर्धन का प्रतीक है।
- यह महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है, उन्हें साहित्यिक महानता के लिए प्रयास करने और भारतीय साहित्य के संवर्धन में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

## नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स

चर्चा में  
क्यों?

नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (एनसीटीपी) ने भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक की। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत स्थापित, एनसीटीपी का उद्देश्य आजीविका के मुद्दों को संबोधित करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आवश्यक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना है।

### संघटन

- **अध्यक्ष:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री।
- **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व:** पांच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि बारी-बारी से (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर)।
- **ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य:** उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से प्रत्येक पांच सदस्य, तीन वर्ष का कार्यकाल।
- **केंद्रीय विभाग:** 10 प्रमुख केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधि।
- **संयुक्त सचिव स्तर के सदस्य:** स्वास्थ्य, गृह, अल्पसंख्यक मामले, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम और कानून मंत्रालय से शामिल।
- **अतिरिक्त सदस्य:** पेंशन विभाग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग का एक-एक प्रतिनिधि।

## नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 कानून का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी चिंताओं को दूर करना है।
- इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (एनसीटीपी) की स्थापना है, जो एक वैधानिक निकाय है जो समावेशिता को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### परिभाषा और पहचान

- अधिनियम द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति की एक व्यापक परिभाषा प्रदान की गयी है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका लिंग जन्म के समय उनके निर्दिष्ट लिंग के साथ मेल नहीं खाता है।
- इसमें ट्रांसमेन, ट्रांस-महिलाएं, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग विचित्र और किन्नर और हिजड़ा जैसी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।

## नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के कार्य

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपटने वाले सरकारी और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।

### भेदभाव के खिलाफ संरक्षण

- भेदभाव के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने के लिए, अधिनियम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रह को रोकता है।
- इस प्रावधान का उद्देश्य एक समावेशी वातावरण बनाना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है।

## विश्व जल दिवस 2023

### चर्चा में क्यों?

1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस, मीठे जल के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस है। विश्व जल दिवस, जल के महत्व को रेखांकित करता है और पीने योग्य जल के बिना रहने वाले 2.2 अरब लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्बावाई करने के बारे में है। विश्व जल दिवस का मुख्य फोकस सतत विकास लक्ष्य 6: 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता, को प्राप्त करने को समर्थन करना है।

### थीम

विश्व जल दिवस 2024: शांति के लिए जल का उपयोग।

### भारत द्वारा जल आवश्यकताओं की पूर्ति

- भूजल स्तर की गिरावट को रोकना
- भारत के गांवों में वंचितों तक पहुंचना
- शहरों को विश्वसनीय जलापूर्ति
- भारत की सबसे प्रतिष्ठित नदी (गंगा) का प्रबंधन
- सिंचाई को अधिक पूर्वानुमानित बनाना
- बाढ़ और सूखे पर नजर रखना

### इतिहास

- इस दिन को पहली बार औपचारिक रूप से रियो डी जनेरियो, ब्राजील में पर्यावरण और विकास पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एजेंडा 21 में प्रस्तावित किया गया था।
- दिसंबर 1992 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया था।

### संगठन और संबंधित गतिविधियां

- यूएन-वाटर, विश्व जल दिवस का संयोजक है और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के लिए विषय का चयन करता है जो उस वर्ष के विषय में रुचि साझा करते हैं।
- यूएन-वाटर विश्व जल दिवस पर विश्व जल आकलन कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष निर्मित संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडब्ल्यूडीआर) भी जारी करता है।

### विश्व जल दिवस 2024 के लिए मुख्य संदेश

- जल शांति स्थापित कर सकता है अथवा संघर्ष को भड़का सकता है: जब जल की कमी या जल प्रदूषित होता है, या जब लोग जल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो तनाव बढ़ सकता है। जल हेतु सहयोग करके, हम हर किसी की जल की जरूरतों को संतुलित कर सकते हैं और विश्व को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।
- समृद्धि और शांति जल पर निर्भर है: चूंकि राष्ट्र जलवायी परिवर्तन, बड़े पैमाने पर प्रवासन और राजनीतिक अशांति का प्रबंधन करते हैं, इसलिए उन्हें जल सहयोग को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखना चाहिए।
- जल हमें संकट से बाहर निकाल सकता है: हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों से लेकर स्थानीय स्तर पर कार्बावाई तक जल के उचित और सतत उपयोग के लिए एकजुट होकर समुदायों और देशों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं।

### सतत विकास लक्ष्य-6

सतत विकास लक्ष्य-6 स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के मुद्दे से संबंधित है। एसडीजी -6 के तहत 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।
- सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करना।
- महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए खुले में शौच को समाप्त करना।

## आईडब्ल्यूटी: शाहपुरकांडी बांध

### चर्चा में क्यों?

आधारशिला रखे जाने के लगभग तीन दशक बाद, जम्मू-कश्मीर की सीमा से लगे पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकांडी बांध बनकर तैयार हो गया है। 55.5 मीटर ऊंचा बांध शाहपुरकांडी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 206 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले दो जलविद्युत संयंत्र भी शामिल हैं।

### भू-राजनीतिक संघर्ष

- 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी सैन्य शिविर पर हमले के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते।’
- 2019, पुलवामा आतंकी हमले के बाद, भारत ने पहली बार पाकिस्तान को जलाधीर बंद करने की धमकी दी थी।

### संधि के तहत उठाई गई आपत्तियां

निम्न कारणों से संधि असंतोष का कारण बनी:

- जल की बढ़ती मांग।
- दस्तावेज की व्यापक तकनीकी प्रकृति।
- पश्चिमी नदियाँ जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर बहती हैं।

### अन्य जानकारी

- पंजाब द्वारा कार्यान्वित की जा रही शाहपुरकांडी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, रावी नदी के जल, जो वर्तमान में माधोपुर बैराज के माध्यम से पाकिस्तान चला जा रहा, को रोकेगा।
- यह परियोजना पंजाब में 5,000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि हेतु सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी।
- शाहपुरकांडी बांध, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध से 11 किमी नीचे की ओर और माधोपुर बैराज से 8 किमी ऊपर की ओर स्थित है, जो भारत को रावी जल का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा।

### सतत सिंधु जल संधि के बारे में

- सिंधु नदी बेसिन में छह नदियाँ हैं:
  - सिंधु
  - झेलम
  - चिनाब
  - रावी
  - व्यास
  - सतलुज
- इन नदियों का उदगम तिब्बत में होता है और हिमालय पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, एवं कराची के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती हैं।
- 1947 में विभाजन ने सिंधु नदी प्रणाली को भी दो भागों में बांट दिया।
- दोनों पक्ष सिंचाई के लिए सिंधु नदी बेसिन के जल पर निर्भर थे।
- इसलिए, बुनियादी ढांचे और समान वितरण की आवश्यकता थी।
- 1951 में, दोनों देशों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी-अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तोषेण के लिए विश्व बैंक में आवेदन किया, तब विश्व बैंक ने विषय पर मध्यस्थिता करने की पेशकश की।
- 1960 में, दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

### संधि का सार

- संधि ने भारत द्वारा कुछ गैर-उपयोग, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर, तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवारित किया।
- तीन पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास और सतलुज, भारत में अप्रतिबंधित उपयोग के लिए रखी गयी।
- पानी का 80% हिस्सा या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पाकिस्तान में चला गया, शेष 33 MAF या 20% पानी भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया।

# पावर पैकड न्यूज

## पुरुलिया छाऊ

हाल ही में केरल के कोझिकोड के एक समारोह में तारापद रजक और उनकी टीम द्वारा पुरुलिया छाऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया।

### पुरुलिया छाऊ के बारे में:

- पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक अर्ध-शास्त्रीय भारतीय लोक नृत्य है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर नृत्य है जो मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं को जोड़ता है। कई विद्वानों का मानना है कि छाऊ नाम 'छौनी' से आया है जिसका अर्थ 'सैन्य शिविर' है।
- छाऊ प्रदर्शन में कलाबाजी, मार्शल चालें और धार्मिक नृत्य शामिल हैं। नृत्य दर्शकों को कहानियाँ बताने का एक तरीका है, इसलिए इसमें युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटे शामिल हैं।
- इसकी तीन अलग-अलग शैलियाँ 'पुरुलिया (पश्चिम बंगाल), सरायकेला (झारखण्ड) और मध्यरभंज (ओडिशा)' हैं जिनका नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहाँ उनका प्रदर्शन किया जाता है।

## परहयाले ओडियन

हाल ही में ओडिशा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील में एक नई प्रजाति के समुद्री एम्फीपोड 'परहयाले ओडियन'

की खोज किया।

### परहयाले ओडियन (Parhyale Odian) के बारे में:

- परहयाले ओडियन समुद्री एम्फीपोड की एक नई-खोजी प्रजाति है जो झींगा जैसा क्रस्टेशियन है, जबकि ओडिशा की चिल्का झील में पाया जाता है।
- यह जीनस परहयाले से संबंधित है जिसमें वर्तमान समय में विश्व स्तर पर कुल 16 प्रजातियां शामिल हैं।
- ओडिशा की मूल भाषा, उड़िया के नाम पर नामित यह प्रजाति भूरे रंग की लगभग आठ मिलीमीटर लंबी और 13 जोड़ी टांगों वाली है।
- यह उथले, ज्वारीय और उष्णकटिबंधीय समुद्री वातावरण में रहता है।
- जीनस परहयाले को पहली बार 1899 में वर्जिन द्वीपसमूह से स्टेबिंग द्वारा देखा गया था।

### चिल्का झील:

- चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख शीतकालीन आवास स्थल के रूप में कार्य करती है।
- यह एशिया की सबसे बड़ी लेगून है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी लेगून है।
- 1981 में, चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्धभूमि के रूप में नामित किया गया था जो इसके पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करता है।

## ज्ञानपीठ पुरस्कार

प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगदगुरु रामभद्राचार्य को हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है।

### गुलजार:

- संपूर्ण सिंह कालगा जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, अपने समय के बेहतीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं।
- गुलजार 'स्लमडॉग मिलियनेचर, माचिस, ओमकारा, दिल से, गुरु और आंधी' जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कोशिश, परिचय, मौसम और इजाजत जैसी क्लासिक फिल्मों के साथ-साथ टेलीविजन धारावाहिक मिर्जा गालिब का भी निर्देशन किया है।
- उन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार (2002), दादा साहब फाल्के पुरस्कार (2013), पद्म भूषण (2004) और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं।

### जगदगुरु रामभद्राचार्य:

- पंडित गिरिधर जिन्हें जगदगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक, संस्कृत विद्वान, कवि, लेखक और दार्शनिक हैं।
- वह दो माह की आयु से ही दृष्टिहीन हैं, फिर भी उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल या किसी अन्य उपकरण का उपयोग नहीं किया है।
- वह मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ (संत तुलसीदास के नाम पर एक धार्मिक तथा सामाजिक सेवा संस्थान) के संस्थापक और प्रमुख हैं। वर्तमान में 1982 से रामानंद संप्रदाय के चार जगदगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। उन्होंने चार महाकाव्यों सहित 100 से अधिक पुस्तकें

- और ग्रंथ लिखे हैं। वह संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली सहित 22 भाषाओं में पारंगत है, साथ ही कई भाषाओं में अपनी सहज कविता तथा लेखन के लिए जाने जाते हैं। साहित्य और अध्यात्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 2015 में पद्म विभूषण मिल चुका है।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो किसी लेखक को उनके 'साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान' के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है।
  - यह पुरस्कार भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 'अनुसूचित भाषाओं' में दिया जाता है, जबकि 2013 से अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को 1 लाख का नकद पुरस्कार, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

## टी कोशिकाएं

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर से लड़ने वाली टी कोशिकाओं के एक नए रूप का निर्माण किया है जो मानक CAR T सेल डिजाइनों की तुलना में बेहतर दृढ़ता और सहनशक्ति दिखाते हुए चूहों में मल्टीपल मायलोमा ट्यूमर को दबा सकती हैं।

### टी कोशिकाओं के चारे में:

- टी कोशिकाएं एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं।
- इन्हें टी लिम्फोसाइट्स और बाइमोसाइट्स भी कहा जाता है।
- ये कोशिकाएं सक्रिय प्रतिरक्षा के दोनों पटकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिसमें कोशिका-मध्यस्थिता और कुछ हद तक हास्य प्रतिरक्षा शामिल है।
- वे रोगजनकों, ट्यूमर और पर्यावरण से विभिन्न एंटीजन को पहचानने की क्षमता वाले एक रिसेप्टर को व्यक्त करते हैं।
- टी कोशिकाएं दो मुख्य प्रकार (साइटोटॉक्सिक टी-कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जबकि हेल्पर टी-कोशिकाएं अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने के लिए संकेत भेजती हैं) की होती हैं।
- टी कोशिकाओं को कई सूजन और ऑटोइम्यून बीमारियों के प्रमुख चालक के रूप में भी शामिल किया जाता है।
- प्रतिरक्षा प्रणाली को टी-सेल उत्पादन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसे त्वचा रहित चिकन, मछली, अंडे, दाल, बीन्स और सोया जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है।

## अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र (ICCCAD) ने बताया कि 2000 से 2019 के बीच बांग्लादेश में 185 चरम मौसम घटनाएं हुईं जिससे यह जलवायु परिवर्तन के प्रति दुनिया का सातवां सबसे अधिक संवेदनशील देश बन गया।

### अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र (ICCCAD) एक शोध तथा क्षमता निर्माण संगठन है जो बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन और विकास पर केंद्रित है।
- इसकी स्थापना 2009 में बांग्लादेश सेंटर फॉर एडवांसड स्टडीज, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश (IUB) और IIED (यूके) के बीच सहयोग से हुई थी।
- यह ढाका में स्वतंत्र विश्वविद्यालय, बांग्लादेश (IUB) परिसर में स्थित है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय विशेषज्ञता, ज्ञान और अनुसंधान को एकीकृत करके जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों के लिए अनुकूलन प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
- सलीमुल हक 2009 से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र (ICCCAD) के निदेशक हैं।

## ग्रीन एनाकोंडा

वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि ग्रीन एनाकोंडा जिसे पहले एक ही प्रजाति माना जाता था, वास्तव में दो आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियों से मिलकर बना है।

### ग्रीन एनाकोंडा के बारे में:

- ग्रीन एनाकोंडा (यूनेक्टेस मुरिनस) अमेजन और ओरिनोको बेसिन में पाया जाने वाला एक सांप है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप है। सबसे बड़ी मादा सांप की लंबाई सात मीटर से अधिक और वजन 250 किलोग्राम से अधिक होता है।

- यह जलीय जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। इसके सिर के ऊपर सांस लेने और पानी में डूबे रहने के दौरान देखने के लिए नाक तथा आंखें स्थित हैं।
- यह गहरे हरे रंग का होता है जिसके पीछे काले धब्बे होते हैं और किनारों पर पीले केंद्र वाले काले धब्बे होते हैं।
- यह छिपकर शिकार करने वाला एक शिकारी है जो कौपीचारा, काइमैन और हिरण सहित शिकार पर घात लगाकर अपने शक्तिशाली शरीर से उन्हें मार देने की क्षमता के लिए जाना जाता है।

## शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर

हाल ही में शाशि थरूर को अगस्त 2022 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा घोषित 'शेवेलियर डे ला लीजन डी ओनूर' (फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित किया गया।

**शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर के बारे में:**

- नेशनल ऑर्डर ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर (जिसे 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था) फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो सैन्य और नागरिक दोनों उपलब्धियों को मान्यता देता है।
- लीजन के बेज में सामने की तरफ 'रिपब्लिक मैन्काइज' (फ्रांस गणराज्य) लिखा होता है, जबकि पीछे की तरफ 'होनूर एट पैट्री' (सम्मान और देश) आदर्श वाक्य के साथ तिरंगे अंकित हैं।
- लेजियन ऑफ ऑनर को बढ़ते सम्मान के क्रम में पांच डिग्री 'शेवेलियर (नाइट), ऑफिसियर (अधिकारी), कमांडर (कमांडर), ग्रैंड ऑफिसियर और ग्रैंड-क्रोइक्स (ग्रैंड क्रॉस)' में विभाजित किया गया है।
- उदयपुर के महाराजा प्रताप सिंह 1918 में लेजियन ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे।
- 40 से अधिक भारतीयों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जिनमें जेआरडी टाटा (1983), सत्यजीत रे (1987), ई श्रीधरन (2005), अमिताभ बच्चन (2007), लता मंगेशकर (2007), शाहरुख खान (2014), कमल हासन (2016), रतन टाटा (2016) और अजीम प्रेमजी (2018) जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।

## डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ (जीआईडीएच) के सार्वजनिक लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित किया।

**डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के बारे में:**

- डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (GIDH) एक WHO-प्रबंधित नेटवर्क है जिसे सभी जी 20 देशों, आर्मांत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है।
- इसे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान गांधीनगर में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तनों में डिजिटल स्वास्थ्य प्रैद्योगिकियों को लोकतात्रिक बनाना है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर एक इंटरऑपरेबल डिजिटल पारिस्थितिकी बनाता है।
- यह एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है जिसमें कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स और नॉलेज एक्सचेंज जैसे घटक शामिल हैं।

## फली एस. नरीमन

हाल ही में प्रख्यात न्यायिक और वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन का 21 फरवरी 2024 को निधन हो गया। रंगून, बर्मा (वर्तमान यांगून, म्यांमार) में एक पारसी परिवार में जन्मे फली सम नरीमन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संरक्षक और भारतीय न्याय प्रणाली के अग्रणी लोगों में से एक थे।

**योगदान:**

- 1991 से 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल नेतृत्व और कानूनी सुधारों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है।
- उन्होंने मई 1972 से जून 1975 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया, लेकिन 26 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा के विरोध में इस्तीफा दे दिया।
- ये 'गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट' पुस्तक के लेखक हैं जिसमें उन्होंने न्यायाधीशों के बीच सहयोगी भावना की कमी और न्यायिक कार्यवाही को

कवर करने के लिए स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता की आलोचना की।

- उन्होंने 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (AoR) एसोसिएशन जैसे मामलों के माध्यम से भारत की उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कानूनी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

#### पुरस्कार और सम्मान:

- नरीमन को 2018 में 19वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्म भूषण (1991), पद्म विभूषण (2007) और गृबर पुरस्कार फॉर जस्टिस (2002) से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक कार्यकाल (1999–2005) के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

## सुदर्शन सेतु

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल-आधारित पुल 'सुदर्शन सेतु' का उद्घाटन किया।

#### सुदर्शन सेतु के बारे में:

- सुदर्शन सेतु गुजरात में स्थित है जो ओखा मुख्य भूमि और द्वारका में बेयट इवाटका द्वीप को जोड़ता है।
- यह देश का सबसे लंबा सिंगेचर स्ट्रेंजिंग है जो लगभग 2.32 किमी तक फैला है।
- सुदर्शन सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि अपने अभिनव डिजाइन और निर्माण के कारण इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जाता है।
- यह पुल एक पर्यटक आकर्षण के रूप में कार्य करता है जो आसपास के तटीय क्षेत्रों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है।
- गुजरात के तटीय क्षेत्र में सामानों और कर्मियों के सुगम परिवहन की सुविधा प्रदान करके यह रणनीतिक महत्व भी रखता है।

## पर्पल फेस्टिवल

हाल ही में 26 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 'पर्पल फेस्ट' का उद्घाटन किया।

#### पर्पल फेस्टिवल के बारे में:

- पर्पल फेस्ट एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज द्वारा किया गया।
- इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही विकलांगता की गलतफहमियों, पूर्वाग्रहों तथा रुद्धियों को चुनौती देकर समाज में विकलांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति एवं समावेशन को बढ़ावा देना है।
- 'पर्पल फेस्ट' की प्रमुख गतिविधियों अमृत उद्यान विजिट, अपनी विकलांगताओं को जाने, पर्पल कैफे, पर्पल कैलीडोस्कोप, पर्पल लाइव एक्स्परियंस जॉन और पर्पल स्पोर्ट्स आदि का आयोजन किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग 8-13 जनवरी तक गोवा में 'अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट, 2024' की सफलता के बाद पर्पल फेस्ट का आयोजन किया।

## महिलाओं को स्थायी कमीशन

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए भारतीय तटरक्षक बल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाए।

#### स्थायी आयोग के बारे में:

- भारतीय सेना में स्थायी आयोग (पीसी) एक अधिकारी को सेवानिवृत्त होने तक सेना में सेवा करने की अनुमति देता है।
- जो अधिकारी स्थायी आयोग (पीसी) का विकल्प चुनते हैं उन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे 60 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं, जब तक कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।
- भारतीय सेना ने 12 सेवाओं के साथ-साथ आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डैंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में महिला अधिकारियों (डब्ल्यूओ) को स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान किया है।
- 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेना में स्थायी आयोग (पीसी) से महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार भेदभावपूर्ण है।
- अदालत ने उनकी 'शारीरिक सीमाओं' पर केंद्र के रुख को भी खारिज कर दिया क्योंकि यह 'लैंगिक रुद्धिवादिता' और 'महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव' पर आधारित था।

# समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 98वें टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले ने 105 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने उनसे कम मैचों (87) में 500 विकेट पूरे किए थे।
- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अचीद कंबोह में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। यह मंदिर भगवान विष्णु के दसवें अवतार माने जाने वाले भगवान कल्कि को समर्पित है। यह मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला 'धाम' है जहां किसी देवता के अवतार से पहले ही मंदिर स्थापित किया जा रहा है।
- 72 साल के प्रबोबो सुवियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति होंगे। सुवियांतो पूर्व आर्मी जेनरल और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं।
- हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) का हवाला देते हुए सभी राज्य विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा छह महीने तक हड्डताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- हाल ही में अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया (BID) के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में निखिल जोशी की नियुक्ति किया है।
- हाल ही में संजय कुमार जैन को इंडियन रेलवे कैरियर एंड ट्रूस्ज़ कॉरपोरेशन (IRCTC) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के वलीनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किये। यह मंदिर 900 वर्ष पुराना है और रबारी समुदाय सहित कई समुदायों की आस्था का केंद्र है। मंदिर का निर्माण उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में किया गया है। मंदिर का निर्माण प्राचीन नागर शैली में किया गया है। यह मंदिर बंसीपाहाड़पुर के पत्थरों से बना है जिसकी ऊँचाई लगभग 101 फीट, लंबाई 265 फीट और चौड़ाई 165 फीट है।
- लंदन के साउथबैंक सेंटर के रॅयल फेस्टिवल हॉल में 77वें बाप्टा (ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स) सेरेमनी में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत 7 बाप्टा अपने नाम किए।
- 18 फरवरी को मलेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। भारत ने पहली बार (मेस और विमेस) चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है।
- तमिलनाडु सरकार के विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 के दौरान ट्रांसजेंडर्स के लिए हायर एज्युकेशन का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की गई। तमिलनाडु 2008 में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक विशेष कल्याण बोर्ड का गठन करने वाला पहला राज्य है।
- हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स की जारी लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।
- हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केन्द्रीय सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गने का फिक्स्ड रिटेल प्राइज (FRP) 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति किंवंटल करने की मंजूरी दी। इसका नया सत्र अक्टूबर 2024 से शुरू होगा।
- मुंबई के ताज लैंड्स एंड में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवॉर्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इस साल शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्व' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, बॉबी देओल को फिल्म 'एनिमल' के लिए बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल, संदीप रेड़ी वांगा ने बेस्ट डायरेक्टर और 'सैम बहादुर' के लिए विककी कौशल को बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) अवॉर्ड मिला।
- महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया।
- हाल ही में अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ट प्राइवेट कंपनी इंटर्नेशनल अवॉर्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इस साल शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्व' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, बॉबी देओल को फिल्म 'एनिमल' के लिए बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल, संदीप रेड़ी वांगा ने बेस्ट डायरेक्टर और 'सैम बहादुर' के लिए विककी कौशल को बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) अवॉर्ड मिला।
- दाइम मैग्जीन ने विमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की। इस साल दाइम मैग्जीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैग्जीन में जगह मिली है।
- हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को समाप्त करने का फैसला लिया है।
- हाल ही में 25 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले में स्थित गुलमर्ग में 'खेलो इंडिया विंटर गेम्स' के दूसरे संस्करण का समाप्त हुआ। आर्मी की टीम ने 10 गोल्ड मेडल के साथ पहला, कर्नाटक ने दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सातायेह समेत पूरी सरकार ने गाजा और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की वजह से इस्तीफा दे दिया है।
- हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल हैं।

# चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

## हंगरी

हाल ही में हंगरी की संसद ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने को स्वीकृति प्रदान की जिससे नॉर्डिक देश के ऐतिहासिक कदम से पहले आखिरी बाधा दूर हो गई जिसकी तटस्थता दो विश्व युद्धों और शीत युद्ध के समय से चली आ रही थी।

- हंगरी (राजधानी: बुडापेस्ट)
- **अवस्थिति:** हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक भूमि अवरुद्ध देश है।
- **राजनीतिक सीमाएँ:** हंगरी की सीमा रोमानिया (पूर्व), ऑस्ट्रिया (पश्चिम), स्लोवाकिया (उत्तर), यूक्रेन (उत्तर पूर्व), सर्बिया (दक्षिण) और क्रोएशिया तथा स्लोवेनिया (दक्षिण पश्चिम) के साथ लगती है।

### भौतिक विशेषताएँ:

- हंगरी का सबसे ऊँचा स्थान केकेस है जो देश के उत्तरपूर्वी भाग में बुकुप पर्वत में स्थित है।
- हंगरी की प्रमुख नदियों में डेन्यूब, टिस्ट्रा, ड्राचा और सजामोस शामिल हैं।
- हंगरी के खनिज संसाधनों में बॉक्साइट, कोयला, प्राकृतिक गैस और विभिन्न औद्योगिक खनिज जैसे वैराइट, जिप्सम तथा काओलिन शामिल हैं।
- बलाटन झील हंगरी और मध्य यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो ट्रांसडानुबियन क्षेत्र में स्थित है।
- हेविट्र झील, दुनिया की सबसे बड़ी वर्मल झील है यह हंगरी में बालाटन झील के पश्चिमी छोर के पास स्थित है।
- **राजनीतिक व्यवस्था:** हंगरी एक संसदीय गणतंत्र है जिसमें एक सदनीय विधायिका है जिसे नेशनल असेंबली या ओसजैम्पुल्स कहा जाता है।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** हंगरी की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें ऑस्ट्रो-हंगरियन साम्राज्य का हिस्सा होना, ओटोमन शासन का अनुभव करना तथा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना शामिल है।



## अल्बानिया

हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की ने अल्बानिया में एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया जहां उन्होंने रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच बाल्कन देशों से हथियार आदि का समर्थन मांगा है।

- अल्बानिया (राजधानी: तिराना)
- **अवस्थिति:** अल्बानिया (जिसे आधिकारिक तौर पर अल्बानिया गणराज्य के रूप में जाना जाता है) बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणपूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है।
- **भौतिक सीमाएँ:** अल्बानिया की सीमा उत्तरी मैसेडोनिया (पूर्व), कोसोवो (उत्तरपूर्व), मोंटेनेग्रो (उत्तरपश्चिम), ग्रीस (दक्षिण और दक्षिणपूर्व), एड्रियाटिक सागर (पश्चिम) तथा आयोनियन सागर (दक्षिण पश्चिम) के साथ लगती है।

### भौतिक विशेषताएँ:

- उत्तरी मैसेडोनिया की सीमा पर स्थित माउंट कोरब, अल्बानिया की सबसे ऊँची चोटी है।
- अल्बानिया की प्रमुख नदियों में डिन, मैट और बजोस नदियाँ शामिल हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से होकर बहती हैं।
- अल्बानिया कई झीलों का घर है जिनमें शकोडा झील (मोंटेनेग्रो के साथ साझा), ओहरिड झील (उत्तरी अल्बानिया के पास क्रोमियम, तांबा, लोहा, निकल तथा पेट्रोलियम सहित महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं जो इसकी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र में योगदान करते हैं।



# समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

## 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है।
- लोकसभा अध्यक्ष के पास यह निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें जुर्माना या दंड लगाने का प्रावधान हो।
- जब कोई धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति रोक सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है, लेकिन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है।

धन विधेयक के बारे में कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- तीनों
- कोई नहीं

## 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के चुनाव परिणामों को पलटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया।
- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

इनमें से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- तीनों
- कोई नहीं

## 3. गोद लेने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- फरवरी 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बच्चे को गोद लेने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है।
- अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को यह चुनने का अधिकार नहीं है कि उन्हें किसे गोद लेना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों

## 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है।
- अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-रेशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।
- CARA परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने के कार्य को नहीं देखता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- तीनों
- कोई नहीं

## 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- संगम: डिजिटल ट्रिवन संचार, ऊर्जा और पर्यटन मंत्रालय (DoT) की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृतियां बनाने के लिए डिजिटल ट्रिवन तकनीक का उपयोग करना है।
- इन प्रतिकृतियों का उपयोग वास्तविक समय की निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- तीनों
- कोई नहीं

## 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- फरवरी 2024 में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया।
- आईएसए 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

## 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा शामिल किए जाने के लगभग तीन साल बाद संयुक्त अरब अमीरात ग्रे सूची से बाहर हो गया।

2. यह भारतीय एनबीएफसी में महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल करने के इच्छुक निवेशकों के लिए राह आसान कर देगा।
3. एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में विकसित देशों की जी-7 बैठक में की गई थी।  
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल एक
  - B. केवल दो
  - C. तीनों
  - D. कोई नहीं
8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत ने पर्यावरण संरक्षण के नाम पर कुछ देशों द्वारा व्यापार संरक्षणवादी उपायों के उपयोग में वृद्धि पर अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ की बैठक में 'गंभीर' चिंता व्यक्त की।
  2. यूरोपीय संघ (ईयू) के स्टील और उर्वरक जैसे क्षेत्रों पर कार्बन टैक्स (एक तरह का आयात कर) लगाने के फैसले ने विकासशील देशों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।  
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- A. केवल 1
  - B. केवल 2
  - C. 1 और 2 दोनों
  - D. न तो 1 और न ही 2
9. गिनी वर्म रोग (जीडब्ल्यूडी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गिनी वर्म रोग (जीडब्ल्यूडी) परजीवी ड्रैकुनकुलस मेडिनोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। इसे ड्रैकुनकुलियासिस के नाम से भी जाना जाता है।
  2. भारत सरकार को 2000 में WHO से गिनी वर्म रोग- मुक्त प्रमाणन का दर्जा प्राप्त हुआ।
  3. भारत ने चेचक (1980), पोलियो (2014) और नवजात टेटनस (2015) में उन्नूलन कर दिया है।  
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल एक
  - B. केवल दो
  - C. तीनों
  - D. कोई नहीं
10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को टी एन गोदावर्मन मामले में 1996 के फैसले में निर्धारित वन की 'व्यापक और सर्वव्यापी' परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया है।
  2. इस परिभाषा का पालन तब तक किया जाएगा जब तक देश भर में सभी प्रकार के वनों का समेकित रिकॉर्ड तैयार नहीं हो जाता।
3. टी एन गोदावर्मन मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि वन (संरक्षण) अधिनियम उन सभी भूमि पार्सल पर लागू होगा जो या तो 'वन' के रूप में दर्ज थे या जो जंगल के शब्दकोश अर्थ से मिलते जुलते थे।  
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल एक
  - B. केवल दो
  - C. तीनों
  - D. कोई नहीं
11. एशिया-प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में एशिया-प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) ने एशिया-प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट - 2024 प्रकाशित की।
  2. रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रयासों में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सामना की जाने वाली सफलता की कहानियों, रुझानों और विशिष्ट चुनौतियों पर केंद्रित है।
  3. प्रगति की वर्तमान दर पर 2072 तक भी सभी एसडीजी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा जो कि लक्ष्य वर्ष 2030 से लगभग 42 साल की भारी देरी है।  
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल एक
  - B. केवल दो
  - C. तीनों
  - D. कोई नहीं
12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में, लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा 'प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण' रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।
  2. भारत में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन 2015-16 में 15.9 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 41.2 लाख टन हो गया है।
  3. प्लास्टिक कचरे के अपर्याप्त निपटान और उपयोग से वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण होता है जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
  4. भारत में 2021 में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई।  
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A. केवल दो
  - B. केवल तीन
  - C. चारों
  - D. कोई नहीं
13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है?

- A. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अंतर सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) ने दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए अपने तीसरे दौर की वार्ता हेतु नवंबर 2023 को नैरोबी में मुलाकात की।
- B. विश्व बैंक ने मानव जोखिम को कम करने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने का आह्वान किया है।
- C. नैनोप्लास्टिक का स्तर 110,000 से 400,000 प्रति लीटर तक पाया, जिसका औसत लगभग 240,000 था।
- D. UNEA संकल्प 6/14 के तहत, INC 2030 तक वैश्विक प्लास्टिक संधि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है?

- भारत मैड फाइबर (एमएमएफ) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार, जो मुख्य रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग के उद्देश्य के साथ अन्य सिंथेटिक वस्त्र स्रोतों के लिए स्थानीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व पर जोर नहीं दिया गया है।
- भारत के 94 प्रतिशत से अधिक घरेलू एमएमएफ उद्योग में केवल दो किस्मों 'पॉलिएस्टर और विस्कोस' का वर्चस्व है।
- 2024 के अंतरिम बजट में कपड़ा मंत्रालय के लिए आवंटन 18.6% बढ़ गया। लेकिन अपशिष्ट संकट को संबोधित करने के लिए कोई विशेष नीतियां नहीं थीं।

विकल्प-

- A. केवल 1 सही।
- B. केवल 2 सही।
- C. केवल 1 और 4 सही।
- D. केवल 1 और 3 सही।

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) भारत का एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है।
- एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक यौगिक है जिसका सेवन घातक हो सकता है। इसका उपयोग ज्यादातर

ऑटोमेटिव एंटी फ्रीज और पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

- अक्टूबर 2018 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत निर्मित चार 'दृष्टित' द्वाओं के लिए अलर्ट जारी किया था।
- 28% की मात्रा हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में जेनेरिक द्वाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है।

विकल्प-

- A. केवल 1 सही है।
- B. केवल 2 सही है।
- C. केवल 1 और 4 सही हैं।
- D. केवल 1 और 2 सही हैं।

16. हाल ही में इंडस-एक्स खबरों में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सही वर्णन है?

- यह भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को साझा करने की एक पहल है।
- रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में विकसित उपग्रह ड्रोन का नाम है।
- यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की एक पहल है।
- यह सिंधु नदी के पार गांव को विकसित करने के लिए सीमा ग्राम विकास योजना का एक चरण है।

17. सीपीसीबी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है।
- इसकी शक्तियों और कार्यों का स्रोत वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 है।
- बोर्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत की वायु और जल गुणवत्ता तथा प्रदूषण संबंधी मुद्दों की निगरानी करना है।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक सीपीसीबी द्वारा आईआईटी-कानपुर के परामर्श से विकसित किया गया है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- A. केवल एक
- B. सिर्फ दो
- C. केवल तीन
- D. सभी

## उत्तर

- |      |      |      |       |       |       |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. C | 4. B | 7. B | 10. C | 13. A | 16. C |
| 2. C | 5. C | 8. C | 11. B | 14. D | 17. D |
| 3. C | 6. C | 9. C | 12. C | 15. D |       |

# प्री स्पेशल- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

## विषय सूची

- ✓ भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC)
- ✓ भारत-जापान-श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग
- ✓ सुलिना चैनल
- ✓ भारत और आसियान आर्थिक संबंध
- ✓ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
- ✓ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
- ✓ वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साइदेहारी (पीजीआईआई)
- ✓ अजरबैजान सेना का आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन
- ✓ फाइब्र आइज ग्रुप
- ✓ भारत-अफगानिस्तान संबंध
- ✓ भारत-मालदीव संबंध
- ✓ इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष
- ✓ हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
- ✓ भारत-तंजानिया संबंध
- ✓ विद्या कन्वेंशन
- ✓ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023
- ✓ बिश्केक में एससीओ परिषद की बैठक
- ✓ चाणक्य रक्षा संवाद 2023
- ✓ भारत और यूएई संबंध
- ✓ इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल
- ✓ भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
- ✓ लाल सागर में जहाज का अपहरण
- ✓ इंटरपोल की 91वीं महासभा
- ✓ संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99
- ✓ स्वेज नहर का एक नया संकट
- ✓ बांग्लादेश में चुनाव
- ✓ यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति
- ✓ संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग
- ✓ युगांडा में जी77 का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन
- ✓ डब्ल्यूटीओ कृषि सब्सिडी
- ✓ ब्रिक्स का विस्तार

### अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन

- ✓ आसियान शिखर सम्मेलन
- ✓ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
- ✓ जी20 शिखर सम्मेलन
- ✓ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
- ✓ जी7 शिखर सम्मेलन
- ✓ सार्क शिखर सम्मेलन
- ✓ एससीओ शिखर सम्मेलन
- ✓ APEC शिखर सम्मेलन
- ✓ बिम्सटेक शिखर सम्मेलन
- ✓ नाटो शिखर सम्मेलन
- ✓ प्रमुख देशों के साथ सैन्य अभ्यास
- ✓ संयुक्त राष्ट्र
- ✓ जनरल कॉउन्सिल
- ✓ सुरक्षा परिषद
- ✓ आर्थिक और सामाजिक परिषद
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

### संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ

- ✓ खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)
- ✓ कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)
- ✓ विश्व बैंक
- ✓ यूनेस्को
- ✓ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
- ✓ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)
- ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
- ✓ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू)
- ✓ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)
- ✓ विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)
- ✓ संयुक्त राष्ट्र के संबंधित संगठन

## भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC)

- पापुआ न्यू गिनी में FIPIC शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के महत्व को रेखांकित किया।
- फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसे 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया था। इसको भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए बनाया गया था।

## भारत-जापान-श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग

- भारत, जापान और श्रीलंका ने 2023 में कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट (ईसीटी) के त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते की शुरुआत की है।
- श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के पास ईसीटी का 100% स्वामित्व होगा।
- टर्मिनल ऑपरेशंस कंपनी सभी ईसीटी ऑपरेशन संचालित करेगी। इसमें श्रीलंका की 51% हिस्सेदारी होगी, जबकि जापान और भारत की हिस्सेदारी 49% होगी।
- ईसीटी के विकास के लिए जापान के साथ 0.1% की ब्याज दर पर 40 साल का ऋण समझौता किया गया है।

### भारत और जापान के हित:

- हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को रोकने के लिए श्रीलंका में चीनी उपस्थिति को कम करना होगा।
- चीन द्वारा बनाया जा रहा कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, ईसीटी से महज कुछ मील की दूरी पर है जिसका मुकाबला करना आसान होना।
- भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी इंडो-पैसिफिक (एफओआईआईपी) का दृष्टिकोण साझा करते हैं जो श्रीलंका सहित क्षेत्र के सभी देशों के लिए प्रारंभिक है।
- भारत और जापान दोनों त्रिपक्षीय सहयोग के माध्यम से चीन की ऋण जाल नीति (Debt Trap Policy) को चुनौती दे रहे हैं। चीन ने श्रीलंका को ऋण जाल में फँसाकर हँबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर लिया।

## सुलिना चैनल

- सुलिना चैनल डेन्यूब नदी की 63 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है जो यूक्रेनी काला सागर बंदरगाहों (उडेसा, चोर्नोमोस्को, पिवडेनी) से मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित पारगमन प्रदान करती है। यह बोस्फोरस जलडमरुमध्य से भूमध्य सागर के माध्यम से यूक्रेन तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करती है।

## भारत और आसियान आर्थिक संबंध

20वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के सेमारांग में आयोजित की गई। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान-भारत बस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए)-2009 की समीक्षा करना था।

### आसियान-भारत बस्तु व्यापार समझौता, 2009:

- एआईटीआईजीए को आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो जनवरी 2010 से लागू हुआ। निम्नलिखित चिंताओं के कारण देश समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं:
- » समझौता लागू होने के बाद से आसियान के साथ व्यापार घटा काफी बढ़ गया है।
- » व्यापार घटे का प्रमुख कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा एफटीए मार्गों का कम उपयोग था।
- » समीक्षा से एफटीए व्यापार को सुविधाजनक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद बनाने में मदद मिलना।
- भारत और आसियान ने 2022-23 में 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया। 2022-23 में आसियान के साथ व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार का 11.3% था। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और तीसरा सबसे बड़ा बाजार है जो भारत को अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है।


## भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

- भारत के प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- आसियान के नेतृत्व वाले समूह ने 2005 में ईएएस की स्थापना की।
- मूल रूप से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन खुलेपन, समावेशिता, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और आसियान केंद्रीयता के सिद्धांतों पर संचालित होता है।
- आसियान के 10 सदस्य देश और ईएएस के 18 सदस्य देश हैं।

## भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

- भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) की घोषणा की। इस मेंग्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- इससे पश्चिम एशिया में वैश्विक व्यापार बढ़ेगा और वस्तु परिवहन के केंद्र के रूप में इजराइल की स्थिति में भी सुधार होगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना के रूप में काम करेगा जो बुनियादी

- दांचे को एशिया से यूरोप तक जोड़ेगा।
- भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह इस गलियारे के तहत जुड़ेंगे उनमें मुंबई, कांडला (गुजरात) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई) शामिल हैं। मध्य पूर्व में पांच बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाहों से जोड़ने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनमें संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा, जेबल अली और अबू धाबी बंदरगाह के साथ ही सऊदी अरब में दम्मम तथा रास अल खैर बंदरगाह शामिल हैं।



- यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (पीजीआईआई) का हिस्सा है जो यूरेशियाई क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभाव के प्रतिकार के रूप में भी काम कर सकता है।

## वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (पीजीआईआई)

- यह छोटे और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मूल्य-संचालित, उच्च-प्रभाव तथा पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है।
- इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए देशों को सड़कों, बंदरगाहों, पुलों, संचार सेटअप आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु धन सुरक्षित करने में मदद करता है।
- जर्मनी में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद करने के लिए पीजीआईआई को अधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।

## अजरबैजान सेना का आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन

- अजरबैजान ने नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में आर्मेनियाई सेना के खिलाफ आतंकवादी अभियान शुरू किया।
- अजरबैजान का कहना है कि यह ऑपरेशन नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में दो नागरिकों और उसके चार पुलिस अधिकारियों की मौत के जवाब में था।

- आर्मेनिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य अध्यास करने और रोम कन्वेंशन को मंजूरी देने के कारण रूस को नाराज कर दिया। यह वहीं अदालत है जिसमें पुतिन को दोषी ठहराया गया था।
- दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत साल 1918 में हुई जब दोनों रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए।
- सोवियत शासन के दौरान नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को दोनों देशों के बीच स्वायत्त घोषित किया गया था।
- 1988 में नागोर्नो-काराबाख की विधायिका ने आर्मेनिया में शामिल होने पर जनमत संग्रह कराया जिसे अजरबैजान ने खारिज कर दिया।

## फाइव आइज ग्रुप

कनाडा में अमेरिकी राजनयिक ने फाइव आइज ग्रुप के बीच साझा खुफिया जानकारी की पुष्टि की जिसके कारण कनाडाई पीएम ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निजर हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका के संबंध में आरोप लगाए।

### फाइव आइज ग्रुप के बारे में:

- फाइव आइज एक रणनीतिक खुफिया-साझाकरण गठबंधन है जिसमें पांच अंग्रेजी भाषी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
- फाइव आइज समूह का एक मुख्य उद्देश्य बड़ी मात्रा में साझा खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना तथा सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) संचालन डेटा में सहयोग करना है।

## भारत-अफगानिस्तान संबंध

- भारत में अफगानिस्तान दूतावास ने भारत से समर्थन की कमी का हवाला देते हुए अपना संचालन बंद कर दिया है।

### भारत-अफगानिस्तान के बीच विकासात्मक साझेदारी:

- भारत ने काबुल में संसद भवन, ईरान में चाबहार बंदरगाह को जोड़ने वाले जरांज डेलाराम राजमार्ग और सलमा बांध परियोजना (अफगान-भारत मैत्री बांध) जैसी प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण किया है।
- भारत ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रिपक्षीय व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहनों जैसे सैन्य हार्डवेयर और वायु सेना के लिए एमआई-25 तथा एमआई-35 हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति कर रहा है।

## भारत-मालदीव संबंध

मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा है कि वह देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देंगे। वे परोक्ष रूप से भारत पर निशाना साधते हुए चीन को अपना सबसे करीबी सहयोगी मान रहे हैं।

## भारत और मालदीव संबंध:

- भारत-मालदीव कई संयुक्त अभ्यास करते हैं जैसे -‘एकुवेरिन’, ‘दोस्ती’ और ‘ऑपरेशन शील्ड’
- भारत, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- 2022 में, भारत के विदेश मंत्री द्वारा नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्मेंट (एनसीपीएलई) का उद्घाटन किया गया। एनसीपीएलई मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है।
- मालदीव के अड्डे शहर में एक ड्रग डिटॉक्सीफिकेशन और पुनर्वास केंद्र भारतीय सहायता से बनाया गया था। यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।
- भारत की कंपनी मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना विकसित कर रही है जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) से संबंधित है।
- भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2012 के सार्क मुद्रा स्वैप समझौते के तहत आरबीआई और मालदीव मौद्रिक ऑथरिटी के बीच 2022 में द्विपक्षीय 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर के साथ भारत तथा मालदीव के बीच व्यापार में वृद्धि की संभावना है।
- भारत की जीएमसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

## इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष

इजराइल पर अक्टूबर में हमास ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के 5 हजार से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया जिसमें 200 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए।

### संघर्ष के बारे में:

- इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ जब फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदियों पर अत्याचार किया जा रहा था। इस जुलम से बचने के लिए यहूदियों ने एक आन्दोलन चलाया जिसे इतिहास में ‘जायोनी आन्दोलन’ के नाम से जाना जाता है। जायोनी आन्दोलन में यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ सफलता हासिल की।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ई. में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ‘साइक्स-पिकोट’ नामक एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा।
- अगले वर्ष 1917 में ‘बालफोर घोषणा’ की गई जिसमें यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई।

- बाद में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य स्थापित करने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसे फिलिस्तीन के यहूदियों ने स्वीकार कर लिया लेकिन अरबों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की।



इस योजना के तुरंत बाद 1948 में यहूदियों ने इजराइल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके विरोध में मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके कारण इजराइल और अरब राज्यों के बीच संघर्ष हुआ जिसकी परिणति 1967 में प्रसिद्ध ‘छह दिवसीय युद्ध’ में हुई। इस युद्ध में इजराइल ने ‘वेस्ट बैंक’ और ‘पूर्वी येरुशलम’ नामक भागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

बाद में वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित ‘ओस्लो शांति समझौते’ के तहत यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाएगा जिसका एक भाग फिलिस्तीन को और दूसरा भाग इजराइल को देने का प्रस्ताव रखा गया। उसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने भी इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी।

## हिंद महासागर रिम एसोसिएशन

- भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित 23वीं मत्रिप्रियंशद (COM) बैठक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के वरिष्ठ अधिकारियों की 25वीं समिति में भाग लिया।
- इस बैठक में भारत को वर्ष 2023-25 के लिए IORA के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि भारत 2025-27 में IORA का अध्यक्ष होगा।
- मत्रिप्रियंशद ने कोलंबो विज्ञप्ति और 'IORA विज्ञ वर्ष 2030' और उससे

आगे' को अपनाया।

### हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में:

- 1997 में गठित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य 23 सदस्य राज्यों और 11 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग तथा सतत विकास को मजबूत करना है।
- सचिवालय- मॉरीशस

## भारत-तंजानिया संबंध

- तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने 8-10 अक्टूबर 2023 तक भारत की राजकीय यात्रा की।
- व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर भारतीय नौसेना और तंजानिया शिपिंग एजेंसीज कॉर्पोरेशन के बीच तकनीकी समझौता हुआ।
- वर्ष 2023-2027 के लिए भारत सरकार और तंजानिया सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम समझौता हुआ।
- तंजानिया की राष्ट्रीय खेल परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन।
- तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया और तंजानिया निवेश केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन।
- समुद्री उद्योग में सहयोग पर कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड और मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।

### सहयोग के अन्य क्षेत्र:

- दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्रों पर द्विपक्षीय राजनीतिक जुड़ाव तथा रणनीतिक बातचीत के अपने बढ़ते स्तर पर संतोष व्यक्त किया जिसमें इंडो-पैसिफिक के लिए दृष्टिकोण और इंडो-पैसिफिक पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के आउटलुक का कार्यान्वयन शामिल है।
- दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में रुचि व्यक्त की।
- पहला भारत-तंजानिया संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी अभ्यास जुलाई 2023 में आयोजित किया गया था।
- भारत तंजानिया के लिए शीर्ष पांच निवेश योजनाओं में से एक है जिसमें 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 630 निवेश परियोजनाएं पंजीकृत हैं।
- दोनों देश तंजानिया में एक निवेश पार्क स्थापित करने की संभावना तलाशने और स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।

## वियना कन्वेंशन

भारत और कनाडा की सरकारों ने एक-दूसरे पर वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया।

### राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन क्या है?

- राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन-1961 एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जो सामान्य सिद्धांतों और शर्तों को निर्धारित करती है कि देशों को एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इस सम्मेलन का उद्देश्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना और उचित संचार चैनल बनाए रखना है।
- इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि एक राजनीतिक एजेंट का व्यक्तित्व अनुलंभनीय होगा। वह किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्राप्तकर्ता राज्य उसके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करेगा और उसके व्यक्तित्व, स्वतंत्रता तथा अखंडता पर किसी भी हमले को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

## ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023

- व्यापार निर्माण, साझेदारी बनाने और नीली अर्थव्यवस्था में वैश्विक अगुवा के रूप में उभरने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया।
- ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का विषय 'हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी' था जो हमारा मंत्र 'मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड' के अनुरूप है। शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित था।
- समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए विजन प्रधानमंत्री ने 'अमृत कल विजन 2047' का अनावरण किया जिसमें बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, स्थिरता को बढ़ावा देने और समुद्री नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा के लिए रणनीतिक पहल शामिल हैं।

## बिश्केक में एससीओ परिषद की बैठक

भारत के विदेश मंत्री ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की परिषद (सीएचजी) की 22वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में मुख्य रूप से जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन और इजराइल-हमास युद्ध पर प्रकाश डाला गया।

### शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में:

- यह एक नौ सहस्रीय संगठन है जिसमें दो प्रमुख एशियाई राज्य चीन और भारत, एक यूरोपियन देश रूस तथा चार मध्य एशियाई राष्ट्रों के जाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान व ईरान शामिल हैं।
- संगठन की स्थापना 1996 में 'शंघाई फाइव' के रूप में की गई थी जो 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल करने के साथ एससीओ बन गया।
- भारत, पाकिस्तान और ईरान के प्रवेश के साथ ही इसका विस्तार होना शुरू हुआ।

यूएई में कुल 28 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं।

### राजनीतिक गठबंधन:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 1972 में राजनीतिक संबंध स्थापित किये।
- द्विपक्षीय संबंधों को तब और बढ़ावा मिला जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई।
- भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया अबू धाबी यात्रा 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से पश्चिम एशियाई राष्ट्रों की उनकी 7वीं यात्रा थी।
- उनसे पहले यूएई का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1981 में इंदिरा गांधी थीं।

### रक्षा अभ्यास:

- ईडिया-यूएई द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
- डेजर्ट ईंगल-II द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास
- एक्सप्रसाइज डेजर्ट फ्लैट-VI संयुक्त अरब अमीरात
- पिच ब्लैक द्विवार्षिक, बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास
- रेड फ्लैट बहुपक्षीय हवाई अभ्यास

## इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (आईपीएमडीए) पहल

- टोक्यो में 2022 क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान, क्वाड लीडर्स ने मौजूदा समुद्री डोमेन जागरूकता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता (आईपीएमडीए) हेतु इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप की घोषणा की।
- यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्वपूर्ण जलमार्गों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पहल है। आईपीएमडीए भागीदारों को उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक उपग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा संग्रह जैसी नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

## भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

- दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) के साथ 20-21 नवंबर, 2023 को सम्पन्न हुई थी।
- दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, नेविगेशन की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण विवाद समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया।
- इसमें ऑस्ट्रेलिया-भारत समुद्री संवाद और फ्रांस तथा इंडोनेशिया

के साथ त्रिपक्षीय समूहों के प्रति प्रतिबद्धताओं के साथ समुद्री क्षेत्र जागरूकता के महत्व पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता पहल हेतु इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप पर प्रकाश डाला गया।

## लाल सागर में जहाज का अपहरण

हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत जा रहे मालवाहक जहाज 'गैलेक्सी लैडर' को यह दावा करते हुए अपहरण कर लिया कि यह इजराइली जहाज है। हालांकि, इजराइली सरकार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के स्वामित्व में है जो एक जापानी फर्म द्वारा संचालित है।

### समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून:

- 1982 का समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री डकैती के दमन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 100 से 107 और 110 में।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने समुद्री डकैती से निपटने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को अपनाया है। उनमें से समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन के लिए कन्वेंशन (एसयूए कन्वेंशन), समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (एसओएलए), अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा कोड (आईएसपीएस कोड) आदि प्रमुख हैं।

### हूती विद्रोहियों के बारे में:

- हूती एक शिया राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो 1990 के दशक के दौरान यमन में यमनी सरकार की विपक्षी ताकत के रूप में उभरा था।
- कुछ वर्ष पश्चात यह मध्य पूर्व में चल रही अमेरिका और इजराइल विरोधी भावनाओं से तेजी से प्रेरित हुआ।
- 2011 में हूती विद्रोहियों ने यमनी क्रांति को भड़काने में प्रमुख भूमिका निभाई थी जो अरब स्प्रिंग के नाम से सरकार विरोधी विद्रोह की लहर से शुरू हुई थी।
- 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमनी राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था।

### लाल सागर के बारे में:

- लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। समुद्र से इसका संबंध दक्षिण में बाब-अल-मंडेब जलडमरुमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी स्थित है।

## इंटरपोल की 91वीं महासभा

- इंटरपोल की 91वीं महासभा वियना में आयोजित की गई थी जहां भारत ने वास्तविक समय में आतंकवाद, ऑनलाइन कटूरंथ और

साइबर से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी जैसे सीमा पार अपराधों को सक्रिय रूप से संबंधित करने के लिए इंटरपोल के माध्यम से ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। चार दिवसीय सभा में अंतर्राष्ट्रीय आपाराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) की शताब्दी भी मनाई गई जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी।

- भारत ने इंटरपोल के 'विजन 2030' को अपनाने का समर्थन किया।
- इंटरपोल के फ्यूचर कार्डिनल के निर्माण पर भी चर्चा की गई जो यह सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक परिषद होगी कि 'इंटरपोल विजन-2030' का विकास और कार्यान्वयन सदस्य देशों में कानून प्रवर्तन की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखेगी।
- 1949 में इंटरपोल में शामिल होने के बाद से भारत ने अब तक दो सामान्य सभाओं की मेजबानी की है। यह सर्वविदित है कि पिछले वर्ष भारत ने 90वीं महासभा की मेजबानी की थी जिसमें 168 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था।

### इंटरपोल क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय आपाराधिक पुलिस संगठन (जिसे अक्सर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है) की स्थापना 1923 में एक सुरक्षित सूचना-साझाकरण मंच के रूप में की गई थी जो विभिन्न देशों के पुलिस बलों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से आपाराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है।
- वर्तमान में इसके 196 सदस्य देश हैं जिनका नेतृत्व अध्यक्ष करता है जो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य देश की इंटरपोल में एक नोडल एजेंसी होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत में नोडल एजेंसी है।

## संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुरेरेस ने गाजा पट्टी, विशेषकर इसके दक्षिणी क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच युद्धविराम स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया।

### संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 क्या है?

- चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि 'महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है।'
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यदि महासचिव अनुच्छेद 99 के तहत परिषद के ध्यान में कोई मामला लाता है, तो यह सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह परिषद की बैठक बुलाए।

### संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) क्या है?

- UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस सहित पांच स्थायी सदस्य शामिल हैं, जबकि 10 गैर-स्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा रोटेशन के आधार पर दो साल के लिए चुना जाता है। इसकी अध्यक्षता इन 15 सदस्यों में से प्रत्येक द्वारा एक महीने

के लिए की जाती है।

(आईओआरए) जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग कर रहे हैं।

## स्वेज नहर का एक नया संकट

- यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में व्यापार की सुरक्षा के लिए समर्पित एक बहुराष्ट्रीय बल की शुरुआत की है। बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली जैसे देश सेशेल्स और यूनाइटेड किंगडम 'बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल' के लिए 10 देशों का गठबंधन बनाकर इस सहयोगात्मक प्रयास में शामिल हो गए हैं।

### संयुक्त कार्यबल 153 क्या है?

- संयुक्त टास्क फोर्स 153 (सीटीएफ 153) एक टास्क फोर्स है जो लाल सागर, बाब अल-मंडेब और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल, 2022 को हुई थी जो संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) द्वारा संचालित बल है।

## बांग्लादेश में चुनाव

- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रीय चुनाव में पांचवीं बार फिर से चुनाव जीता। यह पूर्व पीएम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बहिष्कार के बाद कराया गया था जो वर्तमान में जेल में है।
- शेख हसीना की पार्टी अबामी लीग ने 12वें संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है।

### भारत और बांग्लादेश संबंध के बारे में:

- भारत बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था तथा दिसंबर 1971 में इसकी आजादी के तुरंत बाद देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत ने 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की है।
- जुलाई 2023 में बांग्लादेश और भारत ने रूपये में व्यापार लेनदेन शुरू किया जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना तथा क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करना था।
- भारत और बांग्लादेश सेना (अभ्यास संप्रीति) व नौसेना (अभ्यास बोंगोसागर) संयुक्त अभ्यास भी आयोजित करते हैं।
- भारत और बांग्लादेश अखौरा-अगरतला रेल लिंक तथा मैत्रीसेतु जैसी सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में सहयोग कर रहे हैं।
- भारत-बांग्लादेश सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ), बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन

## यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति

भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करने और 21 से 31 जुलाई, 2024 तक नई दिल्ली में इसके 46वें सत्र की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है जो एक ऐतिहासिक क्षण है।

### विश्व धरोहर समिति के बारे में:

- विश्व धरोहर समिति में विश्व धरोहर सम्मेलन के 21 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो वैश्विक सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को मान्यता देने के लिए हर साल मिलते हैं। उनका काम प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में योगदान देना है।
- विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे 1972 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था।

### यूनेस्को के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान तथा संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- यूनेस्को की स्थापना 1945 में लीग ऑफ नेशन्स इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।
- इसमें 194 सदस्य देश तथा 12 सहयोगी सदस्य हैं, साथ ही गैर-सरकारी, अंतर-सरकारी और निजी क्षेत्र में भागीदार हैं।
- इसका मुख्यालय पेरिस में विश्व धरोहर केंद्र में स्थित है।
- यूनेस्को सामान्य सम्मेलन द्वारा शासित है जो सदस्य राज्यों और सहयोगी सदस्यों से बना होता है। यह एजेंसी के कार्यक्रमों और बजट को निर्धारित करने के लिए साल में दो बार बैठक करता है।
- यह कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का भी चुनाव करता है जो यूनेस्को के काम का प्रबंधन करता है। हर चार साल में एक महानिदेशक की नियुक्ति करता है जो यूनेस्को के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करता है।

## संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग

भारत ने 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना चार साल का कार्यकाल शुरू किया है।

### संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में:

- इसकी स्थापना 1947 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी जो वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है।
- यह दुनिया भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है।
- मुख्यालय- न्यूयॉर्क

- आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं जो समान भौगोलिक वितरण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र अर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं।
- सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
- भारत आखिरी बार 2004 में सांघिकी आयोग का सदस्य था।

## युगांडा में G77 का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन

विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने युगांडा में आयोजित जी-77 समूह के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

The Republic of Uganda will host the Third South Summit.

The G77 plus China is the biggest negotiating group at the UN with a Membership of 134 Member States.

Date:

**21-23 January 2024**

Theme:

**Leaving No One Behind**

In accordance with the principle of rotation, it was Africa's turn to offer a host for the Third South Summit and Uganda stepped up to the occasion.

### जी-77 के बारे में:

- यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करके की गई थी।
- इस समूह का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों को उनके सामूहिक अर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर उनकी संयुक्त बातचीत क्षमता को बढ़ाने तथा विकास के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाना है।
- इसमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया के 134 देश हैं।
- जी-77 की पहली बैठक 1967 में अल्जीयर्स में आयोजित की गई थी जहाँ अल्जीयर्स के ऐतिहासिक चार्टर को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसके बाद से जी-77 की संस्थागत संरचना अधिक स्थायी रूप में विकसित हुई।
- चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है।

## डब्ल्यूटीओ कृषि सब्सिडी

न्यूनतम समर्थन मूल्य के विरोध के बीच भारत को कृषि सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ की चेतावनी का सामना करना पड़ा।

### कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौता (एओए):

इसे व्यापार बाधाओं को दूर करने, पारदर्शी बाजार पहुंच और वैशिक बाजारों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था जिसे 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

- ग्रीन बॉक्स:** इसमें आय-समर्थन भुगतान, सुरक्षा-नेट कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रमों के तहत भुगतान, कृषि अनुसंधान और विकास सब्सिडी जैसे उपाय शामिल हैं।
- ब्लू बॉक्स:** कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है, उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है, यदि समर्थन के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
- एम्बर बॉक्स:** उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले लगभग सभी घरेलू समर्थन उपाय (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स में आते हैं।
- यह सीमा आम तौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 5% है, जबकि अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है।
- डब्ल्यूटीओ के बाली सम्मेलन में एओए के अनुच्छेद 13 में एक 'उचित संयम' या 'शांति खंड' शामिल है जो सब्सिडी के लिए अन्य डब्ल्यूटीओ समझौतों के आवेदन को नियन्त्रित करता है।
- बाजार पहुंच के लिए आवश्यक है कि मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाना क्योंकि अलग-अलग देशों द्वारा ये तय किए जाते हैं जिसमें उत्तरोत्तर कटौती की जानी चाहिए।
- इसमें गैर-टैरिफ बाधाओं (जैसे आयात पर कोटा) को हटाना शामिल है। निर्यात सब्सिडी चार स्थितियों तक सीमित है:
  - » सीमा के भीतर उत्पाद-विशिष्ट कटौती प्रतिबद्धताएं
  - » निर्यात सब्सिडी के लिए बजटीय परिव्यव या प्रावधान
  - » विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान के अनुरूप निर्यात सब्सिडी
  - » कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्यात सब्सिडी के अलावा अन्य निर्यात सब्सिडी जो कृषि पर समझौते के अनुच्छेद 10 के विषयों के अनुरूप हों।
- विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम) को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में डिजाइन किया गया था जो विकासशील देशों को आयात में असामान्य वृद्धि या असामान्य रूप से सस्ते आयात के प्रवेश की स्थिति में अतिरिक्त (अस्थायी) सुरक्षा शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

## ब्रिक्स का विस्तार

- मिस्र, ईथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने की घोषणा किया।
- 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने "BRIC" समूह बनाया। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ जिससे यह 'ब्रिक्स' बन गया।
- इस समूह को उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों

- की राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने हेतु डिजाइन किया गया था।
- विस्तारित समूह के नाम की अभी घोषणा नहीं की गई है लेकिन यह 'ब्रिक्स+' हो सकता है।

## अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन

### आसियान शिखर सम्मेलन

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) का 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में जकार्ता में आयोजित किया गया।

#### आसियान के बारे में:

- आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के संस्थापक सदस्यों द्वारा बैंकॉक (थाईलैंड) में की गई थी।

#### आसियान के लक्ष्य:

- क्षेत्र में सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- सभी देशों के बीच संबंधों में कानून और न्याय के शासन का सम्मान करके क्षेत्रीय स्थिरता तथा शांति को बढ़ावा देना।
- आसियान के 10 सदस्य हैं जिनमें ब्रुनेई दारुस्सलाम, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

### पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) जकार्ता में आयोजित किया गया।

#### पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के बारे में:

- इसकी स्थापना 2005 में ईएएस के निर्माण के माध्यम से की गई थी।
- सदस्यता इसकी स्थापना के बाद से ईएएस की सदस्यता मूल 16 से बढ़कर 18 देशों तक पहुंच गई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ दस आसियान देश शामिल हैं।

### जी20 शिखर सम्मेलन

18वां जी20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली (भारत) में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय अंग्रेजी में 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है जिसका संस्कृत में अनुवाद

'वसुधैव कुटुंबकम्' है।

- जी20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह, ग्रुप ऑफ ट्वेंटी का संक्षिप्त रूप है। यह समूह दुनिया की 80% जीडीपी, 75% वैश्विक व्यापार और 60% दुनिया की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें अध्यक्ष पद रोटेशन से होता है। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक राष्ट्रपति पद संभाला। दक्षिण अफ्रीका 2025 में जी20 की मेजबानी करेगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 में मेजबानी करेगा।
- ग्रुप ऑफ 20 (जी20) का 19वां राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो डी जनरेइयो में होगा।
- 19 देशों और यूरोपीय संघ के जी20 समूह की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ को भी जी20 का सदस्य बनाया गया।

### ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

- 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अगस्त, 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सैंडेटन कन्वेंशन सेंटर में हुआ। 2023 शिखर सम्मेलन का विषय 'ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास तथा समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी' है।
- ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है। ब्रिक्स देश हर साल ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मिलते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन है जिसमें पांच सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख भाग लेते हैं।
- 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23-24 जून, 2022 को बीजिंग में आयोजित किया गया था, जबकि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- 2009 में पहला BRIC शिखर सम्मेलन (जिसने संगठन की स्थापना की) चार देशों के प्रमुखों के बीच आयोजित किया गया था। बाद के शिखर सम्मेलन 2010 में शुरू हुए जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था।

### जी7 शिखर सम्मेलन

- 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19-21 मई, 2023 तक जापान के हिरोशिमा में हुआ। शिखर सम्मेलन जी7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए एक वार्षिक मंच है जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के साथ ही यूरोपीय संघ शामिल हैं। तेल संकट के जवाब में 1975 में ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) की स्थापना की गई थी।

## सार्क शिखर सम्मेलन

- 20वां सार्क शिखर सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था।
- सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जब 7 देशों ने ढाका में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भारत हैं।

### सार्क के उद्देश्य:

- दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना।
- आपसी विश्वास, समझ और एक-दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान देना।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना।

## एससीओ शिखर सम्मेलन

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रध्यक्षों की परिषद का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
- एससीओ के पूर्ण सदस्य नौ देश हैं जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक अंतररक्कारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी।

## APEC का शिखर सम्मेलन

- एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) नेताओं का शिखर सम्मेलन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ।
- इस शिखर सम्मेलन का विषय 'सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना' रहा है।
- इसने मुक्त, निष्पक्ष और खुले व्यापार एवं निवेश तथा क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- शिखर सम्मेलन गोल्डन गेट घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।

### एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में:

- APEC एशिया-प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।
- APEC का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन तथा सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि बढ़ाना है।

### सदस्य:

- ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- भारत को फिलहाल पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है।

## बिम्सटेक शिखर सम्मेलन

छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की अध्यक्षता में वर्ष 2024 में आयोजित होगा।

### बिम्सटेक के बारे में:

- बिम्सटेक** - बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगल की खाड़ी पहल।
- यह अपने झंडे और प्रतीक के साथ बंगल की खाड़ी से लगे तटीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन समूह है।
- स्थापना** - 1997 में बैंकॉक घोषणा द्वारा
- वर्ष 2022** BISTEC गठन की 25वीं वर्षगांठ है।
- सचिवालय** - ढाका, बांग्लादेश
- उद्देश्य - सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- सदस्य - 7 सदस्य (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड)
- इसमें सार्क से 5 और आसियान से 2 सदस्य शामिल हैं।

## नाटो शिखर सम्मेलन

- 2023 नाटो शिखर सम्मेलन 11-12 जुलाई, 2023 को विनियस (लिथुआनिया) में आयोजित किया गया था। 2024 नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में प्रस्तावित है।
- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 31 सदस्य देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा सदस्यों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की रक्षा के लिए की गई थी।

## अभ्यास

- अभ्यास हरिमात** शक्ति नवंबर 2023 में भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है।
- अभ्यास मित्र शक्ति** 16-29 नवंबर, 2023 तक भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- वज्र प्रहार** नवंबर 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है।
- नौसेना अभ्यास मालाबारः** एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत शामिल हैं।
- कोबरा वारियर अभ्यासः** मार्च 2023 में यूके के वाडिंगटन एयर

- फोर्स बेस में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन शामिल थे।
- ऑस्ट्रा हिंद-23:** भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से 6 दिसंबर, 2023 तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित हुआ।
- VINBAX-2023:** भारत और वियतनाम के बीच 11-21 दिसंबर, 2023 तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, हनोई (वियतनाम) में आयोजित किया गया।

## संयुक्त राष्ट्र

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) 1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं।
- इसका मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों तथा सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है जो विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग निम्न हैं:
  - » जनरल कॉउन्सिल
  - » सुरक्षा परिषद
  - » आर्थिक और सामाजिक परिषद
  - » ट्रस्टीशिप काउन्सिल- वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है।
  - » अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
  - » संयुक्त राष्ट्र सचिवालय

## जनरल कॉउन्सिल

- महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का महासभा में प्रतिनिधित्व होता है जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है।
- प्रत्येक वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा सत्र के लिए महासभा में मिलती है।
- शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं।
- महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के कार्यकाल के लिए विधानसभा द्वारा चुना जाता है।

## सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
- सुरक्षा परिषद पंद्रह सदस्य देशों से बनी है जिसमें पांच स्थायी सदस्य 'चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका' शामिल हैं, जबकि दस गैर-स्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

## आर्थिक और सामाजिक परिषद

- यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद तथा सिफारिशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है।
- इसमें 54 सदस्य हैं जो तीन साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
- यह सतत विकास पर चिंतन, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है।

## आईसीजे

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्राथमिक न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी जिसने 1946 में काम करना शुरू किया था। ICJ नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है।

## संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ

### खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सक्रिय, स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच मिले। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र परिवार की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी।

### अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों

- का समन्वय करती है। यह सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना तथा विकास को बढ़ावा देती है।
- इसकी स्थापना दिसंबर 1944 को हुई थी।

## कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
- मुख्यालय रोम (इटली) में स्थित है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है।

### शासन:

- इसकी गवर्निंग काउंसिल (जिसमें 160 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं) प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है।
- इसका 18 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड दैनिक कार्यों की देखरेख करता है।

## अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

- यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को तैयार करने के लिए अपने 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करती है।
- यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी है।
- 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ (एलओएन) की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित।
- मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैण्ड
- संस्थापक मिशन सार्वभौमिक और स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है।
- 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ।

## अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

- आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया जिसमें 189 सदस्य देश शामिल हैं। मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी. में है।
- आईएमएफ वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता हासिल करने, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने तथा बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

## अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)

- आईएमओ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने और जहाजों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी, जबकि 1958 में यह अस्तित्व में आया।

## अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

- आईटीयू की स्थापना 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में पेरिस में हुई थी।
- यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा आईटीयू का चार-वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के मानकीकरण के लिए समर्पित है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है।

## विश्व बैंक

- इसे 1944 में IMF के साथ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉर्ड्स्क्षण एंड डेवलपमेंट (IBRD) के रूप में बनाया गया था। आईबीआरडी बाद में विश्व बैंक बन गया।
- विश्व बैंक समूह पांच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य करती है।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है।

### सदस्य:

- इसके 189 सदस्य देश हैं।
- भारत भी एक सदस्य देश है।

### प्रमुख रिपोर्ट:

- व्यवसाय करने में आसानी (प्रकाशन बंद)
- मानव पूँजी सूचकांक
- विश्व विकास रिपोर्ट

## यूनेस्को

- स्थापना- 16 नवंबर 1945
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है।
- यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और संगठन के दुनिया भर में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

- इसमें 194 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं जो सामान्य सम्मेलन तथा कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है।
- यूनेस्को के तीन सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कुक आइलैंड्स, नीयू और फिलिस्तीन नहीं हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के तीन सदस्य देश (इजराइल, लिकटेंस्टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका) यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं।

## संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में है।
- इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई थी।
- इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का सदस्य है।
- यह गरीबी को कम करने, समावेशी वैश्वीकरण के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है।
- सदस्य देशों की संख्या 170 है।
- भारत भी इसका सदस्य है।

## संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)

- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की स्थापना 1 नवंबर, 1975 को हुई थी।

## विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- इसमें 194 सदस्य राज्य, 150 देश कार्यालय, छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है।

## यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू)

- यूपीयू की स्थापना 1874 की बर्न संधि द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है जो विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अलावा सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का

समन्वय करती है।

- यह दुनिया भर में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यूपीयू का मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

## विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

- WIPO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 1967 में 'रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए' की गई थी।
- वर्तमान में यह 26 अंतर्राष्ट्रीय संघियों का प्रबंधन करता है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

## विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

- यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।
- यह पृथक्की के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार तथा इससे पैदा होने वाली जलवायु और इसके परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आधिकारिक आवाज है।
- इसकी शुरूआत अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (आईएमओ) से हुई जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी।



- 1950 में स्थापित, आईएमओ मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान तथा संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई।
- मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- वर्तमान में इसके सदस्य 187 देश हैं।

## संयुक्त राष्ट्र के संबंधित संगठन

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (आईएईए)
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)
- रासायनिक हथियार निवेद संगठन (ओपीसीडब्ल्यू)
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)
- अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (आईएसए)
- समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस)
- प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम)



"The more we sweat in peace,  
the less we bleed in war"

# Test Yourself, Before UPSC Tests You

We will guide you prepare better

**Total Test-15 :**  
(GS Full Length-10 & CSAT-5)

Online

All India Civil Services (Prelims) Test Series 2024

Phase-III Starting From  
**3<sup>rd</sup> March 2024**



JOIN HERE

Fee :  
~~2999/-~~  
**999/-**



9219200789



LUCKNOW



Powered by  
**ध्येयIAS**<sup>®</sup>  
most trusted since 2003

# IAS/IPS as a career AFTER 12<sup>th</sup>

3 YEARS PROGRAMME

## UDAAN (10+2) :

Topping the potential of young students right after schooling through two way communication, counselling & holistic empowerment.

# IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM 2024

16<sup>th</sup> June, 2024 | 12:30pm

Eligibility:  
Age Limits : 15-19 Years age group  
12<sup>th</sup> Passed / Appearing Students

IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM  
REGISTRATION OPEN



Lucknow

More information call us  
 9219200789